

सामाजिक विज्ञान

भाग-2

कक्षा 9 के लिए भूगोल, नागरिकशास्त्र तथा
अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक

लेखक

सविता सिन्हा
सुप्ता दास
नीरजा रश्मि

संपादक

बी.एस. पारख



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

ISBN : 81-7450-352-8

नवंबर 2002 कार्तिक 1924 (समकालीन भारत)

पुनर्मुद्रण

अप्रैल 2003 चैत्र 1924

नवंबर 2003 कार्तिक 1925

मार्च 2005 चैत्र 1927 (सामाजिक विज्ञान : भाग-2)

PD 125T SC

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2002

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्ण अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, पेशीनी, फोटोकॉपी, रिक्वाइडिंग अथवा किसी अन्य विधि में पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक को किसी भी शर्त के साथ को ग्राहक कि प्रकाशक की पूर्ण अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार में व्यापार द्वारा उधार पर, पुनर्विक्रय या किंग्ण पर न से जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पुस्तक पर मुद्रित है। खड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पत्तों (गिटकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. केंद्र श्री अश्विनी मार्ग नई दिल्ली 110 016	108, 100 फीट गार्ड हर्षो एक्सटेंशन हाउस यमरावती III इन्टर बंगलूर 560 085	नवजीवन ट्रेड पब्लिशिंग इकाय नवजीवन अहमदाबाद 380 014	गो इन्व्यू.सी. केंद्र निकट: धनकाल बग मंडी पुनहरी कोलकाता 700 114	गो इन्व्यू.सी. कॉम्प्लेक्स पालीगांव गुवाहाटी 781021
--	---	---	---	---

प्रकाशन सहयोग

संपादन शशि चड्ढा
उत्पादन अरुण चितकारा

आवरण

डी.के. शेंडे

रु. 25.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा न्यू चनाब ऑफसेट, सी-91, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110 020 द्वारा मुद्रित।

प्रकाशक की टिप्पणी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) बच्चों और शिक्षकों के लिए विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार तथा प्रकाशित करती रही है। ये प्रकाशन विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों से प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर नियमित रूप से संशोधित किए जाते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए शोध-कार्य भी इस पाठ्य सामग्री के संशोधन व उसे अद्यतन बनाने का आधार होते हैं।

यह पुस्तक विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और इसके अनुरूप तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह पाठ्यपुस्तक पहली बार वर्ष 2002 में *समकालीन भारत* के नाम से प्रकाशित हुई थी जिसमें मूलतः तीन इकाइयाँ थीं। एन.सी.ई.आर.टी. की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 19 जुलाई को आयोजित बैठक के निर्णय के अनुसार इतिहास की पुरानी पाठ्यपुस्तक *सभ्यता की कहानी : भाग-2* अकादमिक सत्र 2005-2006 से वापस लाई जा रही है, जो सामाजिक विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम की *इकाई-1* के अनुरूप है। प्रस्तुत पुस्तक *सामाजिक विज्ञान : भाग-2* में भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र से संबद्ध इकाइयाँ हैं।

कार्यकारिणी समिति ने पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन के लिए त्वरित समीक्षा का भी निर्णय लिया। इस निर्णय का अनुपालन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की सभी पुस्तकों के परीक्षण के लिए एक त्वरित समीक्षा समिति का गठन किया गया। समिति ने संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक तथा भाषा-संबंधी विविध अशुद्धियों की पहचान की। समीक्षा की इस प्रक्रिया में पहले किए गए पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा गया है। यह प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है और पाई गई अशुद्धियों का सुधार कर दिया गया है। हमें आशा है कि पुस्तक का यह संशोधित संस्करण शिक्षण व अधिगम का प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। इस पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिए हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

नई दिल्ली
जनवरी 2005

सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए;

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

आभार

यह पाठ्यपुस्तक पहली बार सन् 2002 में *समकालीन भारत* के नाम से प्रकाशित हुई थी जिसमें मूलतः तीन इकाईयां थीं। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक *सामाजिक विज्ञान : भाग-2* में भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबद्ध दो इकाईयां दी गई हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, सा.वि.मा.शि.वि. के सदस्यों प्रोफेसर सविता सिन्हा; श्रीमती सुप्ता दास, *प्रवक्ता*, *सलेक्शन ग्रेड* तथा डा. नीरजा रश्मि, *प्रवाचक* का पुस्तक के लेखन में तथा प्रोफेसर बी. एस. पारख, (*अवकाश प्राप्त*) का इसके संपादन में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए आभार प्रकट करती है।

परिषद् इस पुस्तक की पाण्डुलिपि की समीक्षा कर इसे अंतिम रूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की आभारी है : श्री प्रेमशंकर खरे, *पूर्व प्राचार्य*, अग्रसेन इंटर कॉलेज, इलाहाबाद; श्री एस.एम. शर्मा, *पूर्व प्राचार्य*, एस.आर.एस.डी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर, नई दिल्ली; श्री जी. एस. नेगी, *प्राचार्य*, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली; डा. मो. अख्तर हुसैन, *प्रवाचक*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल; श्रीमती विजय लक्ष्मी, *पी.जी.टी.*, ग्रीन फील्ड्स स्कूल, नई दिल्ली; श्रीमती कुसुम लता खरे, *पूर्व प्रवक्ता*, आर्य कन्या इंटर कालेज, इलाहाबाद; श्री रुद्र प्रकाश श्रीवास्तव, *पूर्व प्राचार्य*, सी.एम.पी. महाविद्यालय, इलाहाबाद; श्री बाबू लाल गुप्ता, *पूर्व-उप प्राचार्य*, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, दिल्ली; श्री जगदीश भारतीय, *पूर्व उप-प्राचार्य*, ए.एस.वी.जे. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर, नई दिल्ली; श्रीमती वीणा व्यास, *पी.जी.टी.*, डी.एम. स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल; श्री एस.एस. रस्तोगी, *पूर्व प्राचार्य*, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली; श्री आर. के. बत्रा, *पूर्व प्राचार्य*, रा.बाल.एस. उच्च विद्यालय, सरोजनी नगर, नई दिल्ली; श्रीमती चित्रा श्रीनिवास, *पी.जी.टी.*, सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली, श्री एम. आर. गोस्वामी, *पी.जी.टी.*, केंद्रीय विद्यालय, नई दिल्ली तथा सा.वि.मा.शि.वि., के प्रोफेसर सविता सिन्हा, डा. नीरजा रश्मि, *प्रवाचक*, श्रीमती सुप्ता दास, *प्रवक्ता*, *सलेक्शन ग्रेड*, डा. बासाबी खान बनर्जी, *प्रवाचक* तथा प्रोफेसर जे.पी. सिंह (*समन्वयक*)।

परिषद् पुस्तक के हिंदी रूपांतर के लिए श्री प्रेमशंकर खरे, श्रीमती कुसुम लता खरे तथा श्री रुद्र प्रकाश श्रीवास्तव को भी धन्यवाद ज्ञापित करती है।

परिषद् इस पाठ्यपुस्तक की त्वरित-समीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्यों की आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा की तथा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए : प्रोफेसर करुणा चानना, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय; प्रोफेसर एम. पी. सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; प्रोफेसर एस. के. झा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; डा. दीप्ता भोग, निरंतर, नई दिल्ली; श्री नरोत्तम शर्मा, *पी.जी.टी.*, सर्वोदय विद्यालय, स्मालका, दिल्ली; श्रीमती नीना कुलश्रेष्ठ, *पी.जी.टी.*, उपरास विद्यालय, वसंत कुंज, दिल्ली; प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; प्रोफेसर मजहर अली खान, जामिया मिलिया इस्लामिया; प्रोफेसर एस.एम. राशिद, जामिया मिलिया इस्लामिया; श्रीमती उषा भल्ला, *पी.जी.टी.*, मॉडर्न स्कूल, नई दिल्ली; श्रीमती मीरा हून, *टी.जी.टी.*, माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली; प्रोफेसर गिरीश मिश्र (*अवकाश प्राप्त*), किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय; डा. आर. के. बंसल, *पूर्व प्रवाचक*, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं अनुवर्ती शिक्षा विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय; श्रीमती मीरा मल्होत्रा, *पी.जी.टी.*, मॉडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली; श्री बी.सी. ठाकुर, *पी.जी.टी.*, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सूरजमल विहार, दिल्ली तथा सा.वि.मा.शि.वि. के डा. संजय दुबे, *प्रवाचक*, श्री एम.बी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता*, डा. तनु मलिक, *प्रवक्ता* तथा डा. नीरजा रश्मि, *प्रवाचक*।

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

विषय-सूची

प्रकाशक की टिप्पणी iii

इकाई दो : आधुनिक राष्ट्र का निर्माण

अध्याय 1		
संविधान का निर्माण		3
अध्याय 2		
भारतीय संविधान की विशेषताएं		10
अध्याय 3		
सरकार : कार्यपालिका तथा विधायिका		14
अध्याय 4		
भारत की न्यायपालिका		23
अध्याय 5		
मूल अधिकार, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व तथा मूल कर्तव्य		27
अध्याय 6		
भारतीय लोकतंत्र : किस प्रकार कार्य करता है		31

इकाई तीन : देश तथा निवासी

अध्याय 7		
अवस्थिति विन्यास		39
अध्याय 8		
उच्चावच		44
अध्याय 9		
जलवायु		55
अध्याय 10		
अपवाह		67
अध्याय 11		
प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य-प्राणी		75
अध्याय 12		
जनसंख्या		82
परिभाषिक शब्दावली		89

भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- अधिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंक्रामक कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।

इकाई दो

आधुनिक राष्ट्र का निर्माण

इस इकाई में आप यह अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे नेताओं ने इस विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जनता की मांगों एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। प्रारंभ से ही हर कदम पर लोकतंत्रीय सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया गया। संविधान सभा, जिसने संविधान बनाया था, लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्वाचित की गई थी। इस संविधान में विश्व के महान लोकतंत्रात्मक देशों के संविधानों की विशेषताएं परिलक्षित हैं। कई भाषाओं और संस्कृतियों वाला यह देश लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर शासित किया जा सकता है। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भारतीय राज्यव्यवस्था की इस विविधता को ध्यान में रखा। उन्होंने न केवल विस्तृत संविधान का निर्माण किया वरन् उसमें लोकतांत्रिक कार्यपद्धति का भी विस्तार से उल्लेख किया। प्रत्येक वयस्क को सरकार निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में स्वतंत्र और समान है तथा उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। इससे स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक जनमत निर्माण के साधनों पर कड़ी निगाह रखते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया भी समय की कसौटी पर खरी उतरी और इससे अधिकांशतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहायता मिली। बहुदलीय प्रणाली ने विपक्ष के विकास में योगदान दिया जिसके अभाव में सही अर्थों में लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं है। बाधाएं तो हैं, फिर भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की उपलब्धियां विश्व के दृश्य-पटल पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।



स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा काम 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना भली-भांति किया गया जिससे संपूर्ण राष्ट्र ने संतोष की सांस ली। कुछ भी हो, भाषा, धर्म तथा क्षेत्रीय विविधताओं से युक्त नए भारत का निर्माण सचमुच बहुत ही कठिन कार्य था। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य संपन्न हो गया। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य कितने वाद-विवाद के बाद संपन्न हो पाया, इसका भी एक संक्षिप्त इतिहास है। आप इसके विषय में अवश्य जानना चाहेंगे।

अंग्रेजी को संपर्क भाषा स्वीकार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्तर प्रदान किया गया। संविधान में (हिंदी सहित) 14 भाषाओं की सूची दी गई है। उसके बाद से अब तक इस तालिका में आठ भाषाओं के नाम और जोड़े गए हैं।

संविधान में दी गई भाषाओं का चार्ट बनाइए
और उसे अपनी कक्षा में लगाइए।

प्रांतों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन किए जाने से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को यथासंभव पूरा करना चाहती थी।

1956 में किया गया राज्यों का पुनर्गठन अंतिम नहीं था। 1956 के बहुत बाद, जनता की मांग को ध्यान में रखकर कुछ नए राज्य बनाए गए। ऐसे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल नामक तीन नए राज्यों का निर्माण किया गया है।

अब आप पुनः भारत के राजनीतिक मानचित्र का अवलोकन करें और राज्यों तथा “केंद्रशासित” प्रदेशों की कुल संख्या ज्ञात करें। “केंद्रशासित प्रदेश” शब्द आपको अपरिचित सा


लग सकता है। इस संबंध में आप आगे पढ़ेंगे। परंतु इसके पहले कि आप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विषय में पढ़ें, आपको भारत के संविधान की जानकारी होना परम आवश्यक है। संविधान कैसे बना? किरा प्रकार संविधान निर्माताओं ने अपने कठिन परिश्रम तथा अनुकरणीय समर्पण भाव से यह आलेख तैयार किया?

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और भारत को “गणतंत्र” घोषित किया गया। तब से लेकर आज तक यह दिन “गणतंत्र दिवस” के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इस कार्य के लिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया? इस तिथि के चयन के पीछे भी इतिहास है। 1929 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया था और 1930 में 26 जनवरी प्रथम बार तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि हमारे नेताओं ने भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निश्चित की, जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है।


भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करने से पहले यह जान लेना रुचिकर होगा कि संविधान का प्रारूप किस प्रकार तैयार किया गया। किंतु इसके पहले कि हम संविधान निर्माण के विषय में पढ़ें, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि संविधान है क्या ?

संविधान का अर्थ

संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपना संविधान बनाता है। यह सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है जिसके अंतर्गत जनता पर शासन किया जाता है। यह सरकार के मुख्य अंग – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। संविधान न केवल प्रत्येक अंग के अधिकारों को परिभाषित करता है वरन् उसके उत्तरदायित्व



चित्र 1.1 : 1947 में भारत का राजनीतिक मानचित्र



भारत के महासंघिक की अनुदानुसार भारतीय राष्ट्रीय विमान के मानचित्र पर अंकित।
 समुद्र में भारत का जम्भदेश, जम्भुजा अक्षांश रेखा से गोरे गए भारत समुद्री मील की दूरी तक है।

© भारत सरकार का प्रतिनिधित्व, 2002

गङ्गी, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी भूखालय प्रकीर्णक में है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, अरुण और मणिपुर के राज्य से बर्शाई गई अंतरराज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम 1956) के निर्वाहानुसार दर्शाए गए हैं।

इस मानचित्र में अंतरराज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य जमीन सरकार के द्वारा सम्पादित नहीं हुई है।

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शाए गए अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 1.2 : 2002 में भारत का राजनीतिक मानचित्र

भी सुनिश्चित करता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध तथा इनका जनता से संबंध स्थापित करता है। संक्षेप में, संविधान एक गौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। संविधान देश के सभी नियमों से श्रेष्ठ होता है। प्रशासन तंत्र द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संविधान में लिखित कानून जिन्हें आधारभूत कानून भी कहा जाता है, स्रोत की भांति हैं जिनके आधार पर किसी देश के प्रशासन हेतु नियम तथा विनियम बनाए जाते हैं।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्त्व और भी अधिक है। लोकतंत्र में सरकार के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह ऐसी सरकार होती है जिसमें सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती हैं। इस सरकार में नागरिक के अधिकारों का भी स्पष्ट विवरण दिया होता है। सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाएं, यह संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि संविधान एक आलेख मात्र नहीं है, अपितु यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। प्रत्येक संविधान की सार्थकता तथा विषय-वस्तु उसके क्रियान्वयन के तरीके तथा उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार, संविधान एक जीवित आलेख होता है।

क्या आप बता सकते हैं कि किसी देश का संविधान किस प्रकार उस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है ?

भारतीय संविधान कैसे निर्मित हुआ ?

भारत का संविधान, जो लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। दीर्घकालीन चाल-चिवाच तथा विचार-विमर्श के उपरान्त भारतवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी

शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तेजी आई। यह युद्ध मई 1945 में समाप्त हुआ। इसी वर्ष जुलाई में इंग्लैंड में नई सरकार सत्ता में आई। इस सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति घोषित की। ब्रिटेन के सम्राट की ओर से संविधान सभा बनाने का उद्देश्य घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान ढूँढने के लिए अपने तीन मंत्रियों को भारत भेजा। इन मंत्रियों का दल "कैबिनेट मिशन" के नाम से जाना जाता है।

कैबिनेट मिशन ने संविधान की रूपरेखा के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली निर्धारित की। भारतीय प्रांतों के लिए नियत की गई 296 सीटों के निर्वाचन का काम जुलाई-अगस्त 1946 में पूरा कर लिया गया। भारत के स्वतंत्र होने के साथ-साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रभुतासंपन्न संस्था हो गई। सभा ने 9 दिसंबर से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया।

यह सौभाग्य था कि जब भारत स्वतंत्र देश के रूप में उभरा तो यहां सुयोग्य नेताओं का एक विशिष्ट समूह विद्यमान था। इनमें से कुछ नेता जो संविधान सभा के लिए चुने गए थे, अपने कार्य की गंभीरता के प्रति पूरी तरह से राचेत थे। उनकी दूरदर्शिता तथा राजनीतिक अंतर्दृष्टि संविधान में परिलक्षित हुई, जो देश का सर्वोच्च कानून है। विभिन्न संप्रदायों के इन महान पुरुषों तथा महिलाओं को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्त्वपूर्ण काम सौंपा गया। देश के सभी भागों से लोग संविधान सभा में सम्मिलित थे और इस प्रकार इसने भारत का एक लघु रूप धारण कर लिया।

संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न संप्रदायों तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य भी थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने सभा में होने वाले विचार-विमर्श के दौरान



राजेन्द्र प्रसाद

पथ-प्रदर्शन किया। सभा में अनुसूचित जातियों के भी तीस से अधिक सदस्य सम्मिलित थे। फ्रैंक एंथोनी ने ऐंग्लो-इंडियन समुदाय का तथा एच.पी. मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी जैसे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ भी इस सभा के सदस्य थे।



बी.आर. अंबेडकर

सरोजिनी नायडू तथा विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थीं।

राजेन्द्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष चुने गए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर थे।

संविधान सभा की 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतराल में 166 बैठकें हुईं। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। सभा के ख्याति-प्राप्त सदस्यों ने इसके एक-एक करके प्रत्येक अनुच्छेद पर गहरा विचार-विमर्श किया। संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस तथा अमरीका के संविधानों की कुछ विशिष्टताओं का समावेश किया गया।

अध्यापक की सहायता से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमरीका की एक-एक विशेषता ज्ञात कीजिए।

यद्यपि संविधान सभा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी तथापि इसके अधिवेशन प्रेस तथा जनता के लिए खुले रहते थे। समाचारपत्रों को जनता का दृष्टिकोण तथा उनका परामर्श प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार संविधान में भारतवासियों के विचारों एवं उनके अभिमतों का भी समावेश किया गया है।

संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया। 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। क्या आपको स्मरण है कि 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई? इस पाठ के प्रारंभ में लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज के विषय में पढ़कर आपको याद आ जाएगा। संविधान में निहित दर्शन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जिसके विषय में आप आगामी अध्याय में पढ़ेंगे, इन उद्देश्यों में निहित दर्शन को समाहित किया गया है। प्रस्तावना की शब्दावली उन आधारभूत मूल्यों तथा पथ-प्रदर्शक सिद्धांतों को दर्शाती है जिन पर भारत का संविधान आधारित है।

उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

- भारत एक स्वतंत्र, प्रभुतासंपन्न गणराज्य है।
- भारत 'ब्रिटिश भारत' कहे जाने वाले क्षेत्र, भारतीय रियासतों तथा 'ब्रिटिश भारत' और रियासतों के बाहर के उन क्षेत्रों का जो स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, संघ होगा।
- संघ में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं अथवा केंद्र में निहित शक्तियों के अतिरिक्त स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में सरकार तथा प्रशासन की सभी शक्तियों का उपभोग करेंगे।
- स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न भारत संघ तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों की शक्ति का स्त्रोत जनता होगी।
- भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का आश्वासन, कानून के समक्ष स्तर तथा अवसर की समता, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी।
- अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- भारतीय गणतंत्र की भौगोलिक अखंडता तथा इसके भू-भाग, समुद्र तथा वायुमंडल क्षेत्र पर इसकी संप्रभुता की रक्षा न्यायोचित तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी।
- यह राज्य विश्व शांति तथा मानव मात्र के कल्याण की उन्नति में अपना संपूर्ण तथा स्वैच्छिक योगदान करेगा।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

- (i) संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर _____ को पारित किया गया।
- (ii) संविधान सभा की _____ बैठकें हुईं।
- (iii) कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का संकल्प _____ अधिवेशन में किया।
- (iv) राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के _____ थे।
- (v) बी.आर. अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के _____ थे।

2. संविधान किसे कहते हैं ?
3. आपके विचार से लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्त्व अपेक्षाकृत क्यों अधिक होता है ?
4. 1947 तथा 2002 के भारत के राजनीतिक मानचित्रों का अंतर अपने शब्दों में समझाइए।

परियोजना कार्य

- संविधान सभा के सदस्यों के चित्रों का एलबम बनाइए तथा उसे अपने पुस्तकालय में सबके अवलोकनार्थ रखिए।

जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों तथा उसमें निहित सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता कि सरकार द्वारा प्रस्तावना को क्रियान्वित नहीं किया गया है। फिर भी प्रस्तावना संविधान के प्रकाश-स्तंभ की भांति है।


संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले प्रस्तावना के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। 1976 तक प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1976 में इसमें 'समाजवादी,' 'पंथ निरपेक्ष' तथा 'राष्ट्र की एकता तथा अखंडता' शब्द जोड़ दिए गए हैं। जब आप संविधान की विभिन्न विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि संविधान में प्रस्तावना की भावना किस प्रकार परिलक्षित हुई है।

विस्तृत एवं लिखित संविधान

भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। यह बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति

द्वारा बनाया गया है। क्या आपको स्मरण है कि इसको पूरा करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? यदि स्मरण न हो तो पिछले अध्याय को पढ़ कर ज्ञात कीजिए। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 395 धाराएं तथा 8 अनुसूचियां हैं। (बाद में चार अनुसूचियां और बढ़ाई गई हैं।)

विश्व के अन्य किसी संविधान में इतना सूक्ष्म विवरण नहीं दिया गया है जितना कि भारत के संविधान में। संविधान में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे के अतिरिक्त नागरिकता, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व, केंद्र-राज्य संबंध, व्यापार तथा वाणिज्य सेवाएं, निर्वाचन, आपातकालीन उपबंध तथा प्रतिनिधित्व का भी विशद वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय भारत को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हमारे संविधान निर्माता संविधान में ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। वे संविधान के किसी भाग को अस्पष्ट नहीं रखना चाहते थे। उनका विचार था कि कोई भी बात संदेह के घेरे में नहीं रहनी चाहिए। परिणामतः संविधान अत्यंत विस्तृत और विशाल हो गया।



जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए

संशोधन-प्रक्रिया

क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान को 'जीवित आलेख' क्यों कहा जाता है? संविधान सभा के कुछ सदस्य लिखित और विस्तृत संविधान बनाना चाहते थे। वे प्रत्येक विवरण को लिपिबद्ध कर देना चाहते थे जब कि विशेषज्ञों का एक समूह ऐसा भी था जो द्रुत गति से परिवर्तित होते हुए भारतीय समाज के प्रति राचेत था। ऐसे गतिशील समाज को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित सुविस्तृत कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। उनका तर्क

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

था कि संविधान में इस बदलती हुई स्थिति से अनकूलन करने की क्षमता होनी चाहिए। यह संशोधन समुचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पहली प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किए हुए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद संशोधन हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया के अनुसार संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। तत्पश्चात् वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। संशोधन की तीसरी प्रक्रिया सचमुच अत्यंत जटिल है। दूसरी प्रक्रिया में वर्णित संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत के अतिरिक्त संशोधन विधेयक को कुल राज्यों की कम से कम पचास प्रतिशत विधायिकाओं का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

शिक्षक की सहायता से संविधान में दी गई विभिन्न संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित एक-एक विषय का उल्लेख कीजिए।

प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य

संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत प्रभुतासंपन्न राज्य है। यह बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है। आंतरिक रूप से यह अपनी नीतियां निर्धारित कर सकता है। इस कार्य में इसे कोई विदेशी सत्ता आदेशित नहीं कर सकती। भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित करने में भी स्वतंत्र है।

आपके विचार से भारत कब प्रभुतासंपन्न घोषित हुआ ?

भारत एक लोकतंत्र है। जनता सभी स्तरों पर अपनी सरकार को वयस्क मताधिकार द्वारा चुनती है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी कारण से मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है, निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकारी होता है। जाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा शिक्षा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

प्रारंभ में भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। बाद में यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पता करिए कि ऐसा कब किया गया।

प्रस्तावना में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रधान अर्थात् राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा। ब्रिटेन के सम्राट की भांति राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है।

समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष राज्य

संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी पंथ-निरपेक्ष राज्य कहा गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा यहां के नागरिकों को राजनीतिक समता प्रदान की गई है। परंतु सामाजिक तथा आर्थिक समता के अभाव में समता का अधिकार अधूरा ही है। भारत ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करेगा जिसमें व्यक्तियों के बीच आर्थिक असमता अधिक न हों।

भारत एक पंथ-निरपेक्ष राज्य है। धार्मिक विश्वासों में विभिन्नता के बावजूद कानून की दृष्टि में सभी नागरिक

समान हैं। सरकार ऐसी नीतियां नहीं बना सकती जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों में धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करती हो।

संघात्मक विशेषताएं

आप जानना चाहेंगे कि संघात्मक सरकार किसे कहते हैं? संघात्मक सरकार में सरकारों के दो स्तर होते हैं – संघ सरकार (भारत के संविधान में 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया है।) तथा राज्यों की सरकारें। संविधान में दोनों प्रकार की सरकारों के कार्य-क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है।

किंतु भारत के संविधान में 'संघात्मक' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि 'भारत राज्यों का संघ है'। संविधान में उन विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है जिनके संबंध में केंद्र तथा राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों की सीमा-रेखा विभिन्न विषयों की सूची बनाकर सुनिश्चित कर दी गई है। इन सूचियों को 'केंद्र सूची', 'राज्य सूची' तथा 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्त्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश संबंध, आणविक ऊर्जा, बैंकिंग, डाक-तार आदि केंद्र सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची में जिन विषयों का उल्लेख है उन पर राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं। पुलिस, स्थानीय स्वशासन, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं। शक्ति-विभाजन की किसी संदिग्धता से बचने के लिए संविधान में एक तीसरी सूची भी दी गई है जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। इस सूची के विषय - केंद्र और राज्य - दोनों सरकारों के लिए समान महत्त्व के हैं। सामान्यतया इस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य - दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। किंतु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोधाभास हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। इस सूची में दीवानी तथा फौजदारी दंड प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन तथा ट्रेड यूनियन जैसे विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। हमारे संविधान निर्माता दोनों सरकारों के बीच शक्ति-विभाजन को अधिक

सुनिश्चित कर देना चाहते थे। अतः तीनों सूचियों के अतिरिक्त उन्होंने 'अवशिष्ट शक्तियों' का भी प्रावधान कर दिया है। वे विषय जो शक्ति-विभाजन में सम्मिलित नहीं हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। यह सोचा गया कि कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में न हों। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है।

अन्य संघों से भिन्न, भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्र अधिक लाभप्रद स्थिति में है। केंद्र सूची में विषयों की संख्या भी अधिक है तथा वे विषय राष्ट्रीय महत्त्व के हैं। समवर्ती सूची पर भी केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। क्या आप बता सकते हैं, कैसे? शक्ति-विभाजन के अतिरिक्त किसी संघ में सामान्यतया दोहरी नागरिकता होती है। संयुक्त राज्य अमरीका एक संघ है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य का भी नागरिक है और अपने संबंधित राज्य का भी। किंतु भारत में केवल इकहरी नागरिकता है। निर्वाचन के समय यहां पर नागरिक एक व्यक्ति अथवा भारतवासी के रूप में मतदान करता है न कि बंगाली, पंजाबी, तमिल अथवा गुजराती के रूप में। संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिन्हें आपातकालीन प्रावधान कहा जाता है। इसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनमें आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आपातकाल में केंद्र को और अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिनका अध्ययन आप आगे करेंगे।

संसदात्मक प्रणाली

भारत में संसदात्मक सरकार है। इस प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र की विधायिका को पार्लियामेंट अथवा संसद कहा जाता है। संसद द्विसदनात्मक है अर्थात् इसमें दो सदन हैं।

उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां
द्विसदनात्मक विधायिका है।

यद्यपि केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम पर तथा राज्यों का शासन राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, तथापि वास्तविक प्रशासन मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख केंद्र में प्रधान मंत्री तथा राज्यों में मुख्य मंत्री होता है। मंत्रि-परिषद्, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह जनता के प्रतिनिधियों से निर्मित होती है। यही तथ्य विधायिका या संसद को सर्वोच्च बनाता है।

कल्याणकारी राज्य

संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जिसमें राज्य के सारे कार्य जनता के कल्याण की दृष्टि से किए जाते हैं। ऐसे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा कृषि जैसे विषयों को उतना ही महत्त्व दिया जाता है जितना सुरक्षा तथा विदेश संबंध को।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पांच अन्य विषयों के नाम ज्ञात कीजिए जो जनकल्याण से संबंधित हैं।

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। इनके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

आपातकालीन प्रावधान

भारतीय संविधान की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता आपातकालीन उपबंध हैं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब सामान्य परिस्थितियों की भांति शासन चलाना असंभव प्रतीत होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान

दिए गए हैं। आप इन प्रावधानों के विषय में आगामी अध्याय में पढ़ेंगे।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

संविधान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आप पढ़ चुके हैं कि भारत में सरकारों के दो स्तर हैं। यदि दोनों प्रकार की सरकारों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो न्यायपालिका की भूमिका क्रिकेट मैच के अम्पायर की भांति होगी। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका निष्पक्ष होकर निर्णय करेगी। संविधान में व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवाद के मामले (ऐसे मामले जो संविधान से संबंधित हों) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे।

भारत का संविधान अपने विशाल आकार के अनुरूप अनेक विशेषताओं से युक्त है। इस अध्याय में आपने केवल उन विशेषताओं के बारे में जाना है जिनकी सरकार के क्रियाकलापों में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जैसे - मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। इन सबके विषय में आप आगे अध्ययन करेंगे।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्यों है?
2. संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं?
3. भारत का संघात्मक स्वरूप अन्य संघों से किस प्रकार भिन्न है?
4. संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है?
5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
 - (i) समवर्ती सूची
 - (ii) अवशिष्ट शक्तियां
 - (iii) प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
 - (iv) समाजवादी पंथ-निरपेक्ष राज्य
 - (v) कल्याणकारी राज्य

परियोजना कार्य

- अपने विद्यालय के पुस्तकालय से संविधान की प्रति प्राप्त कीजिए। चार्ट पेपर पर संविधान के एक भाग, एक अनुच्छेद तथा एक सूची को अंकित करिए तथा उसे अपनी कक्षा में लगाइए।

सरकार

कार्यपालिका तथा विधायिका

पिछले अध्याय में आपने भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आप जानते हैं कि भारत एक संघ है। जहां एक सरकार केंद्र में है तो वहीं दूसरी ओर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें हैं। इन सरकारों का गठन तथा कार्य संसदात्मक शासन प्रणाली के मानदंडों तथा परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं। केंद्र तथा राज्यों की सरकारों के तीन अंग होते हैं – कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इस पाठ में हम कार्यपालिका तथा विधायिका के विषय में विचार करेंगे। हम सरकार की कार्यप्रणाली में लोक सेवाओं की भूमिका के संबंध में भी विचार करेंगे।

संघ की कार्यपालिका

केंद्र की कार्यपालिका, जिसे संघ कार्यपालिका भी कहते हैं, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-परिषद् को मिलाकर बनती है।

राष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। संघ की महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती हैं। कार्यपालिका द्वारा सारे कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं। वह राज्य का प्रधान होता है और भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

योग्यताएं, निर्वाचन तथा कार्यकाल

राष्ट्रपति भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ब्रिटेन जैसे देशों में राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता वरन् वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। भारत में राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है।

भारत का नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है। उसे संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद प्राप्त न हो तथा उसमें लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता हो।

राष्ट्रपति का चुनाव एक समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। इस निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधान सभाओं तथा संसद के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित रहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है।

राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अवधि समाप्त होने पर वह दुबारा भी चुनाव लड़ सकता है। उसे प्रतिमाह 50,000 रु. वेतन के रूप में मिलता है। यह वेतन उसके कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति संविधान की मर्यादा (परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण) बनाए रखने की शपथ लेता है।

कार्यकाल समाप्त होने के पहले राष्ट्रपति को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 'महाभियोग' कहते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान की अवहेलना करने के आरोप पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाकर प्रारंभ की जा सकती है। आरोप एक नोटिस के रूप में होता है जिस पर सदन की कुल संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह नोटिस राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया जाता है और उसके चौदह दिन बाद उस पर विचार किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पारित हो जाने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है जो आरोपों की जांच करता है। इस प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर अपने बचाव में तर्क तथा तथ्य उपस्थित करने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर अपदरथ कर दिया जाता है।

राष्ट्रपति को अपदरथ करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल बनाई गई है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति की शक्तियां

राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह साधारण काल तथा आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।

किंतु इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है।

कार्यपालिका संबंधी शक्तियां

संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। वह लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री की सलाह से वह मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का वितरण करता है। मंत्रि-परिषद् अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रह सकती है। परंतु वास्तविकता यह है कि मंत्रि-परिषद् लोक सभा के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकती है। जब तक मंत्रि-परिषद् को लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति रक्षा सेनाओं का भी प्रधान होता है। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है तथा अन्य देशों से संधियां कर सकता है।

राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। वह राज्यपालों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा रादरस्यों को नियुक्त करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत तथा उच्चायुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे देशों के राजदूत एवं उच्च आयुक्त अपना प्रमाण-पत्र राष्ट्रपति के सामने ही प्रस्तुत करते हैं।

न्यायिक शक्तियां

कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है तथा क्षमादान भी कर सकता है। कोई ऐसा प्रश्न जो कानून संबंधी व्याख्या अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित हो, उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परंतु परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है।

विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को आमंत्रित करता तथा उनका सत्रावसान करता है। वह लोक सभा को भंग कर सकता है। उसके ये अधिकार औपचारिक हैं। वह इन अधिकारों का प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् की

सलाह से ही करता है। निर्वाचन के उपरांत तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में वह उद्घाटन भाषण प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर दिए गए अभिभाषण में वह सरकार की नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती। वित्त विधेयक के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। परंतु यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार किसी विषय पर कानून का बनाना आवश्यक समझे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने की तिथि से छः सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश संसद द्वारा स्वीकृत नहीं होता है तो छः सप्ताह बाद उसकी वैधता स्वतः समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से वार्षिक बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई धन विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

आपातकालीन शक्तियां

असामान्य और असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत के संविधान में तीन प्रकार के संकटों का उल्लेख किया गया है :

- (i) युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट ;
- (ii) किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकट ; तथा
- (iii) वित्तीय स्थिरता अथवा भारत की साख के लिए संभावित खतरे से उत्पन्न संकट।

युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट

यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वह संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भू-भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वह इस प्रकार की घोषणा मंत्रि-परिषद् की लिखित संसूचना पर ही कर सकता है। इस घोषणा को एक माह के अंदर संसद का अनुमोदन मिल

जाना चाहिए। इस आपातकालीन घोषणा के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पहला यह कि नागरिकों के मूल अधिकार नियंत्रित अथवा निलंबित किए जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। दूसरा यह कि इस काल में सामान्य संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आपातकाल में देश के प्रशासन का संचालन एकात्मक व्यवस्था की भांति किया जाता है। आपातकाल में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है तथा संघ कार्यपालिका राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकती है, परंतु यदि संसद की स्वीकृति मिल जाए तो उसकी छः माह के लिए पुनः उद्घोषणा की जा सकती है।

राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकट यदि संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट द्वारा अथवा किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चला पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो वह उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के उपरांत राष्ट्रपति विधान सभा को भंग या निलंबित कर सकता है और कार्यपालिका के समस्त कार्य अपने हाथ में ले सकता है। इस काल में संसद, राज्य के लिए कानून बना सकती है और राज्य के लिए बजट भी पारित कर सकती है। राज्य का शासन राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल करता है। इस प्रकार के संकट की उद्घोषणा को दो माह के अंदर संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। “राष्ट्रपति शासन” छः माह तक प्रभावी रहता है। संसद का अनुमोदन प्राप्त करके इसे छः माह तक और बढ़ाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार का आपातकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

वित्तीय संकट

यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय स्थिरता अथवा आर्थिक साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसे संकट के समय में राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकता है। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। वह राज्य को वित्त से संबंधित मामलों में कुछ विशेष नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

भारत के राष्ट्रपति के उपर्युक्त अधिकारों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्वाधिक शक्तिसंपन्न कार्यपालक अधिकारी है। किंतु संविधान में उसके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् की सलाह से ही करेगा। व्यवहार में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधान मंत्री करता है और सभी मंत्रालयों से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं।

उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा उसकी अस्वस्थता की दशा में राष्ट्रपति के सभी कार्य उप-राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक उस पद पर उप-राष्ट्रपति कार्य करता है। यह निर्वाचन पद रिक्त होने के छः माह के अंदर हो जाना चाहिए। उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन एक “निर्वाचक मंडल” द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल रहते हैं। वह पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। उप-राष्ट्रपति वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो और वह राज्य सभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।

प्रधान मंत्री

प्रधान मंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। किंतु इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार में सर्वाधिक शक्तिशाली पद प्रधान मंत्री का है।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जो लोक सभा में बहुमत दल का नेता होता है। किंतु जब किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति लोक सभा के कई दलों के गठबंधन से निर्मित बहुमत का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है अथवा लोक सभा के सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है जिसे लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधान मंत्री मंत्रि-परिषद्

के सदस्यों का चयन करता है जिनकी औपचारिक रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधान मंत्री मंत्रियों के विभाग आवंटित करता है तथा किसी मंत्री को अपदस्थ भी कर सकता है। वह मंत्रि-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करता है। प्रधान मंत्री, योजना आयोग का, जो योजना निर्माण की केंद्रीय संस्था है, अध्यक्ष होता है। मंत्रि-परिषद् में प्रधान मंत्री की श्रेष्ठ स्थिति के कारण संपूर्ण सरकार उसी के नाम से जानी जाती है।

मंत्रि-परिषद्

मंत्रि-परिषद् का मुखिया प्रधान मंत्री होता है। इसमें तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं। एक श्रेणी कैबिनेट मंत्रियों की होती है जो अत्यधिक महत्त्व वाले मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। दूसरी श्रेणी राज्य मंत्रियों की होती है जिनके पास किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है अथवा जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तीसरी श्रेणी उपमंत्रियों की होती है जो कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों के लिए संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधान मंत्री अथवा मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं है तो उसके लिए नियुक्ति की तिथि से छः मास के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।

मंत्रिगण अपने मंत्रालय एवं उनके विभागों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व उन्हें प्रधान मंत्री के माध्यम से सौंपा जाता है। मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में तभी तक रह सकती है जब तक उसे लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि लोक सभा मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रि-परिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रि-परिषद् में लिए गए निर्णयों के लिए पूरी मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोक सभा किसी विशेष प्रकरण पर सरकार की नीति को अस्वीकार कर देती है तो केवल उसी विभाग का मंत्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता वरन् पूरी मंत्रि-परिषद् अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे देती है।

राज्य की कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री सहित मंत्रि-परिषद् को मिलाकर बनती है।

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् की सलाह से करता है। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। भारत का कोई नागरिक, जिसकी आयु 35 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। उसे अपने पद से कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी हटाया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित रहती हैं। वह मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्य मंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है।

राज्यपाल को महत्त्वपूर्ण विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। वह राज्य की विधायिका के सत्रों को आहूत करता तथा उनका सत्रावसान करता है। वह किसी राज्य की विधान सभा, उसकी अवधि समाप्त होने के पहले भी भंग कर सकता है। प्रत्येक निर्वाचन के बाद के तथा प्रत्येक वर्ष विधान सभा के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही कानून बन सकता है।

आपातकाल की अवधि में जिसे 'राष्ट्रपति शासनकाल' कहा जाता है, राज्यपाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण शक्तियों का उपभोग करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा तभी करता है जब राज्यपाल उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना उसे देता है। इस अवधि में वस्तुतः राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल ही करता है।


राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् ही करती है। परंतु राज्यपाल अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक भी कर सकता है।

मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद्

संविधान में राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई है जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होता है। मुख्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्य मंत्री बनाता है। यदि विधान सभा में किसी एक दल का बहुमत न हो तो संयुक्त दलों के नेता को, जो अपना बहुमत स्थापित कर सके अथवा विधान सभा में सबसे बड़े दल के नेता को जो विधान सभा का समर्थन प्राप्त कर सके, मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करता है। मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति वह मुख्य मंत्री के परामर्श से करता है। व्यवहार में, राज्यपाल में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जाता है।

विधायिका

केंद्र में विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद द्विसदनात्मक विधायिका है क्योंकि इसमें दो सदन होते हैं। प्रथम अथवा निचले सदन को लोक सभा अथवा “हाऊस ऑफ पीपुल” कहा जाता है। दूसरा अथवा उच्च सदन राज्य सभा अथवा “काउंसिल ऑफ स्टेट्स” कहलाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों का गठन भिन्न प्रकार से किया जाता है। उनकी शक्तियां भी समान नहीं हैं।



संसद

लोक सभा के सदस्यों की संख्या स्थिर कर दी गई है

संविधान की मूल व्यवस्था में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई थी कि यथासंभव प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या तथा उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक समान रहे। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण मूल व्यवस्था में निश्चित की गई प्रतिनिधि संख्या में भी वृद्धि होती गई। लोक सभा के सदस्यों की संख्या भी 500 से बढ़कर 550 तक हो गई। जिन राज्यों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक गति से बढ़ी वे लाभ की स्थिति में हो गए और जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया गया वे घाटे में रहे। इसी कारण संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर लोक सभा के सदस्यों की संख्या 2001 तक के लिए निश्चित कर दी गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार स्थिरता की यह सीमा 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई ताकि राज्य की सरकारों को जनसंख्या संतुलित रखने का प्रयास करने की प्रेरणा मिले।

लोक सभा

लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। इसमें 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते। इनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। चुने हुए सदस्यों के अतिरिक्त लोक सभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। यदि लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व न मिला हो तो राष्ट्रपति

इस समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कुछ सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

सभी भारतीय नागरिकों को, जिनकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है, मत देने का अधिकार है। यही नागरिक लोक सभा के सदस्यों को चुनते हैं। लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

लोक सभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष का होता है। आपातकाल में यह कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद कार्यकाल छः माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा निर्धारित पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी भंग की जा सकती है।

लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर)

लोक सभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष (स्पीकर) तथा एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुनते हैं। यह अध्यक्ष लोक सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है तथा उसके कार्यों का संचालन करता है। वह किसी भी दल का सदस्य हो सकता है। परंतु एक बार अध्यक्ष हो जाने के बाद वह कार्य का संचालन निष्पक्षतापूर्वक करता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है। सदन में मतदान के समय वह अपना मत नहीं दे सकता है। किंतु यदि दोनों पक्षों के मत बराबर हों तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोक सभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है।

राज्य सभा

राज्य सभा संसद का उच्च सदन है। इस सदन के माध्यम से राज्य केंद्र के विधायी क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। उनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। केंद्रशासित

क्षेत्रों में जहां विधान सभाएं नहीं हैं वहां के प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सभा स्थायी सदन है। यह भंग नहीं की जा सकती। प्रत्येक दो वर्ष पर इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत का उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति भी चुनते हैं।

संसद की शक्तियां एवं कार्य

संसद को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह साधारण और धन विधेयक दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है। धन विधेयकों के संबंध में राज्य सभा की अपेक्षा लोक सभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति मुख्यतया संसद के पास है। यह भी अनिवार्य है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा उसका सत्र प्रारंभ होने पर शीघ्र से शीघ्र अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को भी संसद का अनुमोदन मिलना आवश्यक है।

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। भारत का उप-राष्ट्रपति लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर अपदस्थ कर सकती है। उप-राष्ट्रपति को भी राज्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर लोक सभा का समर्थन प्राप्त करके हटाया जा सकता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाए जा सकते हैं जब संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें।

संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। यह वह स्थान है जहां सरकार को अपनी नीतियों का लेखा-जोखा देना पड़ता है। जब भी कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो सदस्यगण को सरकारी नीतियों के गुण-दोषों की विवेचना करने का अवसर मिल जाता है। सरकार की नीतियों के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है।

संसद अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ नियमों का पालन करती है। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव “अविश्वास प्रस्ताव” होता है। विपक्षी दल इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत

करता है कि लोक सभा का मंत्रि-परिषद् पर विश्वास समाप्त हो गया। यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के विपक्ष में मत देता है तो मंत्रि-परिषद् अपने पद पर बनी रहती है किंतु यदि सदन का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करता है तो मंत्रि-परिषद् को त्यागपत्र देना पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव पर सरकार सदन से पक्ष में मत देने के लिए कहती है। सामान्यतया इन दोनों स्थितियों में सरकार तथा विपक्ष - दोनों को सरकार की प्रशंसा तथा आलोचना करने का अवसर मिल जाता है।

उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त और भी कई विधियों से संसद रादस्य, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि। इन प्रस्तावों में रादस्यगण अध्यक्ष से किसी प्रकरण विशेष पर विचार-विमर्श करने की अनुमति मांगते हैं।

इस संबंध में प्रश्नकाल विशेष तौर पर महत्त्वपूर्ण होता है। चूंकि मंत्रीगण विभिन्न सरकारी विभागों के प्रधान होते हैं इसलिए रादस्यगण उनसे संबंधित विभागों के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्यतया प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न लिखकर सदन के सचिव को दे देता है। सामान्यता मंत्री वांछित सूचना संबंधित विभाग से एकत्र करने के लिए समय मांग लेता है। यदि कोई रादस्य अपने प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने प्रश्न को तारांकित करना होता है। ऐसे प्रश्न “तारांकित प्रश्न” कहे जाते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से वह मंत्री द्वारा सदन में दिए गए उत्तर से संबंधित कुछ अन्य प्रासंगिक सूचना भी मांग सकता है। ऐसे प्रश्नों को “पूरक प्रश्न” कहते हैं। “तारांकित प्रश्नों” के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। मंत्रियों द्वारा दिए गए इन सभी प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों के उत्तर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।

विधायी प्रक्रिया

कानून के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। कोई विधेयक जब तक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पारित नहीं हो जाता तब तक उसे कानून नहीं कहा जा सकता।

साधारण विधेयक

साधारण विधेयक संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक किसी मंत्री अथवा सदन के किसी अन्य निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत

किया जा सकता है। साधारण विधेयक की प्रस्तुति के बाद उसके तीन वाचन होते हैं।

प्रथम वाचन में संबंधित मंत्री अथवा निजी सदस्य सदन से विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है। इस स्तर पर किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होता है। केवल विधेयक का उद्देश्य समझा दिया जाता है।

द्वितीय वाचन के प्रथम चरण में विधेयक पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात् या तो विधेयक एक समिति को सौंप दिया जाता है अथवा उसकी प्रतियां सदस्यों में वितरित कर दी जाती हैं। द्वितीय वाचन में विधेयक की एक एक धारा पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

तृतीय वाचन में विधेयक को अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए सदन के सम्मुख रखा जाता है। उसके बाद संपूर्ण विधेयक पर मतदान किया जाता है। यदि विधेयक सदन में साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को पुनः उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब संसद के दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

यदि विधेयक के संबंध में दोनों सदन में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक आमंत्रित करता है जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है।

दोनों सदन से पारित हो जाने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन किए पुनः दोनों सदन से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद विधेयक कानून बन जाता है।

धन विधेयक

संविधान में धन विधेयक को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति की राहमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह विधेयक पहले लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है

अथवा नहीं, इसका निर्णय लोक सभा का अध्यक्ष करता है। जब धन विधेयक लोक सभा से पारित हो जाता है तो राज्य सभा के पास भेजा जाता है। अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सभा को विधेयक 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा।

राज्यों की विधायिका

प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है। कुछ राज्यों की विधायिका में दो सदन होते हैं। निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है और उच्च सदन को विधान परिषद् कहते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन अर्थात् विधान सभा है।

विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की सदस्य संख्या में भिन्नता है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार किसी भी विधान सभा में 500 से अधिक अथवा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष अथवा उरसे अधिक हो, विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है किंतु उसे कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। विधान सभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुन लेते हैं।

विधान परिषद् का गठन भिन्न प्रकार से होता है। यह राज्य की विधान सभा से बड़ी नहीं हो सकती। इसके 1/3 सदस्य जिला परिषदों (जिला पंचायतों), नगरपालिका परिषदों तथा नगर महापालिकाओं जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य राज्य के स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज-सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखते हों। भारत का कोई नागरिक जो 30 वर्ष अथवा उरसे अधिक आयु का हो, वह विधान परिषद् का सदस्य चुना जा सकता है। विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद सदन के एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नव-निर्वाचित सदस्य

आते हैं। बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए विधान परिषद् के सदस्य अपने में से ही एक सभापति तथा एक उपसभापति चुन लेते हैं।

जैसा कि आपने संसद के बारे में पढ़ा है, राज्य की विधायिका में भी विधान सभा, विधान परिषद् की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सदन है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक को विधान सभा पारित कर दे और विधान परिषद् उसे अस्वीकृत कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे तीन माह के अंदर विधान सभा को वापस न करे तो विधान सभा उसे फिर से पारित कर सकती है। यदि विधान परिषद् उसे पुनः अस्वीकार कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे या उसे एक माह तक विधान सभा को वापस न करे तो विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ माना जाएगा। धन विधेयक पहले विधान सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। विधान सभा द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक विधान परिषद् में भेजा जाता है। यदि विधान परिषद् उस विधेयक को कुछ परिवर्तन के साथ वापस करती है तो विधान सभा उस परिवर्तन को स्वीकार कर सकती है अथवा अस्वीकृत भी कर सकती है। यदि विधान परिषद् 14 दिन तक कोई संस्तुति नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ मान लिया जाएगा। राज्य की विधायिका द्वारा पारित किया गया विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

नौकरशाही

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार की कार्य-प्रणाली में नौकरशाही की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे लोक सेवा भी कहा जाता है। इसके कुछ काम इस प्रकार हैं : राजस्व संग्रह, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता देना तथा दिन-प्रति-दिन का प्रशासन करना। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के विकास कार्य भी नौकरशाही द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यह देश के विकास से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात् मंत्रीगण अपने पद पर एक विशेष अवधि तक ही रहते हैं किंतु नौकरशाहों द्वारा स्थायी कार्यपालिका निर्मित होती है। उनके द्वारा सरकार में निरंतरता बनी रहती है। चूंकि उनमें व्यावसायिक क्षमता विकसित होती रहती है इसलिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में उनका अत्यधिक सहयोग रहता है। इन लोक सेवकों से

अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे क्योंकि वे विभिन्न समयों पर विभिन्न दलों की सरकारों से संबंधित रहते हैं।

लोक सेवा आयोग

चूंकि भारत एक संघ है इसलिए लोक सेवकों की भर्ती (चयन) दो स्तरों पर होती है : केंद्र में लोक सेवकों का

चयन संघ लोक सेवा आयोग की सहायता से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य के स्तर पर उनका चयन राज्य सरकार के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सहायता से किया जाता है। यद्यपि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयन किया जाता है किंतु चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र और राज्य, दोनों में से किराी के अधीन हो सकती है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य क्या हैं?
2. प्रधान मंत्री की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए।
3. सरकार की शक्तियां क्या हैं?
4. संसद की शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए।
5. संसद में साधारण विधेयक किस प्रकार पारित होता है?
6. राज्य में विधान परिषद् का गठन किस प्रकार होता है?
7. साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के दो प्रमुख अंतर लिखिए।
8. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
 - (i) उप-राष्ट्रपति।
 - (ii) संघ की मंत्रि-परिषद्।
 - (iii) लोक सभा का अध्यक्ष।
 - (iv) राज्य की विधायिका।


परियोजना कार्य

- विद्यालयों में युवा संसद का एक अधिवेशन आयोजित किया जाए। इस कार्य को करने से पहले छात्रों को भली-भांति समझा दिया जाए कि लोक सभा की कार्यवाही किस प्रकार होती है।
- छात्रों को राज्य की विधान सभा अथवा संसद के प्रश्नकाल का अवलोकन करने का अवसर दिया जा सकता है। उनसे अपने अनुभवों की आख्या तैयार करने को कहा जाए तथा उस आख्या से अन्य छात्रों को भी अवगत कराया जाए।
- छात्र किसी ब्लॉक अथवा जिला मुख्यालय में जाकर प्रखंड विकास अधिकारी (B.D.O.) अथवा उप-जिलाधिकारी से उनके कार्य करने के तरीकों के विषय में विचार-विमर्श करें।

भारत की संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर केंद्र तथा राज्यों की सरकारें एक ही समय में साथ-साथ काम करती हैं। संविधान में केंद्र तथा राज्यों के कार्य-क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया है। इसके लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं : संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। परंतु फिर भी विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच विवाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। भारत के संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों या राज्यों के आपसी विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की यह भी जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के अधिकारों का सम्मान एवं सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। वह यह भी देखे कि सरकारें अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य न करें। भारत की न्याय-व्यवस्था अन्य संघ-राज्यों से भिन्न है। भारत में संपूर्ण देश के लिए एकीकृत न्याय-व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय का भारत की न्याय-व्यवस्था में शीर्ष स्थान है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश होते



सर्वोच्च न्यायालय

हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इन नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएं

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है तथा वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह ख्याति-प्राप्त विधिवेत्ता हो। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है।

पदच्युति

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में उसके व्यवहार तथा कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाणों के आधार पर पदच्युति का प्रस्ताव पारित करें तो किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युति का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से जो सदन की कुल संख्या का भी बहुमत हो, पारित होना चाहिए।

वेतन व भत्ते

भारत का मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 33,000 रु. है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 रु. है। उनको कुछ भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। सामान्यतया कार्यकाल में उनके वेतन तथा अन्य सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। अवकाश प्राप्त करने के बाद वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।

क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के होते हैं — प्रारंभिक, अपीलिय तथा परामर्श संबंधी।

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित प्रकार के विवादों के संबंध में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं :

- (i) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- (ii) एक ओर भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों की सरकारों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों की सरकारों के बीच विवाद।
- (iii) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय में तीन प्रकार के वादों की अपील की जा सकती है। प्रथम, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध उस दशा में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाणपत्र दे दे कि उस प्रकरण में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। द्वितीय, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाणपत्र दे दे कि संबंधित मामले में सारगर्भित कानूनी प्रश्न निहित है। तृतीय, फौजदारी मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि किसी फौजदारी मामले में नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित करके छोड़ देने का आदेश दिया हो परंतु अपील होने पर उसी मामले में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सजा दी हो या जब उच्च न्यायालय ने किसी फौजदारी मुकदमें को उसके निर्णय के पहले ही अपने पास मंगा कर उस मामले में अपराधी को मृत्युदंड देने का निर्णय किया हो, तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय स्वयं निचले न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमें में कानून की व्याख्या में सारगर्भित प्रश्न निहित है तो वह उसे अपने पास मंगवा सकता है। रांसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि भी कर सकती है।

परामर्श का क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार है। देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण राष्ट्रपति किसी मामले में इस न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी न्यायालय में कानूनी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रश्न आया हो अथवा उसके आने की संभावना है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर विचार करके अपनी सलाह राष्ट्रपति को देगा। परंतु उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश भर में सरकार को लागू करने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में शक्ति प्रदान करता है।

अभिलेख न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि इस न्यायालय के सभी निर्णयों को अभिलेख (रिकार्ड) के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन निर्णयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में पूर्ववर्ती उदाहरण (नज़ीर) के रूप में उद्धृत किया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वह अपनी मानहानि के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है।

उच्च न्यायालय

साधारणतया प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। किंतु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। उदाहरण के लिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीश भी इसी

प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परंतु उनकी नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। न्यायाधीश अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए जा सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पदच्युत किए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो अथवा दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में ख्याति-प्राप्त विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 30,000 रु. तथा अन्य न्यायाधीशों को 26,000 रु. प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। साधारणतया उनके कार्यकाल में उनके वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती।

क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं – प्रारंभिक, अपीलीय तथा प्रशासनिक। यदि किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा सरकार द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय उससे संबंधित निर्देश, आदेश या 'रिट' जारी कर सकता है। संसद अथवा विधान सभा या स्थानीय स्वशासन संस्था के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह न्यायालय, दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का भी निर्णय करता है। इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं जिनके अंतर्गत यह दीवानी और फ़ौजदारी मामलों में अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय अभिलेख का भी न्यायालय है यह अपने निर्णयों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति को अपनी मानहानि के लिए दंडित कर सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय

कुछ मामूली स्थानीय भिन्नताओं के अलावा पूरे देश में अधीनस्थ न्यायालयों का गठन तथा कार्य एक समान है।

सभी अधीनस्थ न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय की देख-रेख में कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें हैं। जिले में जिला न्यायाधीश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है और जब फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इन न्यायालयों के अलावा उप-न्यायाधीश (सब-जज), मुंसिफ के न्यायालय तथा लघुवाद संबंधी न्यायालय भी होते हैं। जिले में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के भी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) होते हैं।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। कोई भी व्यक्ति जो सात वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा जो संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, उसे जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य पदों पर नियुक्तियां उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। ऐसी नियुक्तियों के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना आवश्यक है। जिला न्यायाधीश, उप-न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। यह संपत्ति, विवाह तथा तलाक के मुकदमों को सुनता है। ऐसे मामलों में जिला न्यायालय, अवयस्क तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के संरक्षण के विषय में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेषकर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा को देखते हुए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रहे। न्यायपालिका में सरकार के प्रति पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर भली-भांति सुनिश्चित की गई प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। उन्हें कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता। उनकी नियुक्ति निश्चित समय के लिए की जाती है। उनके पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों द्वारा उनके पद से

संबंधित कर्तव्यों के बारे में संसद अथवा विधान सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। उनके कार्यकाल में उनके वेतन-भत्तों में उनके हितों के विरुद्ध परिवर्तन अथवा कमी नहीं की जा सकती।

लोक अदालतें तथा जनहित याचिकाएं

निर्धन तथा दलित वर्ग को शीघ्र तथा सुगमतापूर्वक न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। न्याय में विलंब समाप्त करने के लिए लोक अदालतों

तथा जनहित याचिकाओं की व्यवस्था की गई हैं। लोक अदालतें लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण कर देती हैं। ये ऐसे मामलों का भी निपटारा कर देती हैं जो न्यायालयों में प्रस्तुत तक न किए गए हों। उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था करके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। इस व्यवस्था में व्यक्ति आवेदन पत्र देकर अथवा पोस्टकार्ड पर डाक द्वारा अपनी शिकायत भेज सकता है और उस संबंध में आवश्यक आदेश पारित किए जाते हैं।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है ?
2. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
3. उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है ?
4. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
 - (i) उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार
 - (ii) अधीनस्थ न्यायालय
 - (iii) अभिलेख न्यायालय
 - (iv) न्यायपालिका की स्वतंत्रता
 - (v) लोक अदालत

परियोजना कार्य

- छात्रों को उपमंडलीय / जिला कार्यालय / उच्च न्यायालय ले जाया जाए जहां वे न्यायालय की कार्य-प्रणाली का अवलोकन करें तथा उसकी आख्या तैयार करें। विद्यालय के अन्य छात्रों के साथ उसकी चर्चा भी करें।

क्या आप जानते हैं कि चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों तथा अन्य खतरे वाले स्थानों पर काम करते हैं? क्या आप ऐसे स्थानों पर बच्चों के काम पर लगाए जाने का विरोध नहीं करना चाहेंगे? आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं?

नीचे की कक्षाओं में आपने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के विषय में पढ़ा है। संकट के समय में ये मूल अधिकार आपकी रक्षा कर सकते हैं। ये मूल अधिकार क्या हैं?

लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहां के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान में 'छः' मूल अधिकारों का आश्वासन दिया गया है। ये अधिकार संविधान के अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग हैं। संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्नलिखित हैं :

- (i) समता का अधिकार
- (ii) स्वतंत्रता का अधिकार
- (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- (v) संस्कृति और शिक्षा-संबंधी अधिकार
- (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

ये अधिकार 'मूल' क्यों कहे जाते हैं?

ये अधिकार मौलिक एवं आधारभूत हैं। सभी व्यक्तियों को इनका उपभोग करने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान द्वारा आश्वासित किए गए हैं। लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक के संतुलित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। यदि किसी नागरिक को इन अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये कुछ महत्त्वपूर्ण कारण हैं जो इन अधिकारों को मौलिक बनाते हैं ताकि बच्चों का अच्छे मानव के रूप में विकास हो सके।

समता का अधिकार

संविधान में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का संरक्षण समान रूप से

प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, समता के अधिकारों में यह बात निहित है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। नियुक्तियां करने में भी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। समता के अधिकार के आश्वासन के वावजूद सरकारी सेवाओं में आरक्षण के रूप में विशेष प्रावधान किया गया है। आरक्षण की यह व्यवस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए की गई है। इसी प्रकार स्त्रियों तथा बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। हमारे समाज में आज भी विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार कुछ लोग असमानता के व्यवहार का शिकार होते हैं। वस्तुतः विशेष प्रावधानों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी के स्तर पर लाकर उन्हें अन्य लोगों की समानता पर लाने का प्रयास किया गया है।

समता के अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता को अपराध माना गया है। अस्पृश्यता को व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। इसी अधिकार के अंतर्गत सेना और शिक्षा की उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की उपाधियों की परंपरा समाप्त कर दी गई है।

स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार वस्तुतः निम्नलिखित छः अधिकारों का समूह है :

- (i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- (ii) बिना शस्त्र लिए हुए शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता
- (iii) सामुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता
- (iv) भारत राज्य के किसी क्षेत्र में स्वेच्छा से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता
- (v) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता
- (vi) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता।

इसके अतिरिक्त, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को प्राण तथा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया है।

स्वतंत्रता का अधिकार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारों का आश्वासन देता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय प्रचलित कानून द्वारा निश्चित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो या कोई अपराध किया हो। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बंदी बनाए जाने पर किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करना होगा। परन्तु इस सामान्य व्यवस्था का एक अपवाद भी है। निवारक निरोध के अंतर्गत सरकार कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए बिना बंदी बना सकती है। यह निवारक निरोध क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार को संदेह हो कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए शांति व्यवस्था अथवा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो उस संभावित खतरे को रोकने के लिए उस व्यक्ति को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। परन्तु ऐसा तीन माह से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता। तीन माह के पश्चात् निवारक निरोध के मामले को समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

संविधान द्वारा इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा अखंडता के हित में सरकार इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसी प्रकार सरकार नैतिकता तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था के हित में भी स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

क्या आपने कभी 'बलात् श्रम' अथवा 'बेगार' शब्द सुना है? प्रारंभिक समय में जमींदार लोग या अन्य धनी वर्ग के लोग साधारण व्यक्तियों से बिना पारिश्रमिक दिए हुए काम करवाया करते थे। इसी को 'बलात् श्रम' या 'बेगार' कहा जाता था क्योंकि इस श्रम के बदले में कोई मज़दूरी नहीं मिलती थी। अब बेगार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है जो कानून द्वारा दंडनीय है।

संविधान ने 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में काम करवाना वर्जित कर दिया है। बच्चे समाज की सम्पत्ति हैं। अतः जब तक वे छोटे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा आनंदपूर्ण बचपन बिताने का अवसर दिया जाना चाहिए। व्यवहार में हम उनको बहुत कम वेतन पर काम करता हुआ देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बालश्रम सरता होता है। बच्चे व्यस्कों के बराबर काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है। यह संविधान में दिए गए प्रावधानों और भावनाओं का घोर उल्लंघन है। आधुनिक काल में व्यक्तियों को इस कार्य के प्रति सतर्क और जागरूक होने तथा इसके विरुद्ध जनमत निर्मित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का शोषण नागरिक चेतना द्वारा कम किया जा सकता है। ऐसी चेतना से बच्चों के अधिकारों का संरक्षण होगा। आधुनिक काल के बच्चों के संरक्षण के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कानूनी शस्त्र की भांति है। यह कानूनी शस्त्र इसलिए है क्योंकि यदि इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को धर्मपालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे तथा किसी भी धर्म को दूरारे धर्म पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपने धर्म पालन के लिए स्वतंत्र होंगे। इस अधिकार का सबसे मुख्य उद्देश्य देश में पंथ-निरपेक्षता के सिद्धांत को प्रोत्साहित करना है। राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक संप्रदाय अपनी निजी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। वस्तुतः अनेक शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार के दान से ही संचालित की जाती हैं। परन्तु इन संस्थाओं के क्रियाकलापों का आधार धर्म नहीं हो सकता। वहां के क्रियाकलाप सरकार द्वारा निश्चित किए गए नियमों के अनुसार ही संपन्न किए जाते हैं। परोपकारी संस्थाओं की स्थापना को सार्वजनिक कानून-व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

भारत अनेक धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है। इसलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसी भी समुदाय को

अपनी भाषा तथा अपनी लिपि की रक्षा करने का अधिकार है। सरकारी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं में किसी नागरिक के प्रवेश में भाषा अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माने जाने वाले समुदाय अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। यह कार्य उनकी अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं विकास में सहायक होते हैं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशेष प्रकार का अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि इन मूल अधिकारों में से किसी भी अधिकार को वंचित किए जाने की दशा में न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय एक प्रहरी की भांति होता है। यदि सरकार किसी नागरिक के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग अन्यायपूर्ण ढंग से करती है अथवा उसे गैर-कानूनी ढंग से बिना किसी कारण के दंडित करती है अथवा बंदी बना लेती है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पीड़ित व्यक्ति को सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्य के विरुद्ध न्यायालय से न्याय पाने में सशक्त बनाता है।

संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बंदी बनाए जाने की स्थिति में नागरिक न्यायालय से प्रार्थना-पत्र देकर पूछ सकता है कि क्या उसकी गिरफ्तारी देश के कानून के अनुकूल है? यदि न्यायालय समझता है कि ऐसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में जाने की विभिन्न विधियां हैं। इसके लिए न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है। ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण कहे जाते हैं। अन्य मूल अधिकारों की भांति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में भी एक महत्त्वपूर्ण अपवाद है। जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा यह अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के बाद यह अधिकार फिर से प्रभावी हो जाता है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व

“लोकतन्त्र” केवल राजनीतिक शब्द नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ “जनता की सरकार” अथवा “जनता के प्रतिनिधियों की सरकार” जैसे अर्थों से कहीं अधिक व्यापक है। लोकतंत्र का उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का सृजन करना है जिनमें रहकर कोई नागरिक अच्छा जीवन

व्यतीत कर सकता है। इस दिशा में संविधान में दिए गए नीति-निदेशक तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति-निदेशक तत्त्व वस्तुतः केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए वे निर्देश हैं जिनके आधार पर ये सरकारें ऐसी नीतियां बनाएंगी जो देश में न्यायसंगत समाज की स्थापना करने में सहायक होंगी। इनमें से कुछ सिद्धांत सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के रूप में हैं। नीति-निर्देशक तत्त्वों की सूची में काम पाने का अधिकार, चौदह वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा जीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार सम्मिलित हैं। ये अधिकार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और आज के भारतीय नागरिकों को इनके उपभोग की बड़ी आवश्यकता है।

सभी नीति-निदेशक तत्त्वों का स्वरूप सामाजिक एवं आर्थिक नहीं है। उनमें से कुछ विभिन्न मामलों में सरकार को दिए गए निर्देश हैं। उदाहरण के लिए संविधान में कहा गया है कि राज्य संपत्ति को केंद्रित होने से रोकने का प्रयास करेगा। राज्य सुनिश्चित करेगा कि कारखानों से संबंधित निर्णय लेने में वहां के श्रमिकों की भी भागीदारी हो। राज्य, पंचायती राज संस्थाओं की उन्नति तथा उनका विकास करेगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुपालन की उन्नति करेगा तथा गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध तथा मद्यपान को रोकने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों की उन्नति, वन, देश के वन्यजीवों तथा प्राचीन स्मारकों की रक्षा की भी आवश्यकता है। अंततः, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य को सदैव ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास हो सके तथा विश्वशांति बनी रहे।

क्या नीति-निदेशक तत्त्वों से वंचित किए जाने पर कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। मूल अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर है। मूल अधिकार से वंचित किए जाने पर व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि नीति-निदेशक तत्त्व निरर्थक तथा संविधान की सजावट मात्र है? पुनः इसका उत्तर नकारात्मक है। क्या दोनों कथनों में विरोधाभास है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीति-निदेशक तत्त्व ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे नागरिकों का जीवन सुविधापूर्ण तथा सार्थक बनता है। यदि सरकार इन दशाओं का सृजन करने में असफल रहती है तो नागरिकों को स्वतंत्रता रहती है कि आगामी निर्वाचन में उसके विरुद्ध मतदान करके नई सरकार निर्वाचित करें। मतदाता की इस शक्ति के कारण

नीति-निदेशक तत्त्व यथार्थ में बदल जाते हैं। इस इक्कीसवीं सदी में, नागरिक मानवों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के प्रति सचेत हैं। अतः हमारे नीति-निर्माताओं को इस स्थिति को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करना चाहिए ताकि हमारा जीवन जीने योग्य बन जाए। केवल मूल अधिकारों से ही नहीं बल्कि उनके साथ-साथ नीति-निदेशक तत्त्वों का सामंजस्य स्थापित करके सरकार ऐसे समाज का सृजन कर सकती है जिसमें न्याय तथा कल्याण का वातावरण सुनिश्चित हो सके।

मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संवैधानिक दायित्व हैं। वस्तुतः ये सामाजिक और नैतिक दायित्व देश की शांति एवं उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए हैं।

मूल कर्तव्य संविधान में 1976 में सम्मिलित किए गए। इन कर्तव्यों का प्रयोजन नागरिकों में देशभक्ति की भावना में वृद्धि करना, राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना, देश की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करने के लिए आचार संहिता का पालन कराना तथा समरसता की भावना विकसित करना है।

इन मूल कर्तव्यों के अनुपालन द्वारा नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे - (i) संविधान का पालन करें तथा उसके

आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें; (ii) स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें; (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें; (iv) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें; (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं; (vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उराका परिरक्षण करें; (vii) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें; (viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें; (ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें; (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई-नई ऊंचाइयों को छू ले; (xi) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है?
2. समता के अधिकार के किन्हीं दो अपवादों का उल्लेख कीजिए।
3. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में से किन्हीं पांच तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
4. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व किस प्रकार अत्यंत प्रभावशाली हो सकते हैं?
5. संविधान में मूल कर्तव्यों को क्यों सम्मिलित किया गया है?
6. किन्हीं पांच मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
7. "स्वतंत्रता का अधिकार छः स्वतंत्रताओं का समूह है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
8. "संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत विशिष्ट अधिकार है।" इस अधिकार की विशिष्टता क्या है?
9. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (i) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (ii) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- (iii) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

परियोजना कार्य

- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों तथा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट बनाइए।

भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार कार्य करता है

सार्वभौम वयस्क मताधिकार

आपकी दृष्टि इस वाक्य पर अवश्य पड़ी होगी कि भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत लोकतंत्र का सिद्धांत भी है। भारत का लोकतंत्र विश्व में विशालतम इसलिए है कि सरकार को निर्वाचित करने वाले भारतीय मतदाताओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। आपको विदित है कि जनता केवल केंद्र सरकार का ही निर्वाचन नहीं करती है बल्कि राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्तर की सरकारों का भी निर्वाचन करती है। संविधान की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करते समय आपने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विषय में भी पढ़ा होगा।

संविधान सभा का सबसे अधिक साहसपूर्ण कार्य भारतवासियों के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार करना और उसे अंगीकृत करना था। संविधान सभा का यह कार्य अत्यंत साहसिक इसलिए था क्योंकि उस समय का भारत अधिकांशतः निरक्षर, निर्धन तथा रूढ़िवादी व्यक्तियों का देश था। निरक्षर, निर्धन और रूढ़िवादी व्यक्तियों को अपनी सरकार निर्वाचित करने का अधिकार देना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत सही अर्थ में एक लोकतंत्र के रूप में उभरकर आया जहां वयस्क मताधिकार के आधार पर 13 आम चुनाव हो चुके हैं।

संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत के लोग स्वतंत्र एवं समान हैं और उन्हें जाति, धर्म, रंग, लिंग अथवा जन्म स्थान का भेद किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार की प्रणाली “एक व्यक्ति एक वोट” के सिद्धांत पर आधारित है। यह देश में राजनीतिक समानता सुनिश्चित करती है। संविधान में निहर्ताओं का उल्लेख है। जो लोग दिवालिया या मानसिक रूप से विकसित हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है।

लोकतंत्र का प्रभावी ढंग से कार्य करना नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर है। सरकार का निर्वाचन करने वालों को सदैव जागरूक रहना चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों

और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने देश तथा विश्व की अद्यतन घटनाओं से अवगत रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी ज्ञानवृद्धि के लिए समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों का उपयोग करें। दुर्भाग्य यह है कि यद्यपि वयस्क मताधिकार प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिकों को वोट देने को अधिकृत करता है तथापि सभी नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग आलस्य के कारण और कुछ मात्र उदासीनता के कारण अपना वोट डालने नहीं जाते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतदान केंद्र पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे किसी भी प्रत्याशी को नहीं जानते। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो नागरिकों को मतदान से विमुख करते हैं। मतदाताओं का यह आचरण लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। नागरिकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्वाचनों में मतदान करना नागरिकों का अधिकार ही नहीं है, यह उनका कर्तव्य भी है।

पता करो कि तेरहवें आम चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना था ?



एक महिला मतदाता अपना वोट डाल रही है

जनमत

लोकतंत्र में विभिन्न समस्याओं पर जनता का मत ज्ञात किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का आधार जनता है। अधिकांशतः यह जनमत पर निर्भर है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया जानना आवश्यक होता है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि वह एक ही दार सत्ता में आए। वस्तुतः वह सत्ता में बनी रहना चाहती है। दुबारा सत्ता में आना आगामी चुनाव पर निर्भर है और यह इस बात पर निर्भर है कि सत्ता में रहकर उसके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जनता की प्रतिक्रिया क्या है। सत्ता में आने, सरकार बनाने तथा आगामी वर्षों में सत्ता में बने रहने के लिए सुदृढ़ जनमत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनमत ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि सरकार न तो कुशासन कर सकती है और न देश की उपेक्षा कर सकती है। जागरूक एवं प्रबुद्ध जनता यदि भली-भांति तथ्यों से अवगत रहती है, तो वह किसी भी सरकार से उपेक्षित नहीं रह सकती है। सरकार यह भी जानती है कि इस प्रकार जागरूक जनता की भावनाओं की उपेक्षा करने से वह तुरंत अलोकप्रिय हो जाएगी और अगले चुनाव में उसकी सत्ता में आने की संभावना क्षीण हो जाएगी।

जनमत निर्माण के साधन

जनमत निर्माण में सहायक विभिन्न साधन इस प्रकार हैं :

प्रिंट मीडिया

आजकल लोग विश्व की घटनाओं की जानकारी दो प्रकार के साधनों से प्राप्त करते हैं। प्रिंट मीडिया (छापेखाने द्वारा मुद्रित सामग्री) से तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा प्रसारित सूचनाओं) से। समाचारपत्र, मैगज़ीन तथा पत्रिकाओं में विश्व के समाचार छपते रहते हैं। जनमत अधिकतर प्रेस (समाचारपत्र) पर निर्भर है। समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचनाएं यदि सही ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं तो वे सही प्रकार का जनमत निर्माण करने में सहायक होती हैं। एक ही घटना के विषय में भिन्न-भिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तथ्यों का सही-सही उल्लेख किया जाए। तथ्यों का सही विवरण दिया जाना प्रेस (समाचारपत्रों) की स्वतंत्रता पर निर्भर है। कभी-कभी प्रेस व्यक्तिनिष्ठा तथा पूर्वाग्रह से प्रभावित समाचार प्रकाशित कर देते हैं।

किसी गलत प्रकाशित समाचार का उदाहरण दीजिए और उसके प्रभावों पर विचार-विमर्श कीजिए।

कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब सरकार अनावश्यक रूप से प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है। इससे समाचारों के स्वतंत्र प्रसार में बाधा पड़ती है। प्रेस के माध्यम से सरकार केवल अपने कार्यों और उपलब्धियों का ही प्रचार करेगी। सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी असफलताओं और अलोकप्रिय कार्यों की जानकारी साधारण जनता को हो सके। ऐसी स्थिति में नागरिकों को सरकार की नीतियों और कार्यों के विषय में आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। उन्हें यह देखना होगा कि प्रेस की स्वाधीनता पर नियंत्रण न होने पाए और उन्हें विकृत समाचार के स्थान पर संतुलित समाचार प्राप्त हो सकें। समाचारपत्रों के अतिरिक्त पत्रिकाओं की भूमिका भी जनमत निर्माण में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है चाहे वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक अथवा त्रैमासिक हों। भारत जैसे देश में जहां क्षेत्रीय भाषाएं भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, विश्व की घटनाओं को प्रकाशित करने में क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रिकाओं की भी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

दो अंग्रेजी तथा दो हिंदी की पाक्षिक पत्रिकाओं के नाम बताइए।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

जनमत निर्माण में रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा के महत्त्व की उपेक्षा विशेषकर भारत जैसे देश में जहां निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची है, नहीं की जा सकती। वस्तुतः समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं की अपेक्षा रेडियो की पहुंच कहीं अधिक घरों में है। जो लोग पढ़ नहीं सकते, उनके लिए रेडियो या टेलीविज़न बरदान स्वरूप है। जो सुनना चाहते हैं वे रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। आपने समाचार सुनने के लिए लोगों को पान या चाय की दुकानों या ग्रामों, छोटे नगरों अथवा बड़े नगरों के सामुदायिक केंद्रों पर भीड़ लगाते देखा होगा। कभी-कभी आपने यह भी देखा होगा कि लोग गांवों की चौपालों में चुनाव का नतीजा सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। वे केवल नतीजे ही नहीं सुनते बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप अपना निजी मत भी व्यक्त करते हैं, जो जनमत निर्माण में सहायक होता है।

एक अन्य साधन टेलीविज़न है जो न केवल देश-विदेश की खबरें देता है बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करता है। एक समय था जब लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाया करते थे। अब लोगों के पास विकल्प है। चाहे वे फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाए अथवा घर में बैठ कर टेलीविज़न में देखें। किंतु आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं। सिनेमा में अस्पृश्यता, जातिवाद, दहेज़ प्रथा, गरीबी अथवा लिंगभेद आदि की समस्याओं का भी चित्रण रहता है। हम जो कुछ भी सिनेमा या टेलीविज़न सीरियल में देखते हैं, वह हमारे मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ जाता है और हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप, यह स्वरथ अथवा हानिप्रद जनमत का निर्माण कर सकता है। इन साधनों (मीडिया) के हानिप्रद प्रभावों को नियंत्रित करने तथा उन्हें रचनात्मक रूप से अधिक सार्थक बनाने के लिए उपाय करने होंगे। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों तथा राजनीतिक दलों की भी जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके विषय में आप आगे पढ़ेंगे।

लोकतंत्र में शासक (सरकार) तथा शासित (जनता) दोनों को धैर्यवान तथा सहिष्णु होना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि जनमत को महत्त्व दे। जनता को भी चाहिए कि वह विचारों की विभिन्नता को सहन करे तथा दूसरों के विचारों का सम्मान करे। तभी जनमत निर्माण के विभिन्न माध्यमों से सभी वर्गों के विचारों की अभिव्यक्ति हो पाएगी। लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल सदा के लिए सत्ता में नहीं रह सकता है। यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि चुनावों का नतीजा क्या होगा। बहुमत वाला दल आगामी चुनाव में अल्प मत में आ सकता है। जनता का मत क्या होगा - यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

निर्वाचन

यह कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का मापन यंत्र है और राजनीतिक दल तथा प्रत्याशीगण निर्वाचन की जीवनरेखा हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, निर्वाचन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन राजनीति की नई प्रवृत्तियों को जन्म देता है जिनसे देश का भविष्य-पथ निर्मित होता है। निर्वाचन के समय निर्वाचकों को भी देश के सामाजिक-आर्थिक परिवेश का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार निर्वाचन एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता है जहां मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से मतदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

निर्वाचन जनता का समर्थन पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता है। कभी-कभी व्यक्ति निर्दलीय होकर चुनाव लड़ सकता है। जो भी राजनीतिक दल सबसे अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करता है, वही सत्तारूढ़ होता है और सरकार बनाता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी एक दल को विधायिका में बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब सर्वाधिक मत पाने वाला दल किसी एक अन्य दल अथवा दलों के बाह्य समर्थन से सरकार बना लेता है।

पता करिए कि केंद्र में वर्तमान सरकार का गठन किस प्रकार हुआ ?

कुछ भी हो, राजनीतिक दलों को निर्वाचन के द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त करना ही होता है। चुनाव सार्वभौम मताधिकार प्रणाली के आधार पर लड़ा जाता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं।

आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव

आप यह जानते हैं कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाएं सामान्यतया पांच वर्षों के लिए चुनी जाती हैं जिसे आम चुनाव कहा जाता है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये चुनाव सदैव नियत समय पर ही हों और सामान्य परिस्थिति में ही संपन्न कराए जाएं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है अथवा उसका पद त्यागपत्र जैसे किसी विशेष कारण से रिक्त हो जाता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में नए चुनाव होते हैं। इस प्रकार के चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। किन्तु जब लोक सभा अथवा राज्यों की विधान सभाओं को उनकी अवधि पूरी होने के पहले ही भंग कर दिया जाता है और उनके पुनः गठन के लिए निर्वाचन कराया जाता है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया

हमारे देश में निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया एक स्वतंत्र संगठन द्वारा संचालित, नियंत्रित और पर्यवेक्षित की जाती है जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। संसद, राज्यों के विधान मंडल, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों का दायित्व, निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग हमारे देश के विभिन्न निर्वाचनों की तिथियां निश्चित करता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सत्तारूढ़ दल अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा अनावश्यक लाभ न उठा पाए। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि निर्वाचन आयोग वाह्य प्रभावों से अछूता रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी सेवा शर्तों तथा उनके अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया आदि का प्रावधान संविधान में ही कर दिया गया है।

उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम ज्ञात कीजिए जिसके कार्यकाल में निर्वाचन संबंधी अनेक सुधार किए गए।

चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी को भी यह पता नहीं चल पाता कि मतदाता किस प्रत्याशी को मत दे रहा है। उसकी परसंद को गुप्त रखा जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया में चुनाव-तिथियों की घोषणा, नामांकन पत्रों का भरा जाना, उनकी जांच किया जाना, प्रत्याशियों के नामों का वापस लिया जाना, चुनाव का प्रचार होना, मतदान किया जाना तथा परिणाम घोषित होना आदि सम्मिलित है। निर्वाचन की तिथियां घोषित हो जाने के बाद राजनीतिक दलों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा चयनित होने के बाद चयनित प्रत्याशी तथा निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरते हैं। नामांकन का कार्य पूरा होने पर प्रत्याशियों का नाम वापस लेने के लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है। इस तिथि की समाप्ति पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में शेष रह जाते हैं वे चुनाव प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु उसके पहले प्रत्येक प्रत्याशी को एक चुनाव चिह्न आवंटित किया जाता है। राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी अपने दल का चिह्न प्रयोग करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिह्न कमल और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न हाथ है। निर्दलीय प्रत्याशियों को भी निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिह्न का प्रयोग करना पड़ता है।

चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

अगला चरण चुनाव प्रचार का है जो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यह प्रचार सभाओं, भाषणों, जुलूसों, झंडों तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किया जाता है। प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्रों में सभाएं करनी होती हैं। प्रत्येक दल वायदा करता है कि वह सत्ता में आने के बाद क्या कार्य करेगा। सभी दल अपना-अपना चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित

करते हैं। इनमें सभी दल आंतरिक तथा विदेश नीति, आर्थिक नीति तथा रक्षा नीति आदि महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यदि ऐसा कोई दल जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में है, तो वह स्पष्ट करता है कि वह वर्तमान सरकार से क्यों असहमत है। यदि वह दल सत्ता वाला दल है तो वह यह समझाएगा कि उसके द्वारा किए गए कार्य किन परिस्थितियों में किए गए हैं। प्रचार कार्य मतदान के लिए निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व समाप्त हो जाता है। मतगणना के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।

आजकल मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पता लगाइए वे क्या हैं?

राजनीतिक दल

बिना राजनीतिक दलों के कोई लोकतंत्रात्मक सरकार समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकती। आपने निर्वाचनों के विषय में पढ़ लिया है और देखा है कि राजनीतिक दल संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के प्राणस्वरूप हैं। यदि राजनीतिक दल न होते तो चुनावों को कौन संगठित करता ? आप यह जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों की छत्र-छाया के बिना किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन आयोग संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण तथा संपादन हेतु एक उच्चकोटि की संस्था है और वह सभी व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थाओं से ऊपर है। अतः राजनीतिक दलों की भूमिका अहम् हो जाती है। वस्तुतः वर्तमान काल में लोकतंत्रात्मक सरकार राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। चुनाव केवल प्रत्याशियों के बीच ही नहीं होता बल्कि राजनीतिक दलों के बीच भी होता है। आप यह पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों का चयन करते हैं तथा चुनाव प्रचार करते हैं। इन दलों के प्रत्याशी निर्वाचित होकर विधायिकाओं में जाते हैं। आप यह जानते हैं कि बहुमत प्राप्त करने वाला एक दल अथवा कई दलों का गठबंधन सरकार बनाता है। अन्य सदस्य सदन में विपक्ष के स्थान पर बैठते हैं। बहुमत वाले दल का अथवा गठबंधन वाले दल की आम राहमति से निर्वाचित नेता केंद्र में प्रधान मंत्री और राज्य में मुख्य मंत्री होता है। यदि सत्तारूढ़ दल सदन का विश्वास खो देता है तो किसी अन्य दल के किसी ऐसे नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो अपना बहुमत सदन में सिद्ध कर सके। इस प्रकार आपने देखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है।

भारत में दलीय व्यवस्था

भारतीय राजनीति में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आप पढ़ चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार अग्रणी भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह एक मुख्य दल बना रहा और अधिकांश समय तक यह केंद्र तथा अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ रहा। किन्तु 1977 के आम निर्वाचन में अनेक विरोधी दलों के विलय से संगठित जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई। सन् 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई और 1989 तक सत्ता में बनी रही। 1989 में एक परिवर्तन आया। यद्यपि कांग्रेस अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी किन्तु यह किसी अन्य पार्टी का समर्थन न जुटा पाने के कारण लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर सकी। नेशनल फ्रंट ने भारतीय जनता पार्टी तथा लेफ्ट फ्रंट (वाम पंथी दलों) के समर्थन से सरकार गठित की।

पता करिए कि लेफ्ट फ्रंट (वामपंथी दलों) में कौन-कौन से दल सम्मिलित थे।

नेशनल फ्रंट की सरकार अधिक दिनों तक न टिक सकी। दसवीं लोकसभा का निर्वाचन मई-जून 1991 में हुआ। कांग्रेस ने केंद्र में पुनः सत्ता संभाली। 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने सरकार गठित की। किन्तु वह लोक सभा में निर्धारित समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध न कर सकी। उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद यूनार्इटेड फ्रंट ने तेरह पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनाई जिसको कांग्रेस और भारतीय साम्यवादी पार्टी (माक्सवादी) का बाह्य समर्थन प्राप्त था। किन्तु यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न कर पाई। सन् 1998 में आम निर्वाचन के पश्चात् केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अन्य दलों के सहयोग से सत्ता में आई।

शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि 1998 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल कौन-से थे।

केंद्र की भांति राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों के स्वरूप में परिवर्तन आया।

भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार

भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं - राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल वे हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत में है। किन्तु राष्ट्रीय दलों की शक्ति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। अपने को राष्ट्रीय दल कह देने मात्र से कोई दल राष्ट्रीय दल नहीं बन जाता। उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसका पालन प्रत्येक दल को करना होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का आधार एक निर्धारित सूत्र है। जो दल कम से कम चार राज्यों में पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम चार प्रतिशत मत प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रीय दल कहे जाने की मान्यता मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल, भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी (माक्सवादी), बहुजन समाज पार्टी का नाम राष्ट्रीय दलों के रूप में उल्लेखनीय है।

इन राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। यद्यपि इन दलों का प्रभाव तथा कार्य-कलाप किसी विशेष राज्य या राज्यों तक सीमित रहता है तथापि वे अपने क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। क्षेत्रीय दलों में कुछ मुख्य दल इस प्रकार हैं : तमिलनाडु का ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK), द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK), आन्ध्र प्रदेश का तेलगुदेशम, पंजाब का अकाली दल, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा, जम्मू और कश्मीर का नेशनल कांग्रेस और असम का असम गण परिषद्।

उपर्युक्त दलों के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय दलों के नाम ज्ञात कीजिए।

हित समूह

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के विषय में आप अध्ययन कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अनेक ऐसे संगठन भी होते हैं जो नागरिकों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने संगठन में तथा सरकार के साथ रहने पर भी वे अपने हित समूह का ध्यान रखते हैं। कभी-कभी वे राजनीतिक दलों की भूमिका में पूरक का कार्य करते हैं। इन समूहों को हित समूह कहते हैं। लोकतंत्र की कार्यशैली में कभी-कभी हित समूहों का योगदान अत्यंत प्रभावशाली होता है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में क्या अंतर है?
2. राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों का अंतर समझाइए तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के दो-दो उदाहरण दीजिए।
3. निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
4. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्त्व है?
5. चुनाव घोषणा-पत्र क्या है?
6. चुनाव लोकतंत्र का मापन-यंत्र है - इस वाक्य से आप क्या समझते हैं?
7. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
 - (i) प्रिंट मीडिया
 - (ii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
 - (iii) निर्वाचन आयोग
 - (iv) हित समूह

परियोजना कार्य

- किसी निर्वाचन के दौरान प्रकाशित समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं से रोचक अंशों की कतरनें एकत्र कीजिए। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा के लिए उसका एक एलबम तैयार कीजिए। यदि निर्वाचन संबंधी कुछ अच्छे कार्टून उपलब्ध हो सकें तो उन्हें काट कर एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए तथा बुलेटिन बोर्ड पर उसे प्रदर्शित कीजिए।
- विभिन्न राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्हों तथा घोषणा पत्रों को एकत्र कीजिए।

देश तथा निवासी

बीसवीं शताब्दी में हमारे देश का स्वतंत्रता-संग्राम एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति हमारे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण घटना रही है। अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ भारतीय संविधान का निर्माण तथा भारतीय गणतंत्र का क्रियान्वयन, स्वतंत्रता के उपरान्त नव-स्वतंत्र राष्ट्र के पुनर्निर्माण तथा विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के स्पष्ट द्योतक हैं। यह उस देश के अनुरूप ही है जो संसार की कुछ प्राचीनतम संस्कृतियों वाले देशों में से एक है और जिसका हजारों वर्षों का इतिहास है। यद्यपि हमारे देश में लोकतंत्र की अवधारणा 600 वर्ष ई.पू. के 'गणसंघों' से संबंधित है, लेकिन आधुनिक भारतीय लोकतंत्र पाँच दशक से अधिक पुराना है। फिर भी यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

इस पृष्ठभूमि के साथ हम, नई शताब्दी के प्रारंभ में अपने देश पर दृष्टिपात करते हैं। पचास वर्षों के नियोजित प्रयासों के बाद यह समय है जब हम विचार करें कि हमने अब तक क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं? हम अब कहाँ हैं? और भविष्य के लिए हमें क्या करना है? अपने अतीत से हम क्या सीख लें जिससे हमारा भविष्य अधिक अच्छा हो सके? संभव है आगामी दो वर्षों में जब आप अपने 'सामाजिक विज्ञान' पाठ्यक्रम का अध्ययन समाप्त करें, तब इन प्रश्नों में से कुछ का उत्तर आप स्वयं दे सकें। अभी हम अपने संसाधनों की स्थिति और उनका अब तब कैसे उपयोग किया गया है, के अध्ययन से अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।

किसी भी देश की सबसे महत्त्वपूर्ण धरोहर उसकी धरती तथा उसके निवासी होते हैं। किसी भी देश की सामर्थ्य उसकी स्थिति, आकार, उच्चावच तथा संरचना, जलवायु, वनस्पति एवं वहाँ के निवासियों द्वारा निर्धारित होती है। ये सब मिलकर उस देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौभाग्य से भारत एक विशाल क्षेत्र तथा विभिन्न स्थलाकृतियों, अपवाह तंत्रों, जलवायु दशाओं, वनस्पतियों एवं विविध प्राणियों वाला देश है। इतने संपन्न संसाधनों की दृष्टि से भारत की तुलना संसार के केवल कुछ ही देशों से हो सकती है। मनुष्य भी किसी देश के बहुत महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं क्योंकि किसी भी देश का विकास मुख्यतया वहाँ के निवासियों की दूर-दृष्टि, सूझ-बूझ एवं प्रयासों पर ही निर्भर करता है। वास्तव में, मुनष्यों की संख्या की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या का अध्ययन उसके आकार, वितरण, समय एवं स्थान के संदर्भ में उसके संसाधन एवं परिवर्तन के आधार पर किया जाएगा। इनके अध्ययन से बहुत ही रुचिकर परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका गहरा संबंध एक ओर भू-दृश्यों, अपवाह तंत्रों तथा जलवायु विभेदों से और दूसरी ओर हमारे आर्थिक विकास से स्थापित होता है।




भारत संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आज यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी ऐतिहासिक यात्रा बहुत लंबी तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं से युक्त है। अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद इसने अपनी पूरी शक्ति से निरंतर आगे कदम बढ़ाए हैं। इसके इतिहास के विकास में इसके भूगोल का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

स्थिति तथा आकार


भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण-मध्य प्रायद्वीप में स्थित है (चित्र 7.1)। मुख्य भू-भाग के अतिरिक्त इसमें दो द्वीपसमूह — अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सम्मिलित हैं।

भारत का मुख्य भू-भाग $8^{\circ}4'$ उत्तर से $37^{\circ}6'$ उत्तर अक्षांश तथा $68^{\circ}7'$ पूर्व देशांतर से $97^{\circ}25'$ पूर्व देशांतर

के बीच स्थित है। उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जो चार प्रमुख दिशाओं में सबसे अंत में स्थित हैं। कन्याकुमारी मुख्य भू-भाग का सबसे दक्षिणी सिरा तीन सागरों के संगम पर स्थित है। ये कौन-से समुद्र हैं? मुख्य भू-भाग के दक्षिण-पश्चिम में लक्षद्वीप तथा दक्षिण-पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं। ये विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए द्वीपों की लंबी शृंखला की तरह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय समुद्र तट से काफी दूर स्थित हैं। भारतीय संघ का दक्षिणतम सिरा इंदिरा बिंदु है जो निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिण में स्थित है और इंडोनेशिया के द्वीपों से अधिक दूर नहीं है। अपनी एटलस के मानचित्रों की मदद से इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। लक्षद्वीपसमूह अपेक्षाकृत कम बिखरे हुए हैं और भारत के मुख्य तट से निकट भी हैं। भारत की तटरेखा भी बहुत लंबी है जो लगभग 7500 कि.मी. लंबी है।



चित्र 7.1 संसार के मानचित्र में भारत की स्थिति



भारत को महासामुद्रिक की अनुज्ञानुसार भारतीय राजीक्षण विभाग के मानचित्र पर ज्ञापित। समुद्र में भारत का जनप्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से माने गए भारत समुद्री सीमा की दूरी तक है। राजीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय राजीगढ़ में हैं। इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, अरुण और गोपालगंज के गंधम से रेखाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है। परंतु अभी सत्यापित नहीं है। इस मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के गंधम, उत्तरीसंगम और गंधम प्रदेश के गंधम, और बिहार और झारखंड के गंधम अभी सरकार के दृष्टान्त सत्यापित नहीं हुई हैं। आंतरिक विवरणों का सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। इस मानचित्र में दक्षिण अक्षांशानुसार विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त विवरण हैं।

© भारत सरकार का प्रतिनिध्याधिकार, 2002

चित्र 7.2 भारत - राजनीतिक तथा पड़ोसी देश

चित्र 7.2 को ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि भारतीय गणराज्य का दक्षिणी सिरा विषुवत रेखा से केवल कुछ ही अक्षांशों के फासले पर है। विषुवत रेखा के पूर्णतया उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम ग्लोब का पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्धों में विभाजन करें तो भारत किस गोलार्ध में होगा?

भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार का सातवां बड़ा देश है। फिर भी इसको बहुत बड़ा नहीं कहा जाएगा क्योंकि भारत संसार के भू-क्षेत्र का केवल 2.42 प्रतिशत भाग घेरे हुए है। संसार के जो छः देश भारत से बड़े हैं, वे हैं : (i) रूस, (ii) कनाडा, (iii) चीन, (iv) संयुक्त राज्य अमेरिका,

(v) ब्राजील तथा (vi) आस्ट्रेलिया। इनमें से प्रत्येक हमारे देश से दो से पांच गुना तक बड़े हैं।


हमारे देश के देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार दोनों ही लगभग बराबर अर्थात् 30 अंश हैं। फिर भी वास्तविक दूरी में उत्तर से दक्षिण का विस्तार (लगभग 3,200 कि.मी.) पूर्व से पश्चिम के विस्तार (लगभग 3,000 कि.मी.) की तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों है? विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण इसके पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में दो घंटों का अंतर है। दूसरे शब्दों में, जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है उस समय गुजरात के पश्चिमी भाग में रात रहती है। इसीलिए भारत की मध्याह्न रेखा (82°30' पूर्व देशांतर), जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, का समय ही भारत का मानक समय माना जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह देशांतर रेखा ही मानक मध्याह्न रेखा क्यों चुनी गई?

कर्क वृत्त (23°30' उ., अक्षांश) देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका उत्तरी भाग काफी विस्तृत है और पूर्व-पश्चिम दिशा में फैला है। इसके अंतर्गत विशाल मैदान तथा हिमालय पर्वत हैं। कर्क वृत्त से

दक्षिण का क्षेत्र आकृति में त्रिभुजाकार है। इसका आधार उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर भू-भाग शीर्षवत पतला होता जाता है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भाग भी सम्मिलित हैं।

भारत तथा संसार

भारतीय भू-भाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। इसके उत्तर में ऊँचे पर्वतों की एक शृंखला हजारों किलोमीटर लंबाई में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। ये एक अभेद्य दीवार की भांति हैं जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊँचाई पर स्थित कुछ पर्वतीय दर्रों से होकर ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप तीन ओर से सागरों तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है, फिर भी लोग स्थलीय एवं जलमार्गों से होकर आते-जाते रहें हैं। इसके बावजूद भी स्थलीय भाग के पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आने वाले सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया है और समाज में समरसता तथा एकता का अद्भुत विकास किया है।



भारत के भू-सांकेतिक की अनुमानानुसार भारतीय समुद्रमार्गों का मानचित्र पर आधारित।
 समुद्र में भारत की जनप्रदेश समुद्रमार्ग आधार रेखा से मिले गए भारत समुद्री मील की दूरी तक है। समुद्री मील और किलोमीटर के प्रशासी मूलमान के प्रशासी मूलमान के अनुसार 1 किलोमीटर 0.621371 मील है।
 इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कर्क से दर्शाई गई अक्षांशीय सीमा अंतर्देशीय सीमा अंतर्देशीय सीमा (1971 के निर्वाचनानुसार दर्शाई है, परंतु अभी सत्यापित नहीं है।
 इस मानचित्र में अंतर्देशीय सीमा अरुणाचल प्रदेश और असम प्रदेश के बीच, और बिहार और झारखंड के बीच अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
 आंतरिक विवरण को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। इस मानचित्र में दर्शाई अक्षर-विचार विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 7.3 व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत की स्थिति

जैसा आपको ज्ञात है, भारत पूर्वी गोलार्ध का भाग है जिसमें पूर्वी दुनिया के अन्य देश भी स्थित हैं। प्राचीन काल में आपसी संबंधों के स्वरूप निर्धारण में समुद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एवं दक्षिणी-पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्गों से भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। अतः, भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण स्थापित किए। यह उचित ही है कि भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया।

सन् 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। आज भी व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग पर भारत की स्थिति महत्त्वपूर्ण है (चित्र 7.3)। जो देश चारों ओर से स्थलीय देशों से घिरे होते हैं उनकी तुलना में भारत के संबंध अन्य देशों से अधिक आसानी से स्थापित हैं। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा आस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप जाने वाले महासागरीय मार्ग हिंद महासागर से होकर जाते हैं। भारत यूरोप, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका से आशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) तथा स्वेज नहर, दोनों मार्गों से जुड़ा है। भारत से प्रशांत महासागर पार करके मलक्का जलसंधि होकर भी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरीका पहुंचा जा सकता है।

युगों से भारत का संपर्क संसार के अनेक देशों से रहा है। विचारों एवं वस्तुओं का आदान-प्रदान प्राचीन समय से होता रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है।

भारत के पड़ोसी देश

भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाएं उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान से और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश से मिली है। दक्षिण में संकरे समुद्र के पार श्री लंका तथा मालदीव के द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। एशिया के भौतिक उच्चावच के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा भारत सहज ही एक सुस्पष्ट एवं प्राकृतिक भौगोलिक इकाई बनाते हैं। इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसका एक अलग ही भौतिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व है जो इसे शेष एशिया से पृथक करता है।

अभ्यास

- निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
 - बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीपसमूहों का नाम बताइए।
 - भारत का कौन-सा स्थान तीन सागरों के संगम पर स्थित है?
 - भारत का कौन-सा द्वीपसमूह इसके दक्षिण-पश्चिम में स्थित है?
 - भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी किस नहर ने कम की है?
 - जलयान द्वारा सिंगापुर से मोगादिशू (अफ्रीका) जाने में किस महासागर को पार करना पड़ेगा?
 - भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है?
- बताइए कि अहमदाबाद तथा कोलकाता में मध्याह्न का सूर्य वर्ष में दो बार ठीक सिर के ऊपर क्यों होता है जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता।
- भारत के लिए हमें एक मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है? बताइए।
- देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता कैसे प्रदान की है? वर्णन कीजिए।

5. हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ मिला है?
6. भारत के संसार के अन्य देशों के साथ प्राचीन तथा मध्य काल में संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य


- 'रेशम मार्ग' के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं।

भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है। इनका यह स्वरूप भू-पृष्ठ के नीचे होने वाली आंतरिक हलचलों तथा धरातल पर क्रियाशील बाह्यशक्तियों के फलस्वरूप बना है।


आपने पिछली कक्षा में पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा है। जैसा आपको विदित है, पृथ्वी की ऊपरी सतह दूर्वलतामंडल (Asthenosphere) की अर्ध-द्रवित शैलों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के भीतर होने वाले विद्युत तरंगीय क्षय से ताप उत्पन्न होता है जो द्रवित शैलों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करता हुआ धरातल की ओर निकलने की चेष्टा करता है (चित्र 8.1)।

ऊपर उठती हुई तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े-बड़े टुकड़ों में बंट जाती है जिन्हें 'भूगर्भीय' अथवा

'स्थलमंडली प्लेटें' कहते हैं। ऐसी सात मुख्य भूगर्भीय प्लेटें हैं, जिनके नाम प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट हैं। कहीं-कहीं ये प्लेटें एक-दूसरे से अलग या दूर हो रही हैं (अपसारी प्लेटें) जबकि अन्यत्र ये एक-दूसरे के निकट आ रही हैं (अभिसारी प्लेटें)। अपसरण तथा अभिसरण की क्रिया से भू-पृष्ठ पर भ्रंशन होता है और वलय (मोड़) पड़ते हैं। इन प्लेटों की गतियों ने लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकार एवं स्थिति को परिवर्तित किया है। भारत की वर्तमान भू-आकृतियों या उच्चावच का विकास इस क्रियाक्रम का एक अंग है।



चित्र 8.1 मैंटल में संवहनिक धाराएं




चित्र 8.2 भू-पृष्ठ की मुख्य प्लेटें

करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवानालैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। मॉल की संवहनिक तरंगों ने इसे अनेक भागों में तोड़ दिया। गोंडवानालैंड से अलग होकर इंडो-आस्ट्रेलियन प्लेट धीरे-धीरे उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। यह उत्तरी गोलार्ध की बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व टकराई। इंडो-यूरेशियन प्लेट का उत्तरी सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। टकराव के इस प्रभाव से बीच के महासागर (टेथिस) की पर्वदार अवसादी शैलें मुड़ गईं और वलय क्रिया से मध्य एशिया के पर्वत-क्रमों, जिनमें हिमालय भी सम्मिलित हैं, का निर्माण हुआ।

हिमालय के दक्षिण में एक द्रोणी अथवा विशाल गर्त बन गया। कालांतर में धीरे-धीरे उत्तर तथा दक्षिण से बहकर आने वाली नदियों ने इसे जलोढ़ से भर दिया। इस प्रकार हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारतीय मैदान का जन्म हुआ। जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं ने प्रायद्वीपीय पठार

को प्रभावित किया। पठार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखीय उद्गार हुआ। इसके अतिरिक्त पठार का पश्चिमी भाग टूटकर निमज्जित हो गया। हिंद महासागर का जल इस निमज्जित गर्त में भर गया और इस प्रकार अरब सागर का निर्माण हुआ। इस भू-निगज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट अधिक सुस्पष्ट हो गए।

भारतीय भूखंड की भू-आकृतियों अथवा उच्चावच में बहुत अधिक विविधता है। उत्तर में अवसादी तथा कार्यांतरित शैलों से निर्मित ऊंची-नीची भूमि के विस्तृत विस्तार पाए जाते हैं। यहां उच्च पर्वत शिखर, आवृत्त पठार, संकरी तथा गहरी घाटियां आदि अनेक विशिष्ट स्थल रूप पाए जाते हैं। इसके विपरीत उत्तरी भारतीय मैदान, जहां सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं, जलोढ़ मृदा से बना है। यह निचले भू-दृश्यों वाला भाग है और समतल अथवा लक्षण विहीन धरातल वाला है। दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं कार्यांतरित शैलों द्वारा निर्मित है। यह देश का प्राचीनतम भू-भाग है। इसमें प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अवशेष तथा कटे-फटे पठार हैं। कहीं-कहीं तो पठार सीढ़ियों की भांति उभर उठा है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान हैं।



भारत के महाभूगोल की अनुसंधानार्थ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
 समुद्र से भारत का जलपट्टे का औसत ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है।
 पर्वत श्रृंखला और हरियाणा का प्रशासी मुख्यालय मंडीगढ़ में है।
 इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ-साथ दक्षिण पूर्व क्षेत्र (सुमात्रा) जतिमिण 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शाए हैं।
 इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ-साथ दक्षिण पूर्व क्षेत्र (सुमात्रा) जतिमिण 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शाए हैं।
 इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ-साथ दक्षिण पूर्व क्षेत्र (सुमात्रा) जतिमिण 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शाए हैं।

© भारत सरकार का प्रतिष्ठाधिकार 2

चित्र B.3 भारत - उच्चावच

प्रमुख भू-आकृतिक विभाग

भू-आकृतियों की विविधता के आधार पर भारत निम्नलिखित भू-आकृतिक विभागों (चित्र 8.3) में बांटा जाता है :

- (i) उत्तर के विशाल पर्वत ;
- (ii) उत्तर भारत का मैदान ;
- (iii) प्रायद्वीपीय पठार ;
- (iv) तटीय मैदान ; तथा
- (v) द्वीपसमूह

इन विभागों की भू-आकृतियों का मुख्य अंतर उनकी संरचना तथा भूगर्भीय इतिहास के अंतर के कारण है। विभिन्न शैलों में अपरदन को रोकने की क्षमता में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे अवसादी शैल आसानी से अपरदित हो जाते हैं, जबकि ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानें कठिनता से अपरदित होती हैं।


उत्तर के विशाल पर्वत

भारत के उत्तर में मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि स्थित है। यहां से अनेक पर्वत श्रेणियां विभिन्न दिशाओं में फैली हैं। हिंदुकुश पश्चिम की ओर फैला है, तेनशान उत्तर-पूर्व की ओर, कुनलुम पूर्व की ओर तथा काराकोरम

श्रेणियां दक्षिण-पूर्व की ओर विस्तृत हैं। काराकोरम श्रेणियां कश्मीर में प्रवेश करके दक्षिण-पूर्व दिशा में फैली हैं। यह पूर्व की ओर आगे चलकर तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। काराकोरम श्रेणियों में ही 'के2' (K2) शिखर स्थित है जो संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत-शिखर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। इस ऊंचे क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा बहुत महत्त्वपूर्ण है। बाल्टोरो तथा सियाचीन इस क्षेत्र की प्रमुख हिमानियां हैं, हिमानी ठोस बर्फ और हिम की मंद गति से खिसकती हुई नदियां हैं।

लद्दाख और जास्कर श्रेणियां काराकोरम के दक्षिण में स्थित समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणियों के उत्तर में है, यहां से यह अनेक श्रेणियों को पार करती हुई लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के बीच दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम को बहती है। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है।

हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। एक उन्नतोदर चाप बनाती हुई ये लगभग 2,400 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर से पूर्व में



चित्र 8.4 हिमालय तथा उत्तर के अन्य पर्वत

150 किलोमीटर के बीच है। परंतु हिमालय के पूर्वी आधे भाग की ऊंचाई पश्चिमी आधे भाग की अपेक्षा अधिक है।

हिमालय नवीन वलित पर्वत हैं। इनमें तीन स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक-दूसरे के समानांतर फैली हैं। इनमें सबसे उत्तरवाली श्रेणी को 'विशाल' अथवा 'आंतरिक हिमालय' अथवा 'हिमाद्रि' कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर (8,848 मीटर) जो संसार का सर्वोच्च शिखर है, नेपाल में इन्हीं श्रेणियों में स्थित है। कांचनजुंगा (8,598 मीटर) हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत-शिखर है जो भारत के सिक्किम राज्य में है।

हिमालय के दो अन्य प्रमुख शिखर नंगा पर्वत (8,126 मीटर) तथा नंदादेवी (7,818 मीटर) भारत में स्थित हैं। उन राज्यों के नाम ज्ञात करिए जहां ये स्थित हैं।

हिमाद्रि के दक्षिण में 'मध्य हिमालय' अथवा 'हिमाचल श्रेणी' स्थित है। इनकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत श्रेणियां इसी भाग में हैं। उत्तरी भारत के सभी महत्त्वपूर्ण पर्वतीय नगर - धर्मशाला, डलहौज़ी, शिमला, मसूरी तथा दार्जिलिंग इन्हीं श्रेणियों पर स्थित हैं।

'बाह्य हिमालय' अथवा 'शिवालिक श्रेणियां', मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में, 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित हैं जिनकी ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है। ये श्रेणियां टोस अवसादों वाली शैलों से नहीं बनीं। अतः यहां प्रायः भूस्खलन होता रहता है। अनेक स्थानों पर शिवालिक श्रेणियों तथा मध्य हिमालय श्रेणियों के बीच समतल घाटियां पाई जाती हैं। ये कंकड़, पत्थरों तथा अवसादों के गहरे निक्षेपों से ढकी हुई हैं और इन्हें 'दून' कहते हैं, जैसे देहरादून तथा पाटली दून।

हिमालय की पर्वत श्रेणियों को पश्चिम-पूर्व दिशा में चार भागों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी भाग सिंधु और सतलुज नदियों के बीच जम्मू तथा कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला है। इसे 'पंजाब हिमालय' कहते हैं। जम्मू तथा कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणियों में सुप्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल गुलमर्ग तथा पहलगाग हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के भाग को 'कुमायूं हिमालय' कहते हैं। यह उत्तरांचल में स्थित है। इसी प्रकार काली तथा तिरस्ता नदी के बीच के भाग को 'नेपाल हिमालय' कहते हैं और तिरस्ता तथा दिहंग

(सांगपो) नदियों के बीच के भाग को 'असम हिमालय' कहते हैं। ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं।


हिमालय पर्वत श्रेणियों में अनेक महत्त्वपूर्ण दर्रे भी हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर शिपकीला, नाथूला तथा बोमडिला दर्रे महत्त्वपूर्ण हैं। मानचित्र में उनकी स्थिति तथा उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां ये स्थित हैं।

उत्तरी भारत की कुछ प्रमुख नदियां - सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी, तिरस्ता तथा ब्रह्मपुत्र हैं। इन नदियों का उद्गम हिमालय प्रदेश में है। ये नदियां सततवाहिनी हैं और अपने साथ भारी मात्रा में जल तथा अवसाद बहाकर लाती हैं।


यह एक रोचक तथ्य है कि इन नदियों में से अनेक नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। सिंधु, सतलुज तथा सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदियां हिमालय के उरा पार कैलाश गानसरोवर क्षेत्र से एक-दूसरे के निकट ही निकलती हैं। इनमें से सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि सांगपो हिमालय श्रेणियों के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह पूर्व की ओर बहकर नामचा बरवा (7757 मीटर) के पास अंग्रेजी के अक्षर यू (U) की भांति मुड़ती है, जहां इसे दिहंग के नाम से जानते हैं। ये तीनों नदियां, हिमालय श्रेणियों को विभिन्न स्थानों पर अद्भुत दर्शनीय महाखड्ड (गांजी) बनाती हुई पार करके, उत्तर के मैदान की ओर बहती हैं। ये महाखड्ड अंग्रेजी के आई (I) अक्षर की आकृति की घाटी जैसे होते हैं जहां नदियों के दोनों किनारे दीवार की भांति खड़े ढाल वाले होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, तब ये नदियां अपनी घाटियों को काटकर उसी गति से गहरा कर रही थीं। इसी से इन दो विपरीत क्रियाओं, उत्थान एवं कटाव, के बीच संतुलन बना रहा।

हिमालय अपने हिममंडित शिखरों, हिमानियों, स्वच्छ नदियों तथा सुंदर रमणीक घाटियों के लिए विख्यात है। कश्मीर, कुल्लू तथा कांगड़ा की घाटियां अपने रमणीक सौंदर्य तथा शीतोष्ण जलवायु वाले फलों के बागों के लिए विश्वविख्यात हैं।


दिहंग (ब्रह्मपुत्र) नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। पर्वत श्रेणियां यहां तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और भारत की पूर्वी सीमा के सहारे विस्तृत हैं। इन्हें 'पूर्वांचल' कहते हैं। इनके अंतर्गत पटकाई बुग, नागा पहाड़ियां तथा मिज़ो पहाड़ियां सम्मिलित हैं। बीच में पश्चिम की ओर मुड़कर ये श्रेणियां मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर फैली हैं। यहां ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः जयंतिया, खासी तथा गासो पहाड़ियों के रूप में विस्तृत हैं।



(अ) जलोढ़ पंखें



नदी विसर्पों का निर्माण पूर्ण विकसित विसर्प गोखुर झील
(ब) नदी विसर्प तथा गोखुर झीलें पुराना बाढ़ का मैदान



(स) बाढ़ का मैदान

चित्र 8.5 मैदानों में नदी निर्मित सामान्य स्थलाकृतियाँ

उत्तरी मैदान

इस विस्तृत मैदान का निर्माण उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाकर जमा की गई जलोढ़ गाद से हुआ है। यह लगभग एक सपाट मैदान है और इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यहां की

उपजाऊ मृदा, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जल आपूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहयोगी है।

जब हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां पर्वतीय ढालों को पारकर मैदानों में पहुंचती हैं तब वे 'जलोढ़पंखों' का निर्माण करती हैं। यह त्रिभुजाकार आकृति वाले निक्षेप होते हैं जिनका आधार मैदान की ओर होता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध, (लेवी) नदी निक्षेप (चैनल बार) तथा कगार (बर्फ) आदि कुछ अन्य स्थलाकृतियां भी बनती हैं। ये मुख्यतया नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं।

नदियों के निचले भागों में ढाल और भी मंद हो जाता है। अतः वे धीमी गति से बहती हैं। वे अपने साथ लाए अवसाद तथा पंक, धाराओं के बीच में ही जमा कर देती हैं जिससे छोटे-छोटे द्वीप बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए नदी अनेक धाराओं में बंट जाती है जिन्हें 'वितरिकाएं' कहते हैं। जहां 'सहायक' नदियां अपनी घाटी का जल बहाकर मुख्य नदी में मिलाती हैं, वहीं वितरिकाएं मुख्य नदी का जल विभिन्न धाराओं में बांटकर समुद्र में मिलती हैं। इन धाराओं में बंटकर नदी का जल एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। यह विस्तृत जलोढ़ मैदान, जो त्रिभुजाकार होता है, 'डेल्टा' कहलाता है।

उत्तर भारत का मैदान सिंधु नदी के मुहाने से लेकर गंगा-ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक लगभग 3,200 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच है। पूर्व की ओर यह संकरा हो जाता है। उत्तरी मैदान को पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र तथा पूर्व में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के मैदानों में विभक्त किया जाता है।

सिंधु तथा इसकी सहायक - झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहकर तेज मोड़ बनाकर दक्षिण की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। स्थानीय भाषा में दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब (द्व अर्थात् दो तथा आब अर्थात् जल) कहते हैं। इसीलिए पांच नदियों से निर्मित मैदान को पंजाब (पंज+आब) कहते हैं। इस मैदान का बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है।

गंगा नदी उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है और फिर पूर्व की ओर बहती है। समुद्र तक पहुंचने में इसमें अनेक सहायक नदियां, उत्तर तथा दक्षिण से आकर मिलती हैं। पश्चिमी बंगाल में पहुंचने के पश्चात् ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है।

जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कुछ दूर दक्षिण की ओर बहकर ब्रह्मपुत्र पश्चिम की ओर मुड़ती है और असम राज्य से होकर बहती है। बांग्लादेश पहुंचने पर यह पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है।

उच्चावच के अंतर के आधार पर मैदानी भाग को भी (i) भाबर (ii) तराई (iii) बांगर तथा (iv) खादर भागों में विभाजित किया जाता है। सिंधु नदी से तिरता नदी तक शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में कंकड़-पत्थरों की एक पतली पेटी पाई जाती है। यह कंकड़-पत्थरों की पेटी नदी की धारा के समानांतर होती है। यह पेटी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है और इसे 'भाबर' कहते हैं। भाबर से लगा हुआ 'तराई' क्षेत्र है जो अधिक नम तथा दलदली है। यहां घने वन तथा विविध वन्य जीव पाए जाते हैं। मैदानों की पुरानी जलोढ़ को 'बांगर' कहते हैं। निरंतर जलोढ़ के जमाव के कारण यह एक चबूतरा जैसा वन जाता है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदानों की नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं।

प्रायद्वीपीय पठार

यह देश का सबसे प्राचीन भाग है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उत्तर की ओर दिल्ली की कटक (Ridge) तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच है। भूगर्भ की दृष्टि से शिलांग का पठार इस क्षेत्र का ही एक विस्तार है। इसका शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनता है। पठार की सामान्य ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसके उत्तरी भाग का ढाल उत्तर तथा पूर्व की ओर है जैसा चंबल, सोन तथा दामोदर नदियों द्वारा स्पष्ट है। सतपुड़ा-मैकाल श्रेणियों के दक्षिण में इसका ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है। परंतु दक्कन के उत्तर-पश्चिम वाले क्षेत्र का जल पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में बहता है।

अरब सागर में गिरने वाली दो बड़ी नदियों के नाम ज्ञात कीजिए।

प्रायद्वीपीय पठार को दो उपभागों : मध्यवर्ती उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार में विभाजित किया जा सकता है।

मध्यवर्ती उच्चभूमि : प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग अनेक पठारों, अनाच्छादित पर्वत श्रेणियों तथा नीची

पहाड़ियों द्वारा निर्मित है। यह भाग कठोर आग्नेय शैलों द्वारा बना है।


पठार का उत्तर-पश्चिम भाग अरावली पहाड़ियों द्वारा घिरा है जो प्राचीन वलित पर्वतों के अवशिष्ट हैं। अरावली पहाड़ियों का विस्तार दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर-पूर्व में दिल्ली तक विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में है। थार मरुभूमि इस श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। यह एक शुष्क मरुभूमि है। विस्तृत मरुभूमि में विभिन्न आकारों के बालू टिखें प्रचुरता से सर्वत्र फैले हैं।

मध्यवर्ती उच्चभूमियों की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वतों तथा उनके पूर्वी विस्तार कैमूर पहाड़ियों से निर्धारित होती है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच में मालवा पठार स्थित है। यह पठार काफी विस्तृत है और मुख्यतः चंबल तथा बेतवा नदियां इसका जल बहाकर ले जाती हैं। इस पठार का उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी भाग धीरे-धीरे गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है। मध्यवर्ती उच्चभूमियों के इस उत्तर-पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं।

उच्चभूमि क्षेत्र के बीच के भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच विंध्याचल-कैमूर पहाड़ियां कगार (खड़े ढाल वाले पर्वत) बनाती हैं। कगार एक दीवाल जैसी खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं जो आस-पास की भूमि के बीच एक लंबे अवरोध के रूप में खड़ी रहती है। सोन नदी से पूर्व की ओर झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी इस क्षेत्र का भाग है। यह लावा की क्षैतिज पतों के निक्षेपों से बना है। मध्यवर्ती उच्चभूमि की लगभग सभी नदियां दक्षिण से यमुना तथा गंगा में आकर मिलती हैं।

राजमहल की पहाड़ियां तथा शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ऐसा लगता है कि इन्हें जोड़ने वाली शैलें अब गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी के नीचे दब गई हैं।

दक्कन का पठार : दक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल पहाड़ियों से दक्षिण की ओर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक विस्तृत है। पठार का उत्तरी-पश्चिमी भाग मुख्यतया लावा निक्षेपों से निर्मित है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाटों द्वारा निर्धारित होती है, जो अरब सागर के तट के सहारे लगभग अविच्छिन्न रूप में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैले हैं। इनके अनेक स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में इन्हें सह्याद्रि कहते हैं, तमिलनाडु में इन्हें नीलगिरि के नाम से पुकारते हैं।



भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अनुमानित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
 समुद्र में भारत का जनसंख्या, उपयुक्त आकार रेखा से गाने गए भारत समुद्री मील की दूरी तक है।
 मंडीपट्ट, पंजाब और हरियाणा के प्रशासकीय मुख्यालय मंडीपट्ट में हैं।
 इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के भाग से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पूर्वार्ध-1) अधिविभाग 1971 के निर्देशानुसार दर्शाए गए हैं।
 परंतु अभी सत्यापित नहीं हैं।
 इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के भाग, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भाग और बिहार और झारखंड के भाग को संकेतित नहीं किया है।
 आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
 इस मानचित्र में दर्शाए गए अक्षरों द्वारा विभिन्न स्थानों का प्रकाश किया है।

© भारत सरकार का प्रतिनिधिकार, 2002

चित्र 8.6 प्रायद्वीपीय पठार

और केरल-तमिलनाडु सीमा पर इन्हें अन्नामलाई और कार्दामम (इलायची) पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं।

दक्षिणी भारत के सबसे ऊंचे पर्वत-शिखर का नाम ज्ञात कीजिए। इसकी क्या ऊंचाई है? इसकी तुलना हिमालय की चोटियों की ऊंचाई से कीजिए। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

साधारणतया दक्कन के पठार की ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर है, यद्यपि कहीं-कहीं यह अचानक ऊंचे हो जाते हैं। बहुत कम ऊंचाइयों वाली टूटी-फूटी पहाड़ियां, जिनकी ऊंचाई कदाचित ही कहीं 900 मीटर से अधिक होती हो, टूटी शृंखला के रूप में इस पठार की पूर्वी सीमा बनाती है। इन्हें “पूर्वी घाट” कहते हैं। इन में से कुछ पहाड़ियों के नाम ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर है, जैसा नदियों की प्रवाह-दिशा से भी परिलक्षित होता है। नर्मदा तथा तापी, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, को छोड़ कर दक्कन पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

तटीय मैदान

प्रायद्वीपीय पठार कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों की संकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में विभक्त किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। गुजरात को छोड़कर यह प्रायः संकरा मैदान है। यह बहुत असमान और उबड़-खाबड़ है। उत्तरी भाग में इसे कोंकण तट के नाम से पुकारते हैं तथा गोआ के दक्षिण में इसे मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तट के विपरीत यहां केवल कुछ ही बड़ी नदियां – नर्मदा तथा तापी बहती हैं। पश्चिमी तट की नदियां अपने मुहानों पर ज्वारनदमुख (Estuaries) बनाती हैं। अधिकांश ज्वारनदमुख नदी-जल के नीचे डूबी हुई घाटियां हैं जो समुद्रतल के सापेक्षिक ऊपर उठने से बनी हैं। ये मछली पकड़ने और पोताश्रयों के विकारा के लिए उपयुक्त स्थितियां प्रदान करते हैं। पश्चिमी तट पर अनेक अच्छे प्राकृतिक पोताश्रय हैं जैसे मुंबई तथा

प्रवाल

प्रवाल अल्पजीवी अतिसूक्ष्म जीव होते हैं जो एक साथ रहते हैं। ये छिछले, उष्ण, कीचड़ रहित जल में पनपते हैं। ये कठोर तत्त्व निकालते हैं। इनसे निकला हुआ तथा इनकी अस्थियों एवं सिर के जमाव से दीवारों जैसी प्रवाल भित्तियां बन जाती हैं। यह प्रायः तीन प्रकार की होती हैं: अवरोधक भित्ति, वलयाकार भित्ति तथा तटीय भित्ति। इनमें से पहले प्रकार की प्रवाल भित्ति का अच्छा उदाहरण आस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ नामक विशाल अवरोधक भित्ति है। वलयाकार प्रवाल भित्ति अंगूठी या मुद्रिका या घोड़े के नाल की आकार की होती है।

मार्मागावा। सुदूर दक्षिण में, केरल तट अपनी खारे पानी की झीलों या पश्चजल के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें “लैगून” कहते हैं। इन तटीय भू-आकृतियों में बालूभित्तियां तथा रोधिकाएं मुख्य हैं।

पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कहीं अधिक चौड़ा है। यहां कावेरी, कृष्णा, गोदावरी व महानदी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में अवसादी निक्षेप काफी गहरे हैं। दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से पुकारते हैं।

द्वीपरामूह : भारत के द्वीपसमूहों – लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की उत्पत्ति अलग प्रकार से हुई है। लक्षद्वीप अनेक छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है। ये अरब सागर में केरल के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। इन द्वीपसमूहों का सबसे दक्षिणी द्वीप हमारे पड़ोसी देश मालदीव द्वीपों से बहुत निकट है। प्रवाल (मूंगे) के निक्षेपों से बने इन द्वीपों को ‘एटाल’ कहा जाता है। मूल रूप से यह शब्द मलयाली शब्द ‘एटोलू’ से लिया गया है।

दूरारी ओर अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े हैं। इनकी संख्या भी अधिक है और ये अधिक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। ये देश के मुख्य भू-भाग से अधिक दूरी पर भी हैं। ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी बने हैं।

अंडमान द्वीपसमूहों में लगभग 200 द्वीप हैं और निकोबार समूह में 19 द्वीप हैं। इनमें से कुछ की लंबाई ही 60 से 100 किलोमीटर तक हैं। ये द्वीपसमूह लगभग 350 किलोमीटर की दूरी में फैले हैं। ये द्वीपसमूह देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

विभिन्न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक

संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न का भंडार है। यहां प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों का भंडार है जिसने देश के औद्योगीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और पोताश्रयों संबंधी केंद्र स्थापित हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में अनेक विकास की संभावनाएं प्रदान करती हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए :

- भारत की वर्तमान भू-आकृतिक स्थिति के लिए कौन-सी दो शक्तियां उत्तरदायी हैं?
- भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं?
- आज के कौन-से महाद्वीप गोंडवानालैंड के भाग थे?
- “भाबर” क्या है?
- हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए।
- अरब सागर कैसे बना था?
- शिवालिक में अधिक भूस्खलन क्यों होता है ?
- पूर्वी हिमालय के दो दर्रा के नाम बताइए।
- अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में कौन-सा पठार स्थित है?
- भारत के उस द्वीप-समूह का नाम बताइए जो प्रवालों से निर्मित है।

2. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए :

- अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें;
- डेल्टा तथा ज्वारनदमुख;
- सहायक नदी तथा जल वितरिका;
- बांगर और खादर;
- पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट।

3. बताइए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था।

4. भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग कौन-से हैं ? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है?

5. भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए।

6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :

- मध्य हिमालय,
- मध्य उच्चभूमि तथा
- भारत के द्वीपसमूह।

मानचित्र कार्य

भारत के एक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :

- (i) पर्वत एवं पहाड़ी श्रेणियाँ – काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, पटकई बुम, पूर्वांचल, जयंतिया, विंध्याचल, अरावली, कार्डीमम पहाड़ियाँ।
- (ii) पर्वत-शिखर – के२, कांचनजुंगा, गंगा पर्वत, अनाइमुदी तथा दोदा बेटा।
- (iii) पठार – शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा तथा बुंदेलखंड।
- (iv) थार मरुभूमि, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा-जमुना द्वाब तथा कोरोमंडल तट।

जलवायु का अर्थ किसी विस्तृत क्षेत्र में एक लंबी अवधि (तीस वर्ष से अधिक) में पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के कुल योग से है। मौसम तथा जलवायु के तत्त्व एक ही हैं अर्थात् तापमान, वायुमंडलीय दाब अथवा वायुदाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षण। आपने देखा होगा कि मौसम की दशाएं प्रायः कभी-कभी एक दिन के भीतर भी बदलती रहती हैं। परंतु हफ्तों या महीनों में एक से प्रतिरूप भी पाए जाते हैं, जैसे दिन गर्म या ठंडे होते हैं, शांत या तेज हवा वाले होते हैं, बदली वाले या स्वच्छ होते हैं, या सूखे अथवा नम होते हैं। सामान्य मासिक वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ऋतुओं में बांटा जाता है जैसे जाड़ा, गर्मी या वर्षा ऋतु। संसार को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आपको मालूम है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है और ऐसा क्यों है? इसके बारे में हम निम्नलिखित पृष्ठों में अध्ययन करेंगे।

भारत की जलवायु को 'मानसून प्रकार' की जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ है, वर्ष में पवनों का ऋतुवत् विपरीत दिशा में चलना। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाई जाती है। एक अंतर्निहित एकता तथा सामान्य प्रतिरूपों में समानता के बावजूद देश के भीतर जलवायु की दशाओं में काफी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व तापमान तथा वर्षण लेकर, देख सकते हैं कि वे स्थान-स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरी ऋतु में किस प्रकार भिन्न हैं।

गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में तापमान कभी-कभी 50° से. या इससे अधिक हो जाता है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के पहलगाम में यह 20° से. के आसपास ही रहता है। जाड़ों की रात में जम्मू तथा कश्मीर के द्रास स्थान में तापमान - 45° से. तक गिर जाता है जबकि दूरासी ओर, तिरुवनंतपुरम में तापमान 20° से. से अधिक हो सकता है।

इन मोटे तथ्यों से भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में स्थान-स्थान तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में







बहुत अंतर पाया जाता है। अन्य अनेक स्थितियों में भी ऋतुवत् अंतर मिलता है। वास्तव में कुछ स्थानों में दिन तथा रात के तापमान में बहुत अंतर है। थार मरुभूमि में दिन का तापमान 50° से. हो सकता है और उसी दिन रात का तापमान हिमांक तक नीचा हो सकता है। इसके विपरीत आंध्रप्रदेश तथा निकोबार द्वीपसमूह या केरल के दिन व रात के तापमान में बहुत ही कम (7°-8° से.) अंतर होता है।

अब हम वर्षा या वर्षण के बारे में देखें। केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है वरन् वर्षण की मात्रा तथा ऋतुवत् वितरण में भी अंतर है। जबकि हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, देश के शेष भागों में जलवृष्टि ही होती है। औसत वार्षिक वर्षण का अंतर मेघालय में 400 सें.मी. से लेकर लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान में 10 से.मी. से कम तक होता है। देश के अधिकांश भागों में जलवृष्टि (वर्षा) जून-सितंबर के बीच होती है। परंतु कुछ क्षेत्रों, जैसे तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जलवृष्टि शरद ऋतु तथा जाड़ों के प्रारंभ में होती है। जाड़ों में देश के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभों से जलवृष्टि होती है, जबकि तमिलनाडु में उत्तरी-पूर्वी मानसून से वर्षा होती है।

साधारणतया, तटीय क्षेत्रों में कम ताप परिसर पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में ऋतुवत् अंतर अधिक पाया जाता है। उत्तरी मैदानों में साधारणतया पूर्व से पश्चिम को वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इन अंतरों के कारण यहां के निवासियों के जीवन - भोजन, वस्त्रों तथा आवासों में विविधता पाई जाती है। परंतु मानसून की स्पष्ट एकता का आभास देश की मुख्य आर्थिक प्रक्रिया खेती तथा अन्य सूक्ष्म संवेदनाओं जैसे साहित्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला तथा त्योहार मनाने में देखा जा सकता है।

जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

किसी स्थान की जलवायु अनेक कारकों के अंतर्संबंधों द्वारा प्रभावित होती है जैसे स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायुदाब तथा पवन, ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराएं, आदि। इनमें से अधिकतर एक-दूसरे से संबंधित हैं।



चित्र 9.1 भारत के कुछ स्थानों के तापमान तथा वर्षण ग्राफ

ऊपर दिए गए ग्राफों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए:

- उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक ताप परिवार (तापान्तर) पाया जाता है।
- किस स्थान पर अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है?
- किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है?

- उस स्थान का नाम बताइए जहाँ अक्टूबर-नवंबर में अधिक वर्षा होती है।
- उस स्थान का नाम बताइए जहाँ लगभग सभी वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है।
- उस स्थान का नाम बताइए जहाँ तापक्रम विषम है और वर्षा जून तथा शरद्वर्ष के बीच केंद्रित है।

स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक

आपको ज्ञात है कि कर्क वृत्त हमारे देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इससे दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध में स्थित है।

भारत के उच्चावच मानचित्र (चित्र 8.3) को देखिए। प्रायद्वीपीय पठार के त्रिभुजाकार रूप के कारण इसे घेरे हुए महासागर तथा सागरों का समकारी प्रभाव इसके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। उत्तरी मैदान प्रायः महाद्वीपीय स्थिति वाले हैं क्योंकि वे समुद्र से दूर हैं।

उत्तर में ऊंची पर्वत श्रृंखला एक प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करती है। ये मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाली ठंडी और बर्फीली पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण ही भारत जाड़ों में अपेक्षाकृत गर्म जलवायु का अनुभव करता है तथा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय भारत के ताप परिसरों में अधिक अंतर नहीं बढ़ने पाता।

वायुदाब तथा पवनें

भारतीय ऋतु-दशाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं :

- वायुदाब के वितरण तथा धरातलीय पवनों से;
- ऊपरी वायुमंडल की वायुधाराओं से; तथा
- पश्चिमी विक्षोभों के जाड़े में आगमन तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से।

संसार के वायुदाब की पेटियों तथा भूमंडलीय पवनों को दिखाने वाले मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि भारत उत्तर-पूर्वी संमार्गीय (व्यापारिक) पवनों के क्षेत्र में पड़ता है। यह पवन उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। वहां से ये विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं और अपने दाहिने हाथ की ओर अर्थात् पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ज्ञात कीजिए इन पवनों को 'ट्रेड पवनें' क्यों कहते हैं? (ध्यान रहे इस संबंध में ट्रेड जर्मन भाषा का एक शब्द है।) ये पवनें भारत में आर्द्रता-रहित होती हैं अतः इनसे देश के अधिकतर भागों में वर्षण नहीं होता। इस नाते तो भारत को एक शुष्क देश होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? हमें इसका कारण ज्ञात करना चाहिए।



जाड़े की ऋतु में हिमालय के उत्तर में एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। उत्तर से अपेक्षाकृत गर्म दक्षिण की ओर सूखी ठंडी पवनें चलती हैं। वर्ष भर यहां मेघ रहित आकाश पाया जाता है। गर्मियों में, स्थल जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। अतः एशिया के आंतरिक भागों में एक निम्नदाब क्षेत्र विकसित होता है। इसके कारण दक्षिण में हिंद महासागर में केंद्रित उच्च दाब क्षेत्र से पवनें उत्तर के निम्नदाब क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार पवनों की दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यह दक्षिण से चलने वाली पवनें भी अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। इन्हें दक्षिण-पश्चिम मानसून कहते हैं। ये हवाएं समुद्र की ओर से आने के कारण आर्द्रता-युक्त होती हैं और देश के अधिकांश भागों में वर्षण करती हैं।

ऊपरी (उपरितन) वायु धाराएं

वायुमंडल के ऊपरी भागों में वायु धाराओं का प्रतिरूप बहुत ही भिन्न होता है। हिमालय के उत्तर में पश्चिम तथा मध्य एशिया में एक पछुआ वायु धारा चलती है। ये ऊपरी वायुमंडल में एक पतली-सी पेटि में बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। इन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तिब्बतीय उच्च भूमि इन पछुआ जेट स्ट्रीम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है और ये दो भागों में बंट जाती हैं। इनकी दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। ये भारत में जाड़े के मौसम पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारत में पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से प्रवेश करते हैं, इन्हीं वायु धाराओं द्वारा यहां लाए जाते हैं। गर्मियों में यह पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक कर मध्य एशिया में तेनशान पर्वतों के उत्तर की ओर स्थित हो जाती है। इसका स्थान एक पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है जो उत्तरी भारत में 25° उत्तरी आक्षांश के साथ चलती है। स्थलीय भागों में निम्नदाब तथा इस पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से भारत में गर्मियों में उष्णकटिबंधीय अवदाब प्रवेश करते हैं। यह अवदाब मानसूनी वर्षण को सारे भारत में वितरित करने में सहायक होते हैं।

भारतीय मानसून

ऊपर के संक्षिप्त वर्णन में दी गई दशाएं - भारत के ऊपर जाड़े तथा गर्मी के महीनों में पाई जाने वाली ऋतु दशाएं - उस विशिष्ट जलवायु तंत्र के विभिन्न पक्ष हैं जिसे भारतीय मानसून कहते हैं।



चित्र 9.2 भारतीय मानसून

मानसून का परिदृश्य बहुत प्राचीन है परंतु इसके कारकों तथा स्वभाव पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं। यद्यपि मानसूनी परिदृश्य केवल 20° उत्तर तथा 20° दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, पर विश्व स्तर पर इसके परिदृश्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। हिमालय से प्रभावित होने के कारण यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला है।

मानसून का स्वभाव एवं रचना-तंत्र संसार के विभिन्न भागों में, स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से

एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती (लगभग 18° द. तथा 149° पू.) तथा हिंद महासागर में आस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन (12°30' द. तथा 131° पू.) के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों (मापदंडों) के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसके पूर्वानुमान निश्चित ही सही उत्तरे हैं।

वार्षिक ऋतु चक्र

मानसून तुल्य जलवायु की विशेषता एक स्पष्ट ऋतु चक्र है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की दशाएं बहुत बदल जाती हैं। यह परिवर्तन देश के भीतरी भागों में विशेष रूप से देखे जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान के अधिक अंतर का अनुभव नहीं होता पर वर्षण के प्रतिरूप में निश्चित अंतर पाया जाता है। भारत में चार मुख्य ऋतुएं हैं और उनके निश्चित क्रम ये हैं :

- टंडी शीत ऋतु
- गर्म ग्रीष्म ऋतु
- आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु
- पीछे हटते (लौटते) हुए मानसून की ऋतु

टंडी शीत ऋतु : उत्तरी भारत में मध्य नवंबर से शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और फरवरी तक रहती है। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटने लगता है। जबकि चेन्नई में औसत तापमान 24° से. से 25° से. के बीच रहता है, उत्तरी मैदानों में यह 100 से. से 150 से. के बीच रहता है। दिन प्रायः गरम रहते हैं पर रातें टंडी होती हैं, ऊंचे क्षेत्रों में सामान्यतया पाला पड़ता है।

इस ऋतु में देश के ऊपर उत्तरी-पूर्वी संमार्गी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं अतः देश के अधिकतर भाग में यह सूखी ऋतु होती है। फिर भी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इन्हीं पवनों से वर्षण होता है क्योंकि यहां ये समुद्र को पार करके स्थल में पहुंचती हैं।

देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्चदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में मंद पवनें बाहर की ओर चलने लगती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर गंगा की घाटी में यह पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम दिशा से बहती हैं। मौसम प्रायः सुहावना रहता है, आकाश स्वच्छ तथा तापमान एवं आर्द्रता कम होते हैं।

उत्तरी भाग के मैदानों में शीत ऋतु की एक खास विशेषता पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से आने वाले विक्षोभ हैं। इन निम्नदाब के प्रक्रमों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जो भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और भारत में पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। इनसे मैदानी भागों में बहु-प्रतीक्षित वर्षा तथा हिमालय क्षेत्रों में हिमपात होता है। यद्यपि जाड़ों में वर्षा की मात्रा कम होती है परंतु रबी की फसल के लिए यह बहुत मूल्यवान है।

प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतऋतु बहुत स्पष्ट नहीं होती। समुद्र के प्रभाव के कारण, तापमान के वितरण में यहां अधिक ऋतुवत अंतर नहीं पाया जाता।

गर्म ग्रीष्म ऋतु : सूर्य के उत्तरायण होने के कारण विश्व की उष्ण-पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक जाती है। फलतः भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। परंतु उष्ण-पेटी के खिसकने का प्रभाव विभिन्न अक्षांशों पर स्थित विभिन्न स्थानों के मार्च से मई के तापमानों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दक्कन के पठार में मार्च के महीने में अधिकतम तापमान लगभग 38° से. पाया जाता है। अप्रैल के महीने में गुजरात तथा मध्यप्रदेश में तापमान 42° से. के आसपास पाए जाते हैं। मई के महीने में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में 48° से. के आसपास तापमान का होना सामान्य बात है। प्रायद्वीपीय भारत में महासागर के तापमान पर रामकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है (दक्कन पठार में 38° से.)। देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 48° से. तापमान इस बात का प्रतीक है कि समुद्र से बहुत दूर होने के कारण यहां के तापमान पर समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता।


ग्रीष्म ऋतु में देश के उत्तरी भाग में बढ़ते हुए तापमान तथा घटते हुए वायुदाब का अनुभव होता है। मई के अंत तक यहां एक लंबा निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है जो उत्तर-पश्चिम में थार की मरुभूमि से पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक फैला होता है। वायु का परिसंचरण इस निम्नदाब क्षेत्र (गर्म) की ओर प्रारंभ हो जाता है।

ग्रीष्म ऋतु का एक विशिष्ट लक्षण गर्म हवा 'लू' है। ये उत्तरी तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म तथा तेज़ हवाएं हैं। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी चलती रहती हैं। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी-कभी प्राण घातक भी हो सकता है। इस क्षेत्र में मई के महीने में शाम को आने वाले अंधड़ तथा तूफान बहुत साधारण घटना हैं। इन आंधियों के बाद कभी-कभी हल्की वर्षा हो जाने से शीतल हवाएं बहने लगती हैं, इनसे तापमान कम हो जाता है और कष्टदायक गर्मी से, अस्थायी ही सही, राहत मिलती है। स्थानीय तूफानों के उत्पन्न होने के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, मूसलाधार वर्षा होती है तथा कभी-कभी ओले गिरना भी सामान्य बात है।

ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक में मानसून - पूर्व फुहारें पड़ना सामान्य बात है। आम के फलों के शीघ्र पकने में सहायक होने के कारण इस फुहार को स्थानीय भाषा में 'आम्रवृष्टि' कहा जाता है।

आगे बढ़ता हुआ मानसून - वर्षा ऋतु : उत्तरी -पश्चिमी मैदानों में जून के प्रारंभ तक निम्नदाब दशाएं और अधिक तीव्र हो जाती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की संमार्गी (व्यापारिक) पवनों को आकर्षित करने में काफी सक्षम होती हैं। ये दक्षिणी-पूर्वी संमार्गी (व्यापारिक) पवनें महासागरों में उत्पन्न होती हैं। हिंद महासागर के ऊपर से बहती हुई ये पवनें विषुवत वृत्त को पार करती हैं और दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने लगती हैं। विषुवत रेखीय गर्म जल धारा के ऊपर से गुजरने के कारण ये अपने साथ भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आती हैं। संमार्गी (व्यापारिक) पवनों की भांति मानसून पवनें उतनी नियमित नहीं होतीं। इनकी प्रकृति स्पंदनयुक्त होती है।

ये पवनें तेज चलती हैं और इनकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है। सुदूर उत्तर-पश्चिम को छोड़कर, ये पवनें एक महीने में ही सारे देश में फैल जाती हैं। आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट,



भारत के महासागरीय क्षेत्र की अनुसंधानकर्ता भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर अंतरांतरित।
समुद्र में भारत का जनप्रदेश समुद्रकृत आकार रखा से मान गए भारत समुद्री मील की दूरी तक है।

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुद्राकरण चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के समय से दर्शाई गई अंतरांतरक सीमा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाधानुसार दर्शाते हैं।
परंतु अभी स्थापित नहीं है।

दूसरे मानचित्र में उत्तरांचल सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य अंतरांतरक और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा स्थापित नहीं हुए हैं।

आंतरिक विवरणों का सही दर्शन का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शाते अंतरांतरक विभिन्न दूरी द्वारा प्राप्त किया है।

© भारत सरकार का प्रतिस्पर्धाधिकार 2002

चित्र 9.3 आगे बढ़ता हुआ मानसून

बिजली चमक और मूसलधार वर्षा होती है। इसे 'मानसून का फटना' कहते हैं।

भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ मौसम में पूरा परिवर्तन हो जाता है। भारतीय प्रायद्वीप मानसून को दो शाखाओं में बांट देता है : अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा।

मानसून की अरब सागर शाखा के मार्ग में पश्चिमी घाट पर्वत अवरोध के रूप में आ जाते हैं। सह्याद्रि पर्वतों के पवनाविमुख ढालों पर बहुत भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाटों को पार करके, ये हवाएं दक्कन के पठार तथा मध्य प्रदेश में पहुंचती हैं। यहां इनसे अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं और मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाती हैं। अरब सागर की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र प्रायद्वीप तथा कच्छ में प्रवेश करता है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से आगे बढ़ता हुआ यहां यह हल्की वर्षा करता है। पंजाब तथा हरियाणा में यह भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाता है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं।

बंगाल की खाड़ी की शाखा स्वाभाविक रूप से म्यांमार के तट तथा बांग्लादेश के दक्षिणी-पूर्वी भागों की ओर बढ़ती है। परंतु म्यांमार के तट के साथ विस्तृत अराकान पहाड़ियों के कारण मुड़कर इस शाखा का अधिकांश भाग दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व दिशा से बांग्लादेश तथा पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करता है। हिमालय तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत के तापीय निम्नदाब के कारण यह शाखा दो भागों में बंट जाती है। एक भाग पश्चिम की ओर गंगा के मैदान से होते हुए पंजाब के मैदानों तक पहुंचता है। दूसरा भाग ब्रह्मपुत्र की घाटी में ऊपर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ता है और उत्तर-पूर्वी भारत में खूब वर्षा करता है। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणी के शीर्ष पर स्थित माउसिनराम में संसार की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी, जो माउसिनराम से 16 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ने वर्षा के कुछ अन्य कीर्तिमान स्थापित किए हुए है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा का वितरण देश के उच्चावच से प्रभावित है। उदाहरणस्वरूप पश्चिमी घाट पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों पर 250 से.मी. से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसके विपरीत इन घाटों के वृष्टि-छाया प्रदेश में 50 से.मी. से कम वर्षा होती है। इसी प्रकार उत्तरी-पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा यहां की


पहाड़ियों तथा पर्वत श्रेणियों के कारण होती है। इस ऋतु में कोलकाता में 120 से.मी., पटना में 102 से.मी., इलाहाबाद में 91 से.मी. तथा दिल्ली में 56 से.मी. वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की यह घटती हुई मात्रा समुद्र से बढ़ने वाली दूरी के कारण है।

मानसून की प्रवृत्ति के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसका 'दूटना' या क्रम-भंग होना है। इसलिए इसमें सूखे और आर्द्र अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसूनी वर्षा एक साथ केवल कुछ दिनों तक होती है। इनके बीच में वर्षा-रहित अंतराल होते हैं। मानसून के ये क्रम-भंग उष्णकटिबंधीय अवदाब की तीव्रता तथा आवृत्ति से संबंधित हैं। ये अवदाब बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में उत्पन्न होते हैं और फिर मुख्य भू-भाग पर आगे बढ़ते हैं। इस अवदाब का मार्ग 'निम्नदाब के मानसूनी गर्त' के अक्ष के साथ-साथ होता है। अनेक कारणों से यह गर्त तथा इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है जिससे वर्षा का धरातलीय वितरण निर्धारित होता है। जब इस मानसून गर्त का अक्ष मैदानों के ऊपर रहता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। इसके विपरीत जब यह अक्ष हिमालय के निकट खिसक जाता है तब, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह-क्षेत्रों में, अधिक वर्षा होती है और मैदानों में लंबी अवधि का सूखा मौसम हो जाता है। पर्वतीय ढालों पर भारी वर्षा के फलस्वरूप विनाशकारी बाढ़ें आती हैं जिससे मैदानी भागों में जन-धन की भारी हानि होती है।

मानसून अपनी अनिश्चितता तथा स्वेच्छाचारिता के लिए विख्यात है। तीव्रता, आवृत्ति तथा अवधि की दृष्टि से सूखे तथा वर्षा के दिनों का क्रम बदलता रहता है। किसी एक भाग में इनसे बाढ़ें आ सकती हैं जबकि दूसरे भाग में ये सूखे के लिए उत्तरदायी होंगी। मानसून अपने आगमन और वापसी में अनियमित एवं अनिश्चित होता है इससे देश के करोड़ों कृषकों के कृषि-कार्यों में बाधा पड़ती है और अव्यवस्था होती है।

पीछे हटता हुआ मानसून

अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, निम्नदाब का मानसून गर्त कमजोर पड़ जाता है और उसका स्थान धीरे-धीरे उच्च वायुदाब ले लेता है। मानसून की पहुंच कम हो जाती है और यह धीरे-धीरे पीछे हटने लगता है। इसे ही मानसून का पीछे हटना कहते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून उत्तरी मैदानों से पीछे हटने लगता है।



भारत के मानसूनिक की अनुमानित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आकृति।

(१) भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002

समुद्र से भारत का मानसून लगभग जून से शुरू हो कर अक्टूबर तक की दूरी तक है।

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अलग-अलग प्रदेश अरुण और गंगा-जमुना के मैदानों में अलग-अलग सीमा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम 1956) के निर्दिष्टानुसार दर्शाए गए हैं।

इस मानचित्र में राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य भारतीयमहाद्वीप और पश्चिम प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अंगी संरक्षण के दृष्टि से संरक्षित नहीं हुई है।


आंतरिक विस्तार को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शाए गए सीमा-रेखा विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 9.4 पीछे हटता हुआ मानसून


अक्टूबर-नवंबर के महीने संक्रमण के समय हैं जब गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शुष्क शीतकालीन दशाएं प्रारंभ होती हैं। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान

पीछे हटते मानसून के द्योतक हैं। दिन में तापमान बढ़ जाते हैं और रातें ठंडी तथा सुखद होती हैं। भूमि अभी आर्द्र रहती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता की दशाओं के



चित्र 9.5 ऋतुवत् वर्षा (जून-सितंबर)

कारण दिन का मौसम कष्टदायक हो जाता है। इसे उत्तरार्ध में, विशेषकर उत्तरी भारत में, तापमान तेजी से सामान्य भाषा में 'क्वॉर की उमस' कहते हैं। अक्टूबर के गिरने लगता है।



भारत के महासागरीय क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा के मानचित्र पर आधारित।

© भारत सरकार का प्रतिनिधित्व, 2002

राज्य व भारत का जनप्रदेश उपयुक्त अक्षर रेखा से गये बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

संघीय, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी भूखण्डों में है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश अरुण और मेघालय के गंग से दक्षिण पूर्व अरुण, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शाते हैं।

परन्तु अभी सत्यापित नहीं है।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के गंग, उत्तरीराज्य और गंग प्रदेश के गंग, और बिहार और झारखण्ड के गंग और सरकार

के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

अतिरिक्त विवरण को सही दर्शाने का अधिकार प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शाए गए स्थानों में भिन्न-भिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 9.6 वार्षिक वर्षा

नवंबर के प्रारंभ में उत्तरी-पश्चिमी भारत में पहले से बना निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता

है। इस स्थानांतरण का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। इनमें से जो अवदाब

भारत के पूर्वी तट को पार कर जाते हैं वे व्यापक तथा भारी वर्षा करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः बहुत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन बसे डेल्टा प्रदेशों में ये चक्रवात अक्सर आते हैं और इनसे जन-धन की बहुत हानि होती है। कभी-कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदावों से होती है।

वर्षण का वितरण

भारत के पश्चिमी तट तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में वार्षिक वर्षा 300 से.मी. से अधिक है। परंतु पश्चिमी राजस्थान तथा इसके निकटवर्ती गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब के भागों में इसकी मात्रा 50 से.मी. से भी कम होती है। इसी प्रकार सह्याद्रि के पूर्व में दक्कन पठार के आंतरिक भागों में भी वर्षा कम होती है। कम वर्षण वाला एक तीसरा क्षेत्र लेह के आसपास जम्मू तथा कश्मीर में है। देश के शेष भागों में साधारण वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित है।

मानसून की स्वेच्छाचारिता के कारण वार्षिक वर्षा की मात्रा वर्ष-प्रतिवर्ष बहुत घटती-बढ़ती रहती है। वर्षा की यह विषमता (परिवर्तनशीलता) निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेशों,

में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है।

मानसून : एकता का परिचायक

हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की अत्यंत ठंडी पवनों से रक्षा करते हैं। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च आक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु-चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि-चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार-उत्सव, सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :
 - (i) 'मानसून' का क्या अर्थ है?
 - (ii) मौसम तथा जलवायु के तत्त्वों के नाम लिखिए।
 - (iii) भारत के किस भाग में दैनिक तापान्तर सर्वाधिक होता है?
 - (iv) भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखिए।
 - (v) 'जेट स्ट्रीम' क्या हैं?
 - (vi) भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती हैं? उनके नाम लिखिए।
 - (vii) भारत में दक्षिणी-पश्चिमी पवनों से वर्षा क्यों होती है?
 - (viii) 'लू' शब्द से क्या अर्थ है?
 - (ix) भारत में किस स्थान पर संसार की सर्वाधिक वर्षा आलेखित की गई है?
 - (x) भारत के अधिक वर्षा वाले चार महीनों के नाम बताइए।
 - (xi) 'पीछे हटती मानसून' का क्या अर्थ है?
 - (xii) 'मानसून फटने' का क्या अर्थ है?

2. कारण बताइए :

- (i) भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों की दिशा ऋतुवत् विपरीत होती है।
 - (ii) भारत की अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीनों में ही होती है।
 - (iii) तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है।
 - (iv) गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाओं में चक्रवात प्रायः आते हैं।
 - (v) राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के वृष्टिछाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं।
3. भारत की जलवायु दशाओं की क्षेत्रीय विषमताओं को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाए।
 4. भारत की जलवायु दशाओं को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
 5. भारत की जलवायु के निर्धारण में स्थिति एवं उच्चावच का महत्त्व बताइए।
 6. भारत में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए।
 7. भारत में वर्षण का वितरण स्पष्ट कीजिए। इसके असमान वितरण के प्रभाव भी बताइए।
 8. मानसून भारत में एकता कैसे स्थापित करता है, समझाइए।

मानचित्र कार्य

भारत के रेखामानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :


- (i) 300 से.मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र।
- (ii) 20 से.मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्र।
- (iii) भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दिशा।
- (iv) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के सामान्य मार्ग।

परियोजना कार्य


- ज्ञात कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन-से गीत, नृत्य, त्योहार तथा विशेष भोजन ऋतुओं से संबंधित हैं। क्या उनकी भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों से भी कुछ समानता है ?
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए। देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दशाओं तथा उच्चावच में कोई संबंध है।

‘अपवाह’ या ‘प्रवाह’ शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के नदी तंत्रों के अध्ययन के लिए किया जाता है। किसी भी प्राकृतिक मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि छोटी धाराएं विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, जो अंततः बहकर जल के बहुत बड़े भाग जैसे एक झील, अथवा समुद्र अथवा महासागर में मिलती है। किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक ‘प्रवाह द्रोणी’ या ‘नदी द्रोणी’ कहते हैं। अधिक गौर से देखने पर आप पाएंगे कि एक ऊंची भूमि, जैसे पर्वत या उच्चभूमि, दो पड़ोसी प्रवाह द्रोणियों को पृथक करती है। ऐसी उच्च भूमि को जल-भाजक अथवा जल-विभाजक कहते हैं।


एक प्रवाह-द्रोणी में धाराओं की व्यवस्था काफी रोचक होती है। उच्चावच, भूगर्भीय संरचना तथा जलवायु की दशाओं के आधार पर नदियां अनेक प्रतिरूप बनाती हैं जैसे वृक्षाकार, जालीनुमा तथा अपकेंद्री। जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है ‘वृक्षाकार प्रतिरूप’ में एक मुख्य नदी और उसकी सहायक धाराएं होती हैं जो वृक्ष की शाखाओं के रामान दिखाई पड़ता है। ‘अपकेंद्री प्रतिरूप’ में धाराएं एक केंद्रीय शिखर या गुंबदाकार भाग से विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। जब एक बड़ी नदी में अनेक छोटी धाराएं, प्रायः समकोण बनाती हुई, मिलती हैं तो इससे एक आयताकार प्रणाली, जिसे ‘जालीनुमा प्रतिरूप’ कहते हैं, बनती है।




(अ) द्वुमाकृतिक



(ब) जालीनुमा



(स) अरीय



(द) यमुना द्रोण का एक हिस्सा

इस पृष्ठभूमि के साथ हम भारत के प्रवाह तंत्र को भली प्रकार समझ सकते हैं। प्रवाह तंत्र वास्तव में देश के प्रमुख भू-उच्चावच की विकास प्रक्रिया का परिणाम है। उद्गम के आधार पर भारत के नदी तंत्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता है:


- हिमालय की नदियां, तथा
- प्रायद्वीपीय नदियां

इन दो वर्गों की नदियों में महत्त्वपूर्ण अंतर है। हिमालय की नदियों की द्रोणियां बड़ी हैं। अनेक नदियां हिमालय से होकर गुजरती हुई बहुत ही दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) बनाती हैं। ये गहरी घाटियां जिनके किनारे तेज ढाल वाले हैं, हिमालय के उत्थान के समय इन नदियों द्वारा होने वाले गहरे कटाव के फलस्वरूप बनी हैं। ये नदियां सदावाहिनी हैं क्योंकि इन्हें वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। ये नदियां ऊपरी भागों में अत्यधिक अपरदन करती हैं और विशाल मात्रा में बालू तथा मिट्टी बहाकर ले जाती हैं। मैदानों में ये विशाल मोड़ या विसर्प बनाती

चित्र 10.1 प्रवाह प्रतिरूप (अ) वृक्षाकार (ब) अपकेंद्री (स) जालीनुमा (द) गिरी द्रोणी, यमुना की एक सहायक नदी

हैं तथा अवसाद के निक्षेपों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे बाढ़ के मैदान, तटबंध तथा तेज़ ढाल वाले टीले आदि बनते हैं।

प्रायद्वीपीय नदियां कम गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। इनमें से अधिकांश मौसमी हैं क्योंकि उनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है। गर्मी के दिनों में बड़ी नदियों की धाराओं



भारत के महासागरों की अनुसंधानों से भारतीय नौवहन विभाग के मानचित्र पर आता है। समुद्र में भारत का जलप्रदेश, अर्थात् आगर देश से गोपी मण्डल सागरी झील की दूरी तक है। भारतीय नौवहन और विमानन के प्रशासकीय प्रशासन की सीमा तक है। इस क्षेत्र में नौवहन विभाग अलग और नौवहन के प्रशासन के दायरे में दखाई गई नौवहन विभाग उत्तरी भूमी क्षेत्र (पूर्व-उत्तर) क्षेत्रों में 1971 के निर्माणानुसार दर्शाए गए हैं। इस मानचित्र में उत्तरार्ध क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य सभी क्षेत्रों के द्वारा संयोजित नहीं हुई है। आंतरिक विद्युत की सही दशाएँ का दायित्व प्रशासन का है। इस मानचित्र में नौवहन असाधारण विभिन्न रूपों द्वारा प्राप्त किया है।

6) भारत सरकार का प्रतिनिधि/मंत्र 2002

चित्र 10.2 भारत की प्रमुख नदियां तथा झीलें

में भी बहुत कम पानी का बहाव होता है। उनके मंद ढाल के कारण उनमें अपरदन की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। कठोर शैलों वाली तली तथा बालू और गाद की कमी के कारण इन नदियों में कोई विशेष विसर्पण नहीं हो पाता। इसलिए अनेक नदियों के मार्ग सीधे तथा रेखिक हैं।

अपवाह तंत्र

हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां अनेक अपवाह द्रोणियों में विभाजित हो सकती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां तीन नदी तंत्रों में विभाजित की जा सकती हैं :

- (i) सिंधु नदी तंत्र;
- (ii) गंगा नदी तंत्र; तथा
- (iii) ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।

सिंधु नदी तंत्र : सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय महाखड्ड (गार्ज) का निर्माण करती है। कश्मीर क्षेत्र में इसमें कई सहायक नदियां जैसे - जास्कर, श्योक, नूबरा, हुंजा आदि मिलती हैं। यह लद्दाख, बालतिस्तान तथा गिलगित होते हुए बहती है और अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। पंजाब की पांच प्रसिद्ध नदियां - सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम का सम्मिलित जल सिंधु नदी में मिठान-कोट के थोड़ा-सा ऊपर मिलता है। सिंधु नदी पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती है और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिलती है। सिंधु के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह संसार की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु की द्रोणी का एक-तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब) में स्थित है। सिंधु के जल के बंटवारे के विषय में भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20 प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है। इस नदी तंत्र के जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं।

गंगा नदी तंत्र : गंगा अपना यह नाम देवप्रयाग, जहां इसकी दो शीर्ष धाराएं - अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती हैं, के पश्चात धारण करती है। गंगा हरिद्वार में हिमालय पर्वत से


निकल कर मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर की ओर से आकर इसमें बड़ी संख्या में सहायक नदियां मिलती हैं। इनमें से घाघरा, गंडक तथा कोसी भारत के उत्तरी मैदानों में नेपाल से प्रवेश करती हैं। इन नदियों में बहुत अधिक जलशक्ति उत्पन्न करने की तथा भारत और नेपाल दोनों में सिंचाई करने की संभावित क्षमता है। आपसी विश्वास तथा सहयोग द्वारा विकास कार्यों के लिए नदियों के जल का उपयोग करने से दोनों देशों के निवासियों की संपन्नता में वृद्धि हो सकती है।

यमुना तथा सोन, गंगा के दाहिने किनारे से मिलने वाली दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। उस स्थान का नाम ज्ञात कीजिए जहां यमुना गंगा से मिलती है।

फरक्का से आगे, गंगा दक्षिण-पूर्व से पूर्व की ओर बहकर पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य नदी की एक शाखा, जिसे भागीरथी-हुगली कहते हैं दक्षिण की ओर डेल्टाई मैदानों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मुख्य धारा पद्मा बांग्लादेश में दक्षिण की ओर बहती है जहां इसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है जिसे यहां जमुना कहते हैं। और आगे इसमें मेघना मिलती है और जब तक यह बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती इस सम्मिलित धारा का नाम मेघना ही है। गंगा के जल के बंटवारे के बारे में भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक समझौता है।

गंगा की लंबाई 2,500 किलोमीटर से अधिक है। भारत में इसकी द्रोणी सबसे बड़ी है। उत्तर भारत का अधिकांश जल गंगा नदी तंत्र द्वारा बहाया जाता है। चित्र 8.4 तथा 10.2 देखिए। गंगा नदी तंत्र कौन-सा अपवाह तंत्र है? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल-विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी में गिरावट पर ढाल केवल एक मीटर है। इसलिए यहां नदियों में अनेक बड़े-बड़े मोड़ या विसर्प बन जाते हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र : ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सिंधु तथा सतलुज नदियों के उद्गम के निकट से ही निकलती है। यह सिंधु से थोड़ी अधिक लंबी है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर (7,757 मी.) के पास



चित्र 10.3 गुंफित नदी


पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू (U) अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इस शक्तिशाली नदी द्वारा यहां 5,500 मीटर गहरा महाखड्ड बनाया गया है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम से होकर बहती है और इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं।

तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। यहां इसमें कम पानी मिलता है और इसमें गाद (बालू मिट्टी) भी कम है। परंतु भारत में यह एक ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहां बहुत भारी वर्षा होती है। इसलिए इस नदी में विशाल गात्रा में जलराशि तथा गाद भी बहकर आती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी के रूप में बहती है जिसकी धारा के बीच में कुछ बड़े द्वीप भी हैं।

नदी की धाराओं का खिसकना या मार्ग परिवर्तन बहुत सामान्य घटना है। वर्षा के समय नदी का प्रकोप बहुत अधिक होता है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बाढ़ से भयंकर विनाश होता है। इसके विपरीत कुछ बड़े क्षेत्रों में सूखे का भी प्रकोप होता है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत तथा बांग्लादेश मिलकर नदी के जल प्रबंधन के संयुक्त प्रयत्न करें जिससे दोनों देशों का हित हो सके।

प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट हैं जो पश्चिमी तट के काफी निकट है। प्रायद्वीप की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहानों के निकट डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिम की ओर असंख्य छोटी-छोटी नदियां बहती हैं। नर्मदा तथा तापी ही दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इस भाग की मुख्य अपवाह द्रोणियां निम्नलिखित हैं।

नर्मदा द्रोणी : नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट है। पश्चिम, तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक



चित्र 10.4 नर्मदा द्रोणी

गर्त में लगभग 1,300 किलोमीटर दूर तक बहने के पश्चात यह अरब सागर में एक ज्वारनदमुख (Estuary) बनाती हुई मिलती है। इसकी संपूर्ण द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में सीमित है। मध्य प्रदेश की संगमरमर शैलों में (भेड़ाघाट, जबलपुर) इसका महाखड्ड बहुत ही सुंदर है। इस नदी में सहायक नदियों के तंत्र की कमी है। इसकी कोई भी सहायक नदी 200 किलोमीटर से अधिक लंबी नहीं है। क्या यह एक जालीनुमा नदी प्रतिरूप बनाती है ?

तापी द्रोणी : तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में है। यह नर्मदा के समानांतर एक गर्त में प्रवाहित होती है। यह लंबाई में नर्मदा से बहुत छोटी है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। यह आकार में भी नर्मदा की द्रोणी की अपेक्षा छोटी है।

गोदावरी द्रोणी : यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1,500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप की नदियों में इसकी द्रोणी सबसे बड़ी है। इसकी द्रोणी का लगभग 50 प्रतिशत भाग केवल महाराष्ट्र में है और शेष भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश में है।

गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राचिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से आखिरी तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार तथा विस्तार के कारण ही गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं।

महानदी द्रोणी : महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों में है।

कृष्णा द्रोणी : महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1,400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुर्सी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश में फैली है।

कावेरी द्रोणी : यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रेणी से निकलती है। 800 किलोमीटर से अधिक बहकर यह कावेरीपटनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी द्रोणी केरल, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु में विस्तृत है।

इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ अन्य छोटी नदियों की द्रोणियां भी हैं जैसे पेन्नार, सुवर्णरेखा तथा माही नदियों की द्रोणियां।

झीलें तथा अंतःस्थलीय अपवाह

इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत में प्राकृतिक झीलें अपेक्षाकृत कम हैं। 'झील' एक जलाशय है जो भूतल के किसी विस्तृत गड्ढे या गर्त में जल भर जाने से बनती है और हर ओर से स्थल से घिरी होती है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में, ये तब बनी जब हिमानियों ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी के मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ापानी भारत की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सांभर एक नमकीन या खारे पानी की झील है। इसका जल नमक तैयार करने के लिए प्रयोग होता है। उड़ीसा में चिल्का झील एक बहुत बड़ी लैगून (पश्चजल) झील है जो मुख्य समुद्र से, जिसका यह कभी भाग थी, धीरे-धीरे अलग होती जा रही है (चित्र 10.2)। भारत की अनेक झीलें मानव-निर्मित हैं जो नदियों में बांध बनाकर बनाई गई हैं।

भारत में अंतःस्थलीय अपवाह केवल शुष्क तथा अर्ध-शुष्क उत्तरी-पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजस्थान की मरुभूमि में पाया जाता है। अंतःस्थलीय अपवाह से हमारा आशय उस अपवाह से है जिससे नदियां किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचती और अपना जल किसी झील या आंतरिक समुद्र में ही गिरा देती हैं। भारत के उत्तर - पश्चिमी भाग में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें छोटी तथा मौसमी जलधाराएं जल बहाकर लाती हैं और कभी-कभी वर्षा ऋतु में इनमें अचानक बाढ़ें आ जाती हैं। वर्षा समाप्त होने के बाद ये शुष्क हो जाती हैं।

भारत में धरातल के कुल जल का दो-तिहाई भाग बहकर बंगाल की खाड़ी में जाता है। शेष का लगभग 20 प्रतिशत अरब सागर में बहकर जाता है। 10 प्रतिशत से कम भाग राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह के रूप में और जम्मू और कश्मीर के अक्साई चिन में पाया जाता है।

इसका कुछ भाग सिंधु नदी की द्रोणी तथा शेष प्रायद्वीपीय नदियों के भाग हैं। लगभग एक प्रतिशत जल म्यांगमार में इरावदी नदी की सहायक नदियों द्वारा अंडमान सागर में ले जाया जाता है।

नदियां : मानव सभ्यता की जीवन रेखाएं

नदियां देश की एक अभिन्न अंग हैं। एक नदी केवल जल मात्र ही नहीं है जो बहकर समुद्र में जाता है। यह अपने साथ केवल जल ही बहाकर नहीं ले जाती वरन् विभिन्न प्रकार के अवसाद तथा घुले हुए खनिज भी ले जाती है। ज्वारनदमुख, जहां नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है, संसार के सबसे अधिक जैविक उत्पादनों वाले क्षेत्र होते हैं। नदियों पर सभी समाज और सभ्यताएं आश्रित रहीं हैं। चाहे वह आखेट करने वाले रहे हों या फल संग्रह करने वाले, पशुपालक रहे हों या कृषक, सभी विभिन्न रूपों में जल का प्रयोग करने के लिए नदियों पर निर्भर रहे

हैं। नगर तथा शहरों में लोग नदियों के जल का उपयोग करते हैं और उनमें कूड़ा-करकट आदि फेंककर उनका दुरुपयोग भी करते हैं। नदियां, वाणिज्य और व्यापार के लिए यातायात का महत्वपूर्ण साधन हैं। सिंचाई एवं जलविद्युत प्राप्त करने के लिए उन पर बांध बनाए गए हैं।

कुछ समय पहले तक सिंचाई हेतु जल की बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए तथा कम मूल्य पर प्रदूषण रहित जलविद्युत (ऊर्जा) प्राप्त करने का अंतिम रामाधान बड़े बांध माने जाते थे। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission on Large Dams) के अनुसार 'बड़े बांध' वे बांध हैं जिनकी ऊंचाई नींव से शीर्ष तक 15 मीटर या उससे अधिक हो, अर्थात् जो चार-तले वाले भवनों से ऊंचे हों। आज, जल संसाधन विकारा के किसी बड़े कार्यक्रम को लोग पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं। इससे उपजाऊ भूमि के जलाशय के जल में डूबने, लोगों

गंगा की समस्याएं

चिंता का विषय

- 1970 तथा 1980 के दशकों में, गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण चिंता का विषय बन गया। गंगा नदी तंत्र पर मानवीय वस्तियों तथा विकास-कार्यों के प्रभावों की जांच हेतु अध्ययन किए गए।

प्रदूषण के कारण

- गंगा से नहरों द्वारा सिंचाई के लिए निरंतर अधिकाधिक जल निकालने के कारण जल के प्रवाह में कमी।
- गंगा नदी के किनारे से 100 नगरों तथा शहरों से सीधे बहने वाले गंदे नालों तथा औद्योगिक कूड़े-कचरे के कच्चे रूप में गंगा में मिलने के कारण जल का गंदा या प्रदूषित होना।

नियोजित कार्य

- गंदे पानी (सीवेज) को रोकना, उसे साफ करना तथा सीधे नदी में बहकर न जाने देना।
- औद्योगिक कूड़े-कचरे की ठीक से सफाई सुनिश्चित करना।
- सुरक्षित पेयजल, विद्युत शव-दाह गृहों का निर्माण, नहाने के घाटों का विकास, प्रकाश एवं जल व्यवस्था आदि कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा उन कार्यों में सहयोग देना।
- नदी जल की गुणवत्ता की नियमित देखरेख।

प्रगति

- 260 योजनाओं में से 45 पूरी की जा चुकी हैं और उनके परिणाम सकारात्मक हैं।
- बुरी तरह अपरदित क्षेत्रों में वृक्ष लगाए गए हैं और नदियों की ऊपरी धाराओं में अवरोध बांध बनाए गए हैं।
- वाराणसी, कानपुर तथा पटना आदि नगरों में गंदे जल तथा औद्योगिक गंदगी वाले अनेक नालों को रोककर, मार्ग बदलकर, गंगा के जल में प्रदूषण के स्तर को काफी कम किया गया।
- कुछ वर्षों से कछुआ और डालफिन मछलियां गंगा से समाप्त हो गई थीं। ये अब वाराणसी में फिर दिखाई देने लगे हैं जिससे गंगा के जल स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है।

के विस्थापित होने, वन एवं कृषि योग्य भूमि के ह्रास, बांधों के पारिस्थितिकी कुप्रभाव, बांधों की सुरक्षा, बाढ़, निक्षेपण तथा स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका रहती हैं। ये सारे तथ्य निःसंदेह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं परंतु सभी बड़ी योजनाओं को बुरा कहना भी बहुत सत्य एवं न्यायसंगत नहीं होगा। विकास के लिए उनकी आवश्यकता है। परंतु निश्चित रूप से पर्यावरण से संबंधित प्रभावों का मूल्यांकन तथा पर्यावरण की सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब कुछ समस्याएं हल की जाती हैं तब प्रायः उनके स्थान पर नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का भी साहसपूर्वक निदान करना चाहिए। इसी प्रकार मुनष्य ने संसार में अब तक प्रगति एवं विकास किया है।

नदियों का प्रदूषण

नदियां कृषि-कार्यों, पीने, घरेलू तथा औद्योगिक उपयोगों हेतु जल प्रदान करती हैं। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीकरण

तथा औद्योगीकरण के साथ, जल की मांग भी बढ़ रही है। फलस्वरूप अधिक से अधिक मात्रा में नदियों से जल प्राप्त किया जा रहा है। इसके विपरीत, बहुत भारी मात्रा में नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और मल तथा औद्योगिकी कूड़ा-करकट इन नदियों में बहाया जाता है। बहते हुए जल में स्वयं साफ करने की क्षमता होती है। उदाहरणस्वरूप दूर तक प्रवाहित होने पर, गंगा का जल बड़े शहरों से 20 किलोमीटर के भीतर ही, प्रदूषक भारों को घोलकर आत्मसात कर लेता है। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ऐसा भी नहीं हो पा रहा और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 1980 के दशक में गंगा में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में चिंता के कारण ही गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan) प्रारंभ की गई।

पूरी नदी की धारा को साफ करने की एक वृहत् योजना अपनाई गई है। इसके परिणाम आशाजनक रहे हैं। अन्य नदियों में भी इसी प्रकार की योजनाओं के लिए मांग की जा रही है।

अभ्यास

- निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
 - नदी द्रोणी क्या है?
 - 'जल विभाजक' का क्या कार्य है?
 - हिमालय के तीन मुख्य नदी-तंत्रों के नाम बताइए।
 - प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक कौन हैं?
 - भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन-सी है?
 - सिंधु नदी कहां से निकलती है?
 - गंगा की दो शीर्ष धाराओं के नाम लिखिए। उनका किस स्थान पर मिलकर सम्मिलित धारा का नाम गंगा पड़ा?
 - लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है?
 - प्रायद्वीपीय भारत की कौन-सी दो नदियां घाटी गर्तों से होकर बहती हैं?
 - भारत के पूर्वी तट की दो खारे पानी की झीलों के नाम बताइए।
- नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित वर्गों में बांटेिए :-

(क) वूलर	(ख) डल	(ग) नैनीताल	(घ) भीमताल
(ङ) गोविंद सागर	(च) लोकताक	(छ) बड़ापानी	(ज) चिल्का
(झ) सांभर	(ञ) राना प्रताप सागर	(ट) वेंबनाद	(ठ) निजाम सागर
(ड) पुलीकट	(ढ) नागार्जुन सागर	(ड) गांधी सागर	(ण) हीराकुंड
- हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए।

4. प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए।
5. नदियों को मानव सभ्यता की जीवन-रेखाएं क्यों कहते हैं ?
6. बड़े बांधों के खिलाफ मुख्य तर्क दीजिए। यह व्याख्या कीजिए कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बड़े बांधों से पर्यावरण को खतरा न हो।

मानचित्र कार्य

भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए तथा उनके नाम लिखिए :

- (i) झीलें - लोकताक, डल, चिल्का, सांभर व पुलीकट
- (ii) नदियां - गंगा, सिंधु, सरालुज, दामोदर, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा व कावेरी

प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य-प्राणी

पृथ्वी के धरातल पर एक विशाल विविधता वाला वनस्पति आवरण पाया जाता है। ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले जैविक रूप के प्रतिनिधि हैं, इनके बाद पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर प्रकार के जीवन जीवित रहने के लिए उन पर आश्रित रहते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वनस्पति ही ऐसे प्रकार का जीवन है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। अतः उनसे वे प्रारंभिक उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनपर पशु और मनुष्य अपने जीवन के लिए निर्भर होते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र

पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। इसे प्रभावित करने वाले अन्य तत्त्व मृदा, उच्चावच तथा अपवाह हैं, यद्यपि इनमें से अधिकांश अंतर्संबंधित होते हैं। 'वनस्पति' शब्द किसी विशेष क्षेत्र या समय के पादपों, जिनकी विभिन्न जातियां तथा वर्ग होते हैं, का बोध कराता है। इसी प्रकार जीवों की जातियां तथा वर्ग होते हैं, जो प्राणियों का बोध कराते हैं। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी-जीवन भी बदल जाता है। एक दिए हुए क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर्संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छन्न भाग है। मनुष्य भी प्राणी जगत के अंग होते हैं। परंतु अपनी विशेष योग्यताओं के कारण वे पर्यावरण के अन्य जीवों के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। इस गुण को उन्होंने अपने हित के लिए प्रयोग किया है, परंतु कभी-कभी इस प्रक्रिया में भू-दृश्य ही परिवर्तित हो गए हैं और कुछ प्रजातियां तो विलुक्त विलुप्त हो गई हैं।

जीवोम

धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को 'जीवोम' (Biome) कहते हैं। एक दी हुई पर्यावरण रूपरेखा में एक दूसरे से

मिलकर रहने वाले पादप-जातियों के समुदाय को 'वनस्पति' कहते हैं। यद्यपि जीवोम में जीव भी सम्मिलित होते हैं, तथापि पादपों के वर्ग उनके वर्गीकरण के आधार होते हैं। इस प्रकार, मृदा, जल तथा उष्ण (गर्मी) की उपलब्धि के आधार पर पांच प्रमुख जीवोम पाए जाते हैं : वन, सवाना, घास के मैदान, मरुभूमि तथा टुंड्रा। एक जीवोम के भीतर पादपों तथा प्राणियों के मेल में बहुत अंतर पाया जाता है। इस प्रकार संसार के वनस्पति आवरण के प्रतिरूप का अध्ययन करने में जीवोम उपयोगी हैं। छोटे पैमाने पर प्राकृतिक वनस्पति को समझने में वनस्पति के वितरण प्रतिरूप बहुत उपयुक्त है।


प्राकृतिक वनस्पति

भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं जो विविधता की दृष्टि से संसार में दसवें स्थान तथा एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 जातियों के फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं, जो सारे संसार के छः प्रतिशत हैं। हमारा देश बिना फूलों वाले पौधों जैसे फर्न, शैवाल (एलगी) तथा कवक (फंजाई) में भी संपन्न है। इस

औषधीय पादप

भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी-बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। इन पादपों का में से 90 प्रतिशत तो घने जंगलों से प्राप्त होते हैं। इनमें से बहुत-से तो विलुप्त होने के खतरे में हैं। विश्व संरक्षण संघ (World Conservation Union) की लाल सूची में 352 औषधीय पादप हैं जिनमें से 52 अतिसंकट तथा 49 संकट में हैं। (स्वोल्फिया सर्पेटाइना), जो रक्त चाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में पाया जाता है। इसकी संसार भर में मांग है। इस प्रजाति को बनाए रखना भविष्य की दृष्टि से चिंता की बात है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के बौद्धिक अधिकारों की भी समस्या है।

अपने स्थान/क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के नाम ज्ञात कीजिए।



भारत के महासमूह की अनुमानानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आकारित।

© भारत सरकार का प्रतिस्पर्धाधिकार, 2002

राज्य में भारत का जनसंख्या, उपयुक्त आधार रेखा से गणना गये बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

ब्रह्मपूर, पंजाब और हरियाणा के प्रशासकीय मुख्यालय छोड़कर हैं।

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, अरुण और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1951 के निर्वाचनानुसार दर्शाते हैं,

परंतु अभी संस्थापित नहीं हैं।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार

के द्वारा संस्थापित नहीं हुई हैं।

आंतरिक विवरणों को सभी वर्णों का दायित्व प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शाते अक्षरोंद्वारा विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

चित्र 11.1 भारत की प्राकृतिक वनस्पति

देश में उष्णकटिबंधीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश तक मिलने वाली सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह विविधता मुख्यतः देश के उच्चावच, तापमान तथा वर्षा की दशाओं

की विविधता के कारण पाई जाती है। हिमालय तथा प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में देशज वनस्पति पाई जाती है। इनमें से कुछ केवल भारत में पाई जाती हैं और संसार में अन्यत्र

कहीं नहीं मिलतीं। 40 प्रतिशत पादप प्रजातियां भारत में बाहर से आई हैं। ऐसी प्रजातियां मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानों तथा थार मरुभूमि में पाई जाती हैं। कृषि तथा औद्योगिक विस्तार के कारण वन नष्ट होने से बहुत-सी पादप जातियां नष्ट हो रही हैं।

भारत के विभिन्न भागों में वनस्पतीय आवरण अब सही अर्थों में 'प्राकृतिक' नहीं रह गया है। केवल हिमालय तथा थार मरुभूमि के आंतरिक भागों जैसे अभेद्य क्षेत्रों को छोड़कर, कुछ स्थानों में तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण वनस्पति या तो नष्ट कर दी गई है या बदल दी गई है या अपविकसित हो गई है। अतः जब हम 'प्राकृतिक वनस्पति' शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ उस पादप समूह से ही है जो लंबे अरसे से अबाधित रूप से विद्यमान है और जिसकी विभिन्न प्रजातियां वहां की जलवायु एवं मृदा की स्थितियों के साथ अपना सह-संबंध बनाए हुए है।

वनस्पति के प्रकार

तापमान या गर्मी और वर्षण जैसे जलवायु के कारक यह निर्धारित करते हैं कि किन विशेष जलवायु दशाओं में कौन-से पादप विकसित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त मृदा, उच्चावच तथा प्रवाह (जल की मात्रा) भी स्थानीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भारत में वनस्पति के निम्नलिखित मुख्य प्रकार पाए जाते हैं :

- उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
- उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
- उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां
- शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान
- अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति।

भारत की प्राकृतिक वनस्पति (चित्र 11.1) को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र की उच्चावच (चित्र 8.3) और वार्षिक वर्षा (चित्र 9.6) के मानचित्रों से तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि यह उच्चावच तथा वर्षा दोनों के साथ कितना अच्छा मेल खाती है। निम्नलिखित पृष्ठों में वनस्पति के प्रकारों का वर्णन वन, घास के मैदानों तथा झाड़ियों के रूप में किया गया है जिनसे पादपों के प्रकार तथा आकार समझने में सरलता होगी। वातावरण की दशाएं भी बताई गई हैं।

उष्णकटिबंधीय वर्षावन

ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों तक सीमित

हैं। ये उन क्षेत्रों में भली-भांति विकसित हैं जहां 200 से.मी. से अधिक वर्षा से साथ एक छोटी सूखी ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक, की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा तर रहते हैं अतः यहां हर प्रकार की वनस्पति – वृक्ष, झाड़ियां व लताएं, खूब भली-भांति उगते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। अतः ये वन सारे वर्ष हरे-भरे लगते हैं।

इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्त्व के कुछ वृक्ष आबनूस (एबोनी), महोगनी तथा सेज़जड हैं। इस प्रकार के वनों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहां एक बड़ी संख्या की प्रजातियों के वृक्ष एक साथ मिलते हैं। इससे उनकी किसी विशेष प्रजाति के व्यापारिक उपयोग में कठिनाई आती है।

उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से.मी. से 200 से.मी. तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों वाले वृक्ष गर्मियों में छः से आठ सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हर प्रजाति के वृक्षों के पतझड़ का अपना समय होता है। अतः वन वर्ष के किसी एक समय में बिल्कुल पत्तीविहीन नहीं लगते।

जल की सुलभता के आधार पर इन वनों को आगे आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 से.मी. तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों - उत्तरी-पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन और खैर अन्य व्यापारिक महत्त्व वाली प्रजातियां हैं।

शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से.मी. से 100 से.मी. के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसी वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन तथा अन्य वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। अधिक सूखे क्षेत्रों में ये वन झाड़ियों तथा कंटीले वनों को स्थान दे देते हैं।

कंटीले वन तथा झाड़ियां

जिन क्षेत्रों में 70 से.मी. से कम वर्षा होती है, वहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी-पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खूजर (पाम), यूफोरबिया तथा नागफनी (कैक्टोई) यहां की मुख्य पादप-प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष छीतरे (बिखरे) हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके।

शीतोष्ण कटिबंधीय वन एवं घास के मैदान

पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर हो जाता है। इसलिए जैसा अंतर हम उष्णकटिबंध से टुंड्रा क्षेत्रों की ओर देखते हैं। वैसा ही अंतर पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति की पेटियों में पाया जाता है। आपने पहले पढ़ा है कि हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके ऊपर के भागों में 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई के बीच कोणधारी वृक्ष जैसे चीड़ (पाइन), देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर हिमालय के दक्षिणी ढालों में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? अधिक ऊंचाई में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं।

अल्पाइन तथा टुंड्रा वनस्पति

अधिक ऊंचाइयों में, प्रायः समुद्र तल से 3,600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे-जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है।

वन्य प्राणी

वनस्पति की भांति ही, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहां जीवों की 89,000 प्रजातियां

मिलती हैं। देश में 1,200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल संसार की 13 प्रतिशत हैं। यहां मछलियों की 2,500 प्रजातियां हैं जो संसार की लगभग 12 प्रतिशत हैं। भारत में संसार के 5 से 8 प्रतिशत तक उभयचारी, सरीसृप तथा स्तनपाई भी पाए जाते हैं।


स्तनपाई पशुओं में हाथी सबसे अधिक महिमा-मंडित होता है। ये असम, कर्नाटक तथा केरल के उष्ण तथा आर्द्रवनों में पाए जाते हैं। क्या अफ्रीकी तथा भारतीय हाथियों की आकृति में कोई अंतर है? एक सींग वाले गैंडे अन्य पशु हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग (gazel) तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य पशु हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहां बंदरों की भी अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं।

भारत संसार का अकेला देश है जहां सिंह (Lion) तथा शेर (Tiger) दोनों पाए जाते हैं। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। शेर मध्य प्रदेश के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुए भी हैं। वे शिकारी पशुओं में मुख्य हैं। घड़ियाल तथा कछुए नदियों तथा तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

हिमालय क्षेत्रों में अधिक श्रमशील प्रकार के पशु पाए जाते हैं जो अत्यंत ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की जमने वाली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो लगभग एक टन भार का सींगों वाला बैल जैसा जीव है। तिब्बतीय

प्रवासी पक्षी

भारत के कुछ आर्द्र क्षेत्र प्रवासी पक्षियों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। जाड़ों में, साइबेरियन सारस जैसी चिड़िया बड़ी संख्या में यहां आती हैं। पक्षियों का एक ऐसा प्रिय स्थान कच्छ का रन है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र में मिलती है वहां लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगो, हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी एक कीमती धरोहर नहीं है?



भारत के महासागरों के अनुष्ठानानुसार भारतीय राष्ट्रीय अभयारण्य के मानचित्र पर आधारित।
 रामुद में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आकार रेखा से मने गए मरुद रागुदी मील की दूरी तक है।
 यडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के प्रशासी पुच्छगलय तडीगढ़ में है।
 इरा मानचित्र मे अरुणाचल प्रदेश, अराम और मेघालय के मय से दर्शाई गई अंतराज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुच्छगल) अधिनियम 1071 के निर्वातानुसार दर्शात है
 परसु अमी सांगणित होनी है।
 इरा मानचित्र में अंतराज्य सीमा उत्तराचल और उत्तर प्रदेश के मय, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मय, और बिहार और झारखंड के मय अमी सरकार
 के द्वारा सांगणित नहीं हुई है।
 आंतरिक धिक्करो को सही दर्शात का दाखिल प्रकाशक का है।
 इरा मानचित्र मे दर्शात अंतरविन्यास विभिन्न रूपा द्वारा प्राय किया है।

© भारत सरकार का प्रतिनिष्ठाधिकार, 2002

चित्र 11.2 वन्य-जीव संरक्षण क्षेत्र

बारहसिंघा, भारल (नीली भेड़), जंगली भेड़ तथा कियांग (तिब्बती जंगली गधा) भी यहां पाए जाते हैं। कहीं-कहीं

आइबेक्स, भालू, हिम-तेंदुआ और बहुत कम पाए जाने वाले लाल पैंडा भी कुछ भागों में पाए जाते हैं।

नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल, मगर की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो संसार में केवल भारत में पाया जाता है।

भारत में अनेक रंग-बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, फीजेंट, बतख, तोता-मैना (Parakeets), सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं।

जैव-विविधता का संरक्षण

देश में वनस्पति तथा पशु संसाधनों की बेरोकटोक दोहन के कारण यहां का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नष्ट हो गया है। बड़ी संख्या में पादप तथा जीवों की प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, कुछ के विनष्ट होने का खतरा है। इन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। लगभग 1300 पादप-प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां तो संभवतः विनष्ट हो चुकी हैं क्यों कि पिछले छः से दस दशकों में उन्हें देखा ही नहीं गया। केवल वनस्पति तथा जीवों के संरक्षण के ही लिए प्रयास नहीं किए जा रहे बल्कि देश में वनों के पुनर्जीवन और जीवों तथा उनके प्राकृतिक वासों को पुनर्स्थापित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। अतः समय-समय पर पादपों तथा जीवों की सर्वेक्षण द्वारा उनकी गणना की जाती है जिससे इस दिशा में उनकी स्थिति तथा स्वरूप का ज्ञान हो सके। शेर तथा गैंडों को बचाने की योजनाएं प्रारंभ की गई थीं जिससे उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। शेर (बाघ) संरक्षण योजना सफल रही है। भारत में 16 शेर आरक्षित क्षेत्र हैं। राजस्थान की सोहन चिड़िया (Indian bustard) भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। देश के विभिन्न भागों में वन्य-जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जिनसे हमारे वनों तथा जीवों की रक्षा हो सके। इस समय देश में 480 वन्य जीव अभयारण्य तथा 86 राष्ट्रीय उद्यान हैं।

अपने देश की जैव-विविधता सुरक्षित रखने तथा उसका संरक्षण करने की दृष्टि से जीव आरक्षण क्षेत्र (biosphere reserves) बनाए जा रहे हैं। ये बहुदेशीय संरक्षित क्षेत्र हैं जहां प्रत्येक पादप तथा जीव प्रजाति को उसके प्राकृतिक भूदृश्य में संरक्षित किया जाता है। इनके मुख्य उद्देश्य हैं :

- प्राकृतिक विरासत की विविधता तथा पूर्णता को इसके पूरे स्वरूप में अर्थात् प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति एवं जीवों के रूप में बनाए रखना एवं संरक्षित रखना ;
- पारिस्थितिकी संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के अन्य पहलुओं पर शोध कार्य को बढ़ावा देना; तथा
- शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऐसे संरक्षण क्षेत्रों को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य संकटग्रस्त प्राकृतिक पारिस्थितिक-तंत्रों में जैव विभिन्नता को संरक्षित रखना है।

इस योजना के अंतर्गत देश में निम्नलिखित जीव आरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं :

- नीलगिरि, (कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के मिलन क्षेत्र में),
- नंदा देवी (उत्तरांचल),
- नोकरेक (मेघालय),
- ग्रेट निकोबार, (v) मनार की खाड़ी (तमिलनाडु),
- मानस (असम),
- सुंदरवन (पश्चिम बंगाल),
- सिमिली पाल (उड़ीसा),
- डिब्रू-साइखोवा, (x) देहांग-देबांग (अरुणाचल प्रदेश),
- पंचमढी (मध्य प्रदेश)
- कंचनजुंगा (सिक्किम) तथा
- अगस्तयमलाई (तमिलनाडु)। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का महत्त्व हम सभी के जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण अनुभव किया जाना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :

- पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं?
- पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्त्वों द्वारा निर्धारित होता है?
- भारत में मुख्य वनस्पति प्रकार कौन-से हैं?
- भारत में कौन-सी प्राकृतिक वनस्पति सबसे अधिक मिलती है?

- (v) भारतीय शेर का प्राकृतिक वास स्थल बताइए।
 (vi) जीव आरक्षण क्षेत्र क्या है?
2. निम्नलिखित में अंतर कीजिए :
- वनस्पति तथा जीव
 - सदाबहार तथा पर्णपाती वन
 - आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन
 - विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियां
3. वनस्पति के क्या अर्थ हैं? भारत की प्राकृतिक वनस्पति आज कितनी प्राकृतिक है?
4. जीवोम किसे कहते हैं? जीवों की संख्या बताइए जिनमें देश का पारिस्थितिक तंत्र विभाजित है? उनके विभाजन का आधार भी बताइए।
5. भारत में उच्चावच तथा वर्षा प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं, बताइए।
6. हिमालय क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति-पेटियों का वर्णन कीजिए।
7. भारत में वन्य-जीवों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :
- भारतीय वनस्पति
 - उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
 - जैव-विविधता का संरक्षण

मानचित्र कार्य

भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाइए :

- कांटेदार वनों तथा झाड़ियों वाले क्षेत्र
- एक वन्य-जीव अभयारण्य
- कारवेट नेशनल पार्क
- नीलगिरि जीव आरक्षित क्षेत्र।

परियोजना कार्य

- उस क्षेत्र की वनस्पति तथा जीवों पर, जहां आपका विद्यालय स्थित है, सूचनाएं इकट्ठा कीजिए। इसमें उस क्षेत्र की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची भी होनी चाहिए और यह सूचना भी होनी चाहिए कि उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है।

इस इकाई के पिछले अध्यायों में आपने भारत के स्थल संसाधनों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में जनसंख्या के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी जो हमारा मानव-संसाधन है। इसमें आप जनसंख्या के आकार, वृद्धि-दर को प्रभावित करने वाले कारकों, प्रवासन तथा नगरीकरण, आयु संरचना, आश्रित-दर तथा व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे।

एक निश्चित समय में किसी देश में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या वहां की जनसंख्या कहलाती है। मनुष्य, जिन्हें मिलाकर जनसंख्या बनती है, विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादक होने के साथ-साथ उनके उपभोक्ता भी होते हैं। वस्तुतः जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व मुख्यतया इस बात में है कि इससे उत्पादन के लिए सुलभ कुल मानव शक्ति तथा उनके उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

जनगणना

किसी देश में एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह, संकलन और प्रकाशन की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। इसकी आवश्यकता मुख्यतः सरकार के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होती है। जनगणना में लोगों के सामाजिक और

आर्थिक पक्षों से संबंधित विविध विवरण भी होते हैं। सामान्यतः प्रति दस वर्षों में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद तक भारतीय सरकार द्वारा 6 जनगणनाएं की जा चुकी हैं। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे देश की जनसंख्या केवल 23.84 करोड़ (1901) थी, जो एक शताब्दी के कालखंड में लगभग चार गुना बढ़कर 102.7 करोड़ (2001) हो गई (सारणी 12.1)।


पिछली शताब्दी में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या केवल डेढ़ गुना बढ़ी, परंतु उत्तरार्ध में यह और तेजी से बढ़ी तथा इसमें तीन गुनी वृद्धि हुई।

भारत में जनसंख्या की वृद्धि ने विश्व-प्रारूप का अनुसरण किया है। 1830 ई. तक संसार की जनसंख्या 100 करोड़ थी। अगली 100 करोड़ अगले 100 वर्षों में बढ़ी, तीसरी 100 करोड़ 30 वर्षों में ही बढ़ी और चौथी 100 करोड़ केवल 15 वर्षों में ही बढ़ी। संसार की वर्तमान जनसंख्या लगभग 600 करोड़ है।

सारणी 12.1 भारत में जनसंख्या वृद्धि;

1901-2001

वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	वार्षिक वृद्धि दर (% में)
1901	23.84	-
1911	25.21	0.56
1921	25.13	-0.03
1931	29.90	1.04
1941	31.87	1.33
1951	36.11	1.25
1961	43.92	1.96
1971	54.82	2.20
1981	68.33	2.22
1991	84.34	2.14
2001	102.70	1.93



चित्र 12.1 जनसंख्या की वृद्धि दर (% में)

जनसंख्या के आकार में भारत संसार में, चीन के बाद, दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत भाग है जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत भाग रहता है। ऐसा अनुमान है कि 2045 ई. तक भारत चीन से आगे बढ़कर संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा।

1921 ई. तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि अनियमित थी। इसलिए वर्ष 1921 को 'विशाल जनसांख्यिकीय विभाजक' कहते हैं। 1921 से 1951 तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर मंद रही। 1951 से तीन दशकों तक जनसंख्या की वृद्धि तेज रही। 1951 से 1981 के बीच भारत की जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गई। 1980 के दशक में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी जो, 1990 के दशक में घटकर 1.93 प्रतिशत हो गई। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ है, इसमें 53.1 करोड़ (51.7 प्रतिशत) पुरुष हैं और 49.6 करोड़ (48.3 प्रतिशत) स्त्रियां हैं।

जनसंख्या का वितरण


भारत में जनसंख्या घनत्व 2001 में लगभग 324 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। जनसंख्या का घनत्व देश की जनसंख्या को देश के क्षेत्रफल से भाग देकर निकाला जाता है। आइये, जनसंख्या के घनत्व को दर्शाने वाले मानचित्र का अध्ययन करें (चित्र 12.3)। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अति निम्न से निम्न है। नतोनत धरातल तथा अनुपयुक्त जलवायु दशाएं मूल रूप में इन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा असम में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। यहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण हैं - क्षेत्र की शैलीय प्रकृति, कम से लेकर सामान्य वर्षा और कम गहरी तथा कम उपजाऊ मिट्टी का होना। उत्तर भारत का मैदान, तमिलनाडु और केरल में जनसंख्या का घनत्व उच्च तथा अति उच्च है क्योंकि ये क्षेत्र मैदानी, समृद्ध

तथा उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और सामान्य जलवायु के हैं।

जनसंख्या का आकार


जनसंख्या का आकार बढ़ा होने का अर्थ यह नहीं है कि देश में जनाधिक्य है। जनाधिक्य ऐसी स्थिति है जब जनसंख्या के आकार के लिए संसाधन बहुत कम हों। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किराई देश की जनसंख्या एक उपयुक्त जीवन स्तर नहीं रख पाती। उदाहरणस्वरूप, यूनाइटेड किंगडम में जनाधिक्य की स्थिति नहीं कही जा सकती क्योंकि वहां उनकी 5.8 करोड़ जनसंख्या के उपभोग के लिए पर्याप्त वस्तुएं तथा सुविधाएं हैं। हमारे देश में वर्तमान जनसंख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है क्योंकि हमारी जनसंख्या का आकार उराके भरण-पोषण के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक बड़ा है।

आदर्श अथवा अनुकूलतम (Optimum) जनसंख्या उस जनसंख्या-आकार को निर्दिष्ट करती है, जो वहां के संसाधनों के सहयोग से अधिकतम मात्रा में वस्तुएं तथा सुविधाएं उत्पन्न करती हैं। किसी देश की जनसंख्या जब बढ़ती है तो प्रारंभ में उत्पादन में भी वृद्धि होती जाती है। परंतु एक सीमा के बाद संभव है कि उस बढ़ती हुई जनसंख्या को उसकी आवश्यकता की आधारभूत वस्तुएं व सेवाएं न प्राप्त हो सकें। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, प्रतिव्यक्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धि कम हो जाएगी।



चित्र 12.2 अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति

चित्र 12.2 देखिए। OX अक्ष पर जनसंख्या P बिंदु तक धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। P बिंदु तक हम कह सकते हैं कि देश में जनसंख्या कम है। हम यह देख सकते हैं कि M बिंदु तक प्रतिव्यक्ति उपलब्ध उत्पादन (वस्तुएं तथा सेवाएं) बढ़ता रहा है। M बिंदु के बाद यह संभव नहीं है कि उसी मात्रा में वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि संसाधन कम हो जाते हैं और सीमा से अधिक प्रयुक्त भी होने लगते हैं। M के बाद वक्र नीचे जाने लगता है। अतः



भारत के महासंघों की अनुसूची द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मानचित्र पर अंकित।

समुद्र में भारत का जनसंख्या, उपयुक्त आकार रेखा से मिले गए बाह्य समुद्री गोल की दूरी तक है।

बड़ीमठ, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय बड़ीमठ में हैं।

इस मानचित्र में जम्मू-काश्मीर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कथ से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (कुर्गुला) अधिभोग 1971 के निर्वाचनानुसार वर्णित है परन्तु अभी स्थापित नहीं है।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के कथ, मध्य प्रदेश और कथ प्रदेश के कथ, और बिहार और झारखंड के कथ अभी तक के कथ स्थापित नहीं हुई हैं।

आंतरिक विवरण को सभी दर्शाते का दृष्टिगत प्रकाशक का है।

इस मानचित्र में दर्शाते अंतर्राज्य-सीमा (विभिन्न-रंग) में दर्शाते प्रकाशक का है।

© भारत सरकार का प्रतिस्पर्धाधिकार, 2

चित्र 12.3 भारत में जनसंख्या का घनत्व

देश के लिए अनुकूलतम अभीष्ट या आदर्श जनसंख्या का आकार OP होगा। यदि जनसंख्या बढ़ती जाती है और P

बिंदु से अधिक हो जाती है तो हम कह सकते जनाधिक्य हो रहा है।


जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक जनसंख्या को निर्धारित करने के तीन कारक हैं, ये हैं - जन्म दर, मृत्यु दर (प्राकृतिक कारक) तथा प्रवासन।

प्रति हजार व्यक्तियों में प्रतिवर्ष जितने जीवित बच्चों के जन्म होते हैं उसे 'जन्म दर' कहते हैं। इसी प्रकार 'मृत्यु दर' प्रति हजार व्यक्तियों में एक वर्ष में मृत होने वाले लोगों की संख्या होती है। भारतीय जनसंख्या के अधिक तेज दर से बढ़ने का मुख्य कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच बढ़ता हुआ असंतुलन है। स्वतंत्रता के बाद जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही घटे हैं, परंतु मृत्यु दर बहुत तेजी से घटी है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जन्म दर 49.2 (प्रति हजार) थी। शताब्दी की समाप्ति पर यह घटकर 26.1 (प्रति हजार) हो गयी है। परंतु उसी अवधि में मृत्यु दर 42.6 (प्रति हजार) से घटकर 8.7 (प्रति हजार) हो गयी। मृत्यु दर प्लेग, चेचक आदि अनेक संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने के फलस्वरूप घटी है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि चिकित्सा सेवाओं का पिछले तीन दशकों में अधिक विकास हुआ है और जनस्वास्थ्य प्रयासों में भी सुधार हुआ है। दूसरी ओर छोटी आयु में विवाह, शिक्षा की कमी तथा जन्म दर कम करने के अप्रभावी प्रयास के कारण जन्म दर बढ़ी है।

'प्रवासन' का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान या क्षेत्र में जाना। प्रवासन आंतरिक (देश के भीतर) या अंतर्देशीय (देशों के बीच) होता है। आंतरिक प्रवासन से देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होता परंतु जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवासन मुख्यतया इसलिए हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है और कृषि कार्यों में श्रमिकों की मांग घटी है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के बढ़े हुए अवसर, बेहतर शिक्षा तथा रहन-सहन का अच्छा स्तर अन्य कारण हैं। नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक सेवाओं के विकास के कारण भी ऐसा होता है। प्रवासन की स्थिति के कारण नगरों तथा शहरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या 17.29 प्रतिशत (1951) से बढ़कर 25.72 प्रतिशत (1991) हो गई है, जैसा चित्र 12.4 में दिखाया गया है।

परंतु नगरीय जनसंख्या समानरूप से नहीं बढ़ी। ऐसा इसलिए है कि नौकरी, रोजगार तथा अन्य आर्थिक अवसर, जो काम करने वाली जनसंख्या को आकर्षित

करते हैं, सभी नगरीय क्षेत्रों में एक समान नहीं पाए जाते हैं। हमारे देश में 35 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है। प्रत्येक नगर या शहर के केंद्र के आस-पास नगरीय अधिवासों के समूह विकसित हो गए हैं जो उस शहर की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इन्हें 'नगर समूह' कहते हैं। नगर समूह नगरों के विस्तार मात्र हैं परंतु वे एक निश्चित नगरपालिका की सीमा में नहीं होते हैं। दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता आदि शहरों में अपेक्षाकृत अधिक प्रवासन हुआ है। इससे यह परिलक्षित होता है कि ये विशाल नगर समूह बहुत बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। यहां अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन नगरों की जनसंख्या उनकी आर्थिक क्षमता से अधिक बढ़ रही है। वर्तमान नगरीय व्यवस्थाएं तथा सेवाएं जैसे बिजली, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, यातायात आदि बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उच्च घनत्व तथा पर्यावरण-प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ रही हैं।




चित्र 12.4 ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। हमारे देश में लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में रहा है। बीसवीं शताब्दी के शुरु में भारत में लिंग अनुपात 972 (1901) था। अगले दशकों में यह और कम हो गया। पिछले दशक में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है जब यह 1991 में 929 से 2001 में बढ़कर 933 हो गया, जो उत्साहवर्धक है। केरल (1058) और पांडीचेरी (1001) दो राज्य हैं, जहां लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में है।

आयु संरचना

जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार भी बांटी जाती है। जनसंख्या की आयु-संरचना मोटे तौर पर प्रायः तीन आयु वर्गों में बांटी जाती है : काम करने की आयु से कम आयु वाले बच्चे (15 वर्ष से कम), काम करने वाली आयु के लोग (15 से 59 वर्ष तक) तथा काम करने की आयु से अधिक आयु वाले वृद्ध लोग (59 वर्ष से अधिक)।



चित्र 12.5 भारत में जनसंख्या की आयु-संरचना

जो कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में लगा है और उत्पादन की क्षमता रखता है वह अर्जक जनसंख्या का भाग है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। गृहिणियां, पूर्णकालिक विद्यार्थी तथा जो 60 वर्ष की आयु के बाद भी कार्य करते रहते हैं वे अर्जक जनसंख्या में सम्मिलित हैं। 15 वर्ष से कम आयु और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। चित्र 12.5 भारत में उपरोक्त तीन आयु वर्गों में जनसंख्या का वितरण दिखाता है।

व्यावसायिक संरचना

देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का अर्थ विभिन्न व्यवसायों के अनुसार लोगों के वितरण से है। मोटे तौर पर व्यवसायों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है - प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं। कृषि, पशु-पालन, वानिकी तथा मत्स्य पालन आदि व्यवसाय संयुक्त रूप से प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय माने जाते हैं। ये प्राथमिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहां प्रकृति के सहयोग से उत्पादन किया जाता है। वस्तु निर्माण उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है।

अधिकांश विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन आदि में प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या का अनुपात केवल 2 से 7 प्रतिशत के बीच है, जबकि भारत में यह 67 प्रतिशत है। व्यावसायिक संरचना विकास के स्तर का एक महत्वपूर्ण द्योतक है।

यातायात, संचार के साधन, बैंकिंग सेवाएं आदि तृतीयक व्यवसाय कहे जाते हैं।

अर्थव्यवस्था के विकास तथा व्यावसायिक संरचना में बहुत घनिष्ठ संबंध है। यदि द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में जनसंख्या का अधिक अनुपात लगा रहता है तब लोगों की आय का स्तर अधिक होता है। दूसरी ओर कृषि अथवा अन्य प्राथमिक व्यवसायों में अधिक निर्भर होने से आय का स्तर कम होता है। हमारे देश में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात 67 प्रतिशत (1991) है। द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत क्रमशः लगभग 13 तथा 20 है। हमारे देश में पिछले पांच दशकों में बढ़ते हुए औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। यह प्रवृत्ति विकसित राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल में स्पष्ट है। परंतु कम विकसित राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि में अधिक जनसंख्या अभी भी मुख्यतया कृषि पर निर्भर है।

साक्षरता

साक्षर उसे कहते हैं जो कुछ समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तथा सात वर्ष या उससे अधिक आयु का है। साक्षरता का संबंध सामान्यतः स्कूल जाने से होता है - चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। भारत में साक्षरता का स्तर 5 प्रतिशत (1901) से बढ़कर 65.35 प्रतिशत (2001) हो गया है। हमारे देश के लगभग 75 प्रतिशत पुरुष तथा 54 प्रतिशत महिलाएं आज साक्षर हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे देश के तीन-चौथाई पुरुष और आधी से अधिक महिलाएं साक्षर हैं। केरल में साक्षरता 90 प्रतिशत है जो सब राज्यों से अधिक है और उसके बाद 88.49 प्रतिशत साक्षरता के साथ मिजोरम दूसरे स्थान पर तथा 87.52 प्रतिशत के साथ

लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। हमारे देश में बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है (जनगणना 2001)। जनसंख्या की वृद्धि और निरक्षरता के बीच एक घनात्मक संबंध है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है और इन राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। इस संबंध में महिला साक्षरता का विशेष महत्त्व है।

स्वास्थ्य

विकास प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य है। स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर प्रयासों से जनता की स्वास्थ्य स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्लेग तथा चेचक जैसी बीमारियां लगभग समाप्त कर दी गई हैं। मलेरिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। मृत्यु दर भी पहले की तुलना में आधे से भी कम हो गई है। जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 1951-61 में केवल 41 वर्ष थी, 2001 में बढ़कर 61 वर्ष हो गई है। यद्यपि काफी उपलब्धियां हुई हैं, परंतु भारत में स्वास्थ्य की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। प्रतिव्यक्ति कैलोरी उपभोग अब भी वांछित स्तर से बहुत नीचे है। (आयु, लिंग तथा व्यवसाय के आधार पर विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए आहार विशेषज्ञों द्वारा कैलोरी की मात्रा स्वीकृत की गई है। कैलोरी उपभोग की औसत मात्रा नगरीय क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी है।) इससे बहुत भयंकर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। पीने योग्य सुरक्षित पानी तथा सामान्य सफाई की सुविधाएं, जो जल द्वारा फैलने वाले रोगों को रोकने के लिए आवश्यक हैं, ग्रामीण जनसंख्या के केवल एक-तिहाई भाग को उपलब्ध हैं। अतः इन समस्याओं का निदान देश में एक उपयुक्त जनसंख्या योजना द्वारा ही किया जा सकता है।

किशोर जनसंख्या

भारत की जनसंख्या का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा व्यस्कों से अधिक होती हैं। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को

उपलब्ध भोजन, पोषक तत्वों की दृष्टि से अपर्याप्त रहता है। बहुत-सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ायी जा सकती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

जनसंख्या की स्थिरता के लिए भारत 1952 से जनसंख्या नीति कार्यान्वित करता रहा है। इराका उद्देश्य देश का विकास करना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता को विकसित करना रहा है। हमें मृत्यु दर घटाने में सफलता मिली है। पिछले वर्षों में इस नीति का प्रमुख ध्येय परिवार नियोजन तथा जन्म दर पर नियंत्रण रहा है। इसके अतिरिक्त 2000 ई. की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (National Population Policy, NPP) का लक्ष्य सन 2045 ई. तक जनसंख्या को स्थिर करना है। इस नीति के अनुसार यह लक्ष्य विवाह की आयु बढ़ाकर, 14 वर्ष की आयु तक के लिए स्कूल शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाकर तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या को घटाकर पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर/किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की, जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन-संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर/किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर/किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भनिरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है।

अभ्यास

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. जनगणना क्या होती है?
2. लिंग अनुपात की परिभाषा दीजिए।
3. जन्म दर तथा मृत्यु दर की व्याख्या कीजिए।
4. जनसंख्या के अध्ययन का महत्त्व क्या है?
5. आदर्श अथवा अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
6. किसी एक कारक का विवरण दीजिए जिससे भारत में जनसंख्या बढ़ी हो।
7. व्यवसायिक संरचना किसी देश के विकास के स्तरों को कैसे दर्शाती है?
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :
 - (i) भारत में नगरीकरण
 - (ii) जनसंख्या की आयु-संरचना तथा आश्रित दर
 - (iii) भारत में किशोर जनसंख्या
 - (iv) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
 - (v) महिलाओं की साक्षरता तथा जनसंख्या-वृद्धि

परियोजना कार्य

- एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम से कम पांच प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हों। प्रत्येक विद्यार्थी को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में (प्रतिशत में) संग्रहीत कीजिए। इस सूचना को वृत्त रेखा, दंड आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए।

पारिभाषिक शब्दावली

<p>अध्यादेश (Ordinance)</p>	<p>जब संसद अथवा विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य से किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति या राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी वही शक्ति होती है जो संसद अथवा विधानमंडल द्वारा बने कानून की होती है।</p>
<p>अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)</p>	<p>यह आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को पाना चाहता है या अपनाए रहता है। इस आदेश के द्वारा न्यायपालिका यह जांच करती है कि उस व्यक्ति का उस पद पर क्या अधिकार है ?</p>
<p>अपील का क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)</p>	<p>यह एक ऊंचे न्यायालय द्वारा अपेक्षाकृत निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने व उस पर निर्णय देने का क्षेत्र अधिकार है।</p>
<p>अवदाव (Depression)</p>	<p>ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है।</p>
<p>अवसादी शैलें (Sedimentary Rocks)</p>	<p>अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है।</p>
<p>आंतरिक अपवाह (Inland Drainage)</p>	<p>एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन् आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है।</p>
<p>आग्नेय शैलें (Igneous Rocks)</p>	<p>वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं।</p>
<p>उच्चावच (Relief)</p>	<p>धरातल अथवा समुद्र की तलेटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं।</p>
<p>उत्प्रेषण (Certiorari)</p>	<p>यह उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत एक आदेश है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं। यह विशेष प्रकार का आदेश प्रायः किसी उम्र की न्यायपालिका द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायपालिका को निर्गत किया जाता है, जिसमें किसी वाद से संबंधित अभिलेख विचारार्थ उम्र की न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश होते हैं।</p>

<p>उपमहाद्वीप (Subcontinent)</p>	<p>एक बहुत बड़ा भूखंड, जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया अलग होता है।</p>
<p>एकल या इकहरी न्यायपालिका (Single Judiciary)</p>	<p>यह किसी देश में न्यायपालिका की संरचना का एक रूप है। एकल या इकहरी न्यायपालिका में न्यायालयों के पद-सोपान होते हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है।</p>
<p>कगार (Escarpment)</p>	<p>किसी पर्वत श्रेणी का तीव्र ढाल।</p>
<p>कार्य स्थगन प्रस्ताव/काम रोकने का प्रस्ताव (Adjournment Motion)</p>	<p>यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा सदन के कार्यक्रम को स्थगित करके सार्वजनिक महत्त्व के किसी अत्यावश्यक विषय पर तुरंत विचार किया जा सके।</p>
<p>किशोरावस्था (Adoloscence)</p>	<p>किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु-वर्ग में होता है।</p>
<p>चुनाव घोषणापत्र (Election Manifesto)</p>	<p>चुनाव या निर्वाचन के समय प्रत्येक राजनैतिक दल (पार्टी) अपनी नीति एवं कार्यक्रम बनाता है, जिसमें वह अपने उद्देश्य घोषित करता है। राजनैतिक दल कुछ वायदे भी करते हैं। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर वे लोगों से मत (वोट) मांगते हैं। जिस अभिलेख में ये नीतियां एवं कार्यक्रम लिखे होते हैं उसे चुनाव घोषणापत्र कहते हैं।</p>
<p>जन्म दर (BirthRate)</p>	<p>प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या।</p>
<p>जनगणना (Census)</p>	<p>यह अधिकारिक रूप से किसी निर्धारित तिथि पर एक दिए हुए क्षेत्र में कुछ आर्थिक व सामाजिक सूचनाओं के साथ की जाने वाली जनसंख्या की गणना है। यह एक निश्चित समय के अंतर (यह सामान्यतया भारत में हर 10 वर्षों की अवधि के बाद) पर की जाती है।</p>
<p>जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)</p>	<p>प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसे एक वर्ग किलोमीटर में, रहने वाले लोगों की संख्या।</p>

जनमत (Public Opinion)	सार्वजनिक महत्त्व के कुछ या किसी विषय पर जनता के विचार जनमत कहलाते हैं। जनमत की अभिव्यक्ति समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी या दूरदर्शन आदि के माध्यम से होती है।
जनसंख्या की वृद्धि दर (Growth Rate of Population)	जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति में ज्ञात किया जा सकता है।
जलवायु (Climate)	पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि (साधारणतया कम से कम 30 वर्ष) की ऋतुओं की दशाओं का औसत।
जलोढ़ मैदान (Alluvial Plain)	नदियों द्वारा बहाकर लायी गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भू-भाग।
जीवोम (Biome)	एक-सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप-समूह।
झील (Lake)	एक जलराशि जो पृथ्वी के सतह के एक गर्त/गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतया स्थल से घिरी हो।
दुर्बलता मंडल (Asthenosphere)	ऊपरी मैटिल की एक शैलीय पर्त जो भूपृष्ठ के ठीक नीचे अर्ध-द्रवित (प्लास्टिक) अवस्था के रूप में होती है।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Notice)	विधायिका के सदस्य सार्वजनिक महत्त्व के किसी अत्यावश्यक विषय की ओर संबद्ध मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सूचना देते हैं। यह सूचना विधायिका के किसी भी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में दी जा सकती है ताकि सरकार उस विषय की ओर तुरंत ध्यान दे सके।
निमज्जन (Subsidence)	जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धराने की क्रिया से है।

<p>नौकरशाही (Bureaucracy)</p>	<p>इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'कार्यालय का शासन' या 'कर्मचारियों/ अधिकारियों का शासन'। नौकरशाही का अभिप्राय उन सभी संगठनों, अधिकारियों तथा निश्चित प्रक्रियाओं से है जो देश के प्रशासनिक तंत्र से संबंधित हैं। व्यापक अर्थ में इसका संबंध नियमित प्रतिरूपों, अधिक कार्यभार तथा सरकारी कार्यालयों की निष्पक्षता से भी है।</p>
<p>पठार (Plateau)</p>	<p>विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भू-भाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हों।</p>
<p>पर्वत (Mountain)</p>	<p>पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतया तीव्र ढालों वाला होता है।</p>
<p>पर्यावरण (Environment)</p>	<p>वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण-स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्त्व आते हैं।</p>
<p>पशु-पक्षी (Fauna)</p>	<p>किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा।</p>
<p>पूंजीवाद (Capitalism)</p>	<p>वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधन कुछ व्यक्तिगत हाथों में रहते हैं जो उनका उपभोग अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए करते हैं।</p>
<p>प्रभुतासंपन्न (Sovereign)</p>	<p>कोई देश या लोग तब प्रभुतासंपन्न होते हैं जब वह किसी राज्य या दूसरे देश के अधीन नहीं होते हैं। इन्हें दूसरे राज्यों से अपने संबंध निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।</p>
<p>प्रवासन (Migration)</p>	<p>लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। आंतरिक प्रवासन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना-जाना तथा बाह्य प्रवासन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना-जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे आप्रवास (Immigration) कहते हैं और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवास (Emigration) कहते हैं।</p>

<p>पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem)</p>	<p>एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है।</p>
<p>बजट (Budget)</p>	<p>यह आगामी वर्ष के लिए होने वाले अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण है। इसमें सरकार के आय के स्रोत तथा जिन मदों पर उनका व्यय होना है, सम्मिलित किए जाते हैं।</p>
<p>भारतीय मानक समय (Indian Standard Time)</p>	<p>भारत की मानक मध्याह्न रेखा (82° 30' पूर्व देशांतर) का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है।</p>
<p>भूगर्भीय (Tectonic)</p>	<p>पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो धरातल की भू-आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं।</p>
<p>भ्रंश (Fault)</p>	<p>आंतरिक हलचलों के कारण भू-पृष्ठ पर पड़ी दरारें जिन के सहारे चट्टाने खिसक जाती हैं।</p>
<p>मृत्यु दर (Death Rate)</p>	<p>प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।</p>
<p>मानसून (Monsoon)</p>	<p>एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है।</p>
<p>मैंडमस (Mandamus)</p>	<p>यह किसी न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय, शासकीय अधिकारी, प्राधिकरण या संस्था द्वारा निश्चित आदेश के अनुपालन का निर्देश है।</p>
<p>मैदान (Plain)</p>	<p>समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र।</p>
<p>युवा/नवीन पर्वत (Young Mountains)</p>	<p>पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एण्डीज़ तथा रॉकी पर्वत।</p>
<p>राष्ट्र निर्माण (Nation Building)</p>	<p>इस शब्द से एक प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा लोग अपने को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करते हैं और स्थायित्व देते हैं। इससे उन प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं के निर्माण का बोध होता है जिससे एक राष्ट्र प्रभुतासंपन्न स्वायत्त राज्य का निश्चित रूप प्राप्त करता है।</p>

राष्ट्रीय उद्यान (National Park)	एक आरक्षित क्षेत्र जहां उसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव-जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है।
रूपांतरित या कार्यांतरित शैलें (Metamorphic Rocks)	पूर्व-निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलें।
लिंगानुपात (Sex Ratio)	भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं।
वनस्पति (Flora)	किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़-पौधों का आवरण।
वलथ (Fold)	पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल-पतों में पड़ने वाले मोड़ या वलथ।
शक्ति-संतुलन (Balance of Power)	राष्ट्रों के समूह के सदस्यों के बीच शक्ति का ऐसा संतुलन जिसमें सभी सदस्य इतने शक्तिमान हों कि उनमें से कोई एक अपना प्रभुत्व दूसरे पर न जमा सके।
संशोधन (Amendment)	संशोधन का अर्थ है परिवर्तन अथवा सुधार। सामान्यतया इस शब्द का प्रयोग किसी देश के संविधान में एक या एक से अधिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है।
स्थलमंडलीय प्लेटें (Lithospheric Plates)	दुर्बलतामंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भू-पृष्ठ या महासागरीय अधस्तल के बड़े-बड़े भाग।
स्वायत्ता (Autonomy)	स्वायत्ता (स्व-शासन) स्वयं शासन करने का अधिकार है। विदेशी सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्ति के लिए राजनीतिक मांग।
संघवाद (Federalism)	संघवाद एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो विभिन्न राज्यों या अन्य राजनैतिक इकाइयों को एक सर्व-प्रभुता संपन्न व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार जोड़े रहता है कि इनमें से प्रत्येक अपनी आधारभूत राजनैतिक स्वायत्ता बनाए रखे।
संसद को बुलाना (Summoning of Parliament)	जब किसी निश्चित दिन या समय पर राष्ट्रपति संसद का सदन बुलाते हैं तब इसे 'संसद को बुलाना' या 'संसद आहूत करना' या 'संसद का आह्वान' कहते हैं।

<p>समाजवाद (Socialism)</p>	<p>ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधन पूरे समाज द्वारा या राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।</p>
<p>सत्रावसान (Prorogation)</p>	<p>राष्ट्रपति के आदेश से संसद के सत्र का समापन।</p>
<p>सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)</p>	<p>यह संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मंत्रि-परिषद के किसी निर्णय या कार्य के लिए सभी मंत्री संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। यदि उनके कार्य संसद द्वारा पुष्ट नहीं किए जाते तो पूरे मंत्रि-परिषद को त्यागपत्र देना होता है।</p>
<p>सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage)</p>	<p>इसका अभिप्राय जाति, धर्म, वर्ण, लिंग अथवा शिक्षा के आधार पर बिना भेदभाव के किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों के मत देने के अधिकार से है।</p>
<p>हिमानी (Glacier)</p>	<p>बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे-धीरे गतिशील होता है।</p>
<p>हीबस कार्पस (Habeas Corpus)</p>	<p>किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह याचिका बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उलंघन करने या अवैधानिक रूप से जेल में रखने के विरुद्ध उच्चतम या उच्च न्यायालय में दायर की जाती है।</p>

AN OVERVIEW

Non-Formal Education and Alternative Schooling

Efforts were made towards creating a strong resource base at the state level organisations as well as voluntary organisations through regional process-oriented programmes. Voluntary organisations in the states were assisted in training of NFE functionaries. A need-based training programme for the faculty members of SCERTs of Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Sikkim and Nagaland was organised. Three training programmes for the faculty of DRUs of Assam and two training programmes for the DRUs located with voluntary agencies in different states were organised. Three training workshops to help the voluntary organisations getting grants to implement the centrally sponsored NFE scheme were organised. Voluntary organisations were also assisted in the training programmes organised by them. Five instructional packages under the project, 'Development of Learner-specific Skill-based Materials for Street and Working Children' in: (i) agricultural activities, (ii) repair workshops, (iii) roadside *dhabas*, tea shops and restaurants, (iv) rag-pickers, and (v) girls working in several types of home crafts were developed.

A design was evolved for development of ML-based 12 teaching-learning materials catering to four semesters of primary level NFE programme under the series *Milker Seekhein*. A book on environmental studies following the pictorial frame was finalised. Four more local-specific titles based on popular folk stories, children's games, riddles, songs, proverbs and jokes are under print. In the context of development of supplementary materials in mathematics at primary level for motivational and joyful learning, a regional workshop was organised. At the instance of MHRD, the NCERT undertook the responsibility of organising review meetings where the voluntary agencies engaged in innovative experiments in elementary education including NFE, came together and shared their views. A two-day workshop was organised for finalisation of tools for collection of field level data about innovative endeavors. A two-day peer group meeting was also organised for sharing experiences on innovative programmes, implementation strategies and replica-

bility. An annual conference in NFE and alternative schooling was organised which concentrated on emerging issues such as: (i) concept of alternative school and NFE in the context of UEE, (ii) mechanism to ensuring comparability of alternative schooling, NFE and formal schooling, and (iii) the roles and functions of Panchayati Raj institution in the implementation of the programmes for NFE and alternative schooling.

Education of SCs, STs and Minorities

Based on the life and culture of Kond and Saora tribes, supplementary reading materials are being developed through Oriya script. Textbooks for Class II in Santhali, Mundari, Kuruka, Kharria and Ho languages were developed in Devanagari script for Bihar State. Drafts of the two primers for Warli and Rathwa tribes of Gujarat were developed in Gujarati script. Analytical study of teaching-learning material of elementary stage, from the standpoint of maternal prejudicial for SCs/STs and minorities, continued. A study to determine the efficacy of Ashram Schools is in progress. A study on analysis of curriculum in *Maktabs/Madrasas* has been undertaken. A blueprint of the training package for the teachers of minority institutions was developed.

Education of the Disabled Children

A workshop for personnel from seven states was organised to work out an action plan for strengthening the IEDC in their respective states. In the context of teaching of Hindi language to hearing impaired children in integrated schools, a handbook for primary school teachers is being developed. A project to consider possible flexibility that can be introduced in the examination system for the children with special needs at the elementary and secondary levels is in progress. A training package for primary school teachers teaching disabled children is being developed. In order to promote integrated education for the disabled children, an orientation programme for NGOs in the southern region was organised. In order to strengthen the IEDC implementation, a state level conference of educational administrators to develop plans for integrated education of the disabled, utilising the experience of Project Integrated Education of the Disabled (PIED), was organised and plans for implementation of IEDC were developed.

Education of the Girl Child

Eighteen female and 15 male participants underwent a six-week training programme on 'Methodology of Women Education and Empowerment'. Among other things, a training manual was developed for use in the training programme. A study on 'Identification of Factors Relating to Recruitment and Posting of Women Teachers in Rural Areas' in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan has been completed.

The data of the Sixth All India Educational Survey was analysed from the gender point of view and a hand-out was prepared. The report of the situation of girls/women in Delhi was prepared in collaboration with TINNARI (the Centre for the Third World Women's Studies for Delhi State Commission). The textbooks for the upper primary stage were evaluated from the standpoint of gender bias and gender stereotyping.

A country paper on 'Situation of Girl Child in India' was prepared and presented in SAAK's Workshop on Mid-Decade Review of the Girl Child. Papers were presented in the Ninth World Congress on Comparative Education held at the University of Sydney, Australia. Resource support was provided in gender training programmes organised by the SCEKTs of Haryana and Rajasthan, and several other organisations.

NON-FORMAL EDUCATION AND EDUCATION OF GROUPS WITH SPECIAL NEEDS

NON-FORMAL EDUCATION

To place the Non-Formal Education (NFE) on sound footing, the NCERT has been concentrating on resource development, development of teaching-learning materials and identification of strategies for alternative schooling. Efforts were made towards creating a strong resource base at the state level organisations as well as the voluntary organisations through regional process-oriented training programmes. Voluntary organisations of different states were assisted in the training of NFE functionaries to act as a resource team for their states. They were trained in the scrutiny and analysis of MLL-based NFE materials and provided practical training in effective transaction of teaching-learning materials in the NFE Centres.

Training

Training of NFE Faculty Members of SCERTs

A training programme for the faculty members of the SCERTs of Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Sikkim and Nagaland was designed on the basis of their needs as well as latest developments in educational planning process in Elementary Education. Among other things, the activities centred round the task of analysing and reviewing curricula and instructional materials, strategies of development of local-specific and MLL-based materials and conducting field-based research studies.

Training of DIETs/DRUs

Three training programmes for the faculty of DRUs of Assam and two training programmes for the DRUs located with voluntary agencies in different states were organised. A Training Manual for DRUs personnel was used during training programmes in which new trends and strategies of NFE programmes in the context of Education For All, especially under the DPEP, were highlighted. Analysis of teaching-

learning materials and demonstration of various field activities are some of the main features of the training programmes for DIETs/DRUs.

Resource Development in States and Voluntary Agencies

Three training workshops to help the voluntary organisations getting grant from the MHRD to implement the centrally sponsored NFE scheme were organised at SRC, Chennai, Rayalseema Seva Samiti, Andhra Pradesh, and at SIEMAT, Allahabad. Voluntary organisations were also helped in the training programmes organised by them for different levels of NFE functionaries of Rajasthan, Haryana, Manipur, Maharashtra and Bihar.

Development

Learner-specific Skill-based Teaching-learning Materials for Street and Working Children

Designing educational programmes for street and working children is a critical area of curriculum concern in India. Based on the philosophy and focus of various organisations, several strategies have been evolved at Non-Government Organisations (NGOs) and at government levels. Under the project, 'Development of Learner-specific Skill-based Materials for Street and Working Children', drafts of five instructional packages were developed for five categories of street and working children, namely, children engaged in (i) agricultural activities, (ii) children working in repair workshops (cycle, scooter, car, etc.), (iii) children employed by road-side *dhabas*, tea shops and restaurants, (iv) rag-pickers, and (v) girls working in several types of home-crafts.

Four primers and 72 lessons were developed. The lessons were sequentially arranged in five packages. These materials were developed on the basis of (i) identification of vocabularies of five groups of children prepared through frequent interactions, (ii) analysis and review of day-to-day life situations and environmental set-up of the concerned groups, (iii) competencies identified under MLLs at primary level, (iv) designing potential strategies for presentation of the content areas with specific focus on children's concerns and MLLs.

The lessons were developed in a variety of format and style: name, story, poem, songs, dialogue, travelogue, narration, games, pictorial frame for generating discussions, cards and posters. There is emphasis on the joyful learning. The learning situations provide ample scope for critical analysis of problems faced by these children. The materials developed as integrated packages are currently being field-tested

MLL-based Pictorial Materials in Environmental Studies

The NCERT has evolved a design for development of MLL-based 12 teaching-learning materials catering to four semesters of primary level NFE programme under the series *Milkar Seekhein*. A workshop was organised for finalisation of one book in Environmental Studies following the pictorial frame. The book focuses on developing pre-learning basic skills (e.g. observation, differentiation and classification of objects in environment and in work places) among learners.

Local -specific Materials

Under the series *Milkar Seekhein*, four more titles are under print. The material is based on popular folk stories, children's games, riddles, poems, songs, proverbs and jokes.

Supplementary Materials in Mathematics at Primary Level for Motivational and Joyful Learning

Under this programme, levels of children of the third and the fourth semesters in NFE were identified with regard to their power of understanding mathematical terms, concepts, principles, processes and language on the basis of personal interaction with them. Two NFE Centres and two formal primary schools in Delhi were selected for this purpose.

A regional workshop (covering southern region) was organised for developing exhaustive supplementary materials. Similar materials have been planned to be prepared through regional workshops.

NFE Training Package for Upper Primary NFE Centres

A detailed schedule of NFE Instructors' training has been developed which would

make the basis for smooth running of NFE Centres being run by states and voluntary agencies. The states of Haryana, Uttar Pradesh and Manipur were assisted in the development of teaching-learning materials.

Evaluation

The MHRD, Government of India, under its grant-in-aid scheme, provides hundred per cent financial assistance to various voluntary agencies for carrying out innovations and experimentation in Elementary Education, including NFE. At the instance of the MHRD, the NCERT undertook the responsibility of organising review meetings where the voluntary agencies engaged in such experimentations would come together and share their views with each other and steps could be taken for wider dissemination of information on educational innovations.

About 34 leading voluntary organisations are engaged in experimentation/innovations in NFE. The activities of these agencies include evolving innovative strategies for development of curriculum and instructional materials, identification of teaching-learning strategies, and networking with various developmental and community development-oriented organisations. In order to share experiences and identifying innovative components of the programme, a two-day workshop was organised in which tools were finalised for collection of field level data about innovative endeavours. A two-day Peer Group Meeting was also organised for sharing experiences among the field functionaries on innovative programme implementation strategies, replicability and areas of mutual development. The programme provided information on the areas of educational intervention through innovative NFE and other educational programmes. The major issues discussed were: (i) mainstreaming of the innovative strategies with state educational programmes, and (ii) creating technical support system for capacity-building in various state and voluntary organisations.

Extension

An annual conference in NFE and Alternative Schooling was organised from 26 to 28 February 1997. The deliberations concentrated on emerging issues, viz. (i) the concept of Alternative Schooling and NFE in the context of UEE, (ii) mechanism of ensuring

comparability of Alternative Schooling, NFE and the Formal School, and (iii) the roles and functions of Panchayati Raj institutions in the implementation of the programmes for NFE and Alternative Schooling.

Besides organisational level programmes and activities in the NCERT, consultancy was provided to various government and voluntary organisations including SCERTs and DIETs in designing educational programmes based on MLLs and in the area of Work Experience.

Regional Level Inputs to Non-Formal Education

The RIE, Bhopal is working on the development of Alternative Schooling system suited to rural and tribal areas. Formative evaluation of Alternative Schooling projects was conducted in six districts of Madhya Pradesh at the instance of the Rajiv Gandhi Primary Siksha Mission.



EDUCATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND MINORITIES

With a view to hasten the process of Universalisation of Elementary Education (UEE), the NCERT is giving special emphasis on matters related to education of groups with special needs such as scheduled castes (SCs), scheduled tribes (STs) and minorities. Based on the life and culture of the Kondh and Saora tribes, supplementary reading materials are being developed through Oriya Script. Textbooks for Class II in Santhali, Mundari, Kuruka, Kharia and Ho languages were developed in Devanagari script for the Bihar State. Drafts of the two primers for Warli and Rathwa tribes of Gujarat were developed in Warli and Rathwa languages through Gujarati-script

The analytical study of teaching-learning material of elementary stage from the standpoint of material prejudicial for SCs, STs and minorities continued. A training programme for teacher leaders of state level functionaries in tribal education was undertaken. A study to determine the efficacy of Ashram Schools is in progress. A programme of Analysis of Curriculum in Maktabas/Madrasas has been undertaken with a view to bring the children studying in these traditional institutions at par with children studying in other schools by suggesting curriculum modifications in the light of the Minimum Levels of Learning (MLLs). Curricula and instructional materials have been collected from Madhya Pradesh. Collection of materials, data, etc. from Kerala and Uttar Pradesh is in progress.

A blueprint of training package for the

teachers teaching in minority institutions was developed. A perspective paper on the role assigned to the teachers of minority institutions is being prepared.

Reports and Other Materials Brought Out during 1996-97

Supplementary Reading Material for Tribal Students



1. *Saora Sanskriti*
2. *Kondh Sanskriti*
3. *Saora Lok Kathain*
4. *Kondh Lok Kathain* (manuscript)

Textbooks in Tribal Dialects

1. Primer/Textbook for Class II in Santhali language (Bihar)
 2. Primer/Textbook for Class II in Mundari language (Bihar)
 3. Primer/Textbook for Class II in Kurukh language (Bihar)
 4. Primer/Textbook for Class II in Kharia language (Bihar)
 5. Primer/Textbook for Class II in Ho language (Bihar)
 6. Primer/Textbook for Class I in Warli language (Gujarat)
 7. Primer/Textbook for Class I in Rathwa language (Gujarat)
- (All manuscripts)

EDUCATION OF THE GIRL CHILD

The NCERT continued assisting and advising the central and the state governments in implementation of the National Policy on Education (NPE) 1986 (with modifications undertaken in 1992) with respect to Education for Women's Equality and Empowerment. This Organisation acts (i) as a National Resource Centre for Women's Education and provides consultancy to the United Nations and certain other international organisations and (ii) as a nodal point for women's education for SAARC activities. Interventions are made in the areas of policy planning, curriculum and teacher education for removing gender disparities and gender bias.

Seventh Training Programme on Methodology of Women's Education and Development

Eighteen female and 15 male participants underwent a six-week training programme on Methodology of Women's Education and Empowerment. The participants were drawn from 18 states and UTs, viz. Mizoram, Nagaland, Manipur, Assam, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondicherry, Goa, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Gujarat, Haryana, Maharashtra, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir. The methodology of the training programme is highly participatory and rich interaction among diverse cultural groups is in itself rewarding. A training manual and some other materials were developed for use in the programme.

Report of the Working Group on Education and Training for Women's Empowerment

The Working Group set up by the Central Social Welfare Board gave its analysis and recommendations on the reorganisation of the condensed courses of Education and Vocational Training for women in the age-group 15-35. The Head of the Department of Women's Studies, NCERT was the convenor of the above Group.



Studies Related to Women's Education

A study on 'Identification of Factors Relating to Recruitment and Posting of Women Teachers in Rural Areas' in four major northern states, viz. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan has been completed. The study employed both quantitative and qualitative techniques and was carried out in the participatory mode. It was completed in two parts. (i) Policy analysis (policies regarding recruitment, posting and transfers of teachers in elementary schools in rural areas); (ii) Analysis based on information collected through canvassing interview schedules to teachers and parents and group discussions. The findings and recommendations of the study would help the states in restructuring their policies and procedures for recruitment and posting of women teachers in rural areas. Twenty district reports under the District Primary Education Programme (DPEP) Gender Studies

Mysore developed training material to enable teachers to identify children with disabilities in learning and the classroom strategies. A training package on remedial instruction in Mathematics for slow learners at the upper primary level was also developed.

Reports and Other Materials Brought Out during 1996-97

1. Project Integrated Education for Disabled:
A Handbook

2. Evaluation Study of the Training Programme for ICDS functionaries for Meeting Early Identification and Intervention for Children with Special Needs.



Annual Report
1996-97

were reviewed. A national report covering 44 districts of eight states was finalised.

The data of the Sixth All India Educational Survey was analysed from gender point of view and a hand-out was prepared for printing. A report on the situation of girls/women in Delhi was prepared in collaboration with TINNARI (the Centre for Third World Women's Studies for Delhi State Commission).

The NCERT textbooks for the upper primary stage were evaluated from the point of view of gender bias and gender stereotyping

Resource Support and Consultancy

Resource support was provided in gender training programmes organised by the SCERTs of Haryana and Rajasthan and several other organisations like NIEPA, IAMR, Delhi University, Family Planning Association of India, Lok Jumbish (Rajasthan), Media Advocacy Group, Delhi. A country paper was prepared and presented on 'Situation of Girl Child in India' in SAARC workshop on Mid-Decade Review of the Girl Child. Papers were presented in the Ninth World Congress on Comparative Education held at the University of Sydney, Australia.

One faculty member was deputed to participate in a six-week training programme, Gender Planning Training Project, held at

Lal Bahadur Shastri National Academy, Mussoorie, sponsored by the Government of India and the U.K. The training was followed by a follow-up post-course workshop and an end-of-project seminar.

Report and Other Materials Brought Out during 1996-97

1. Manual and Report of the Seventh Training Programme on Methodology of Women's Education and Development (xeroxed)
2. Reports on the Evaluation of Upper Primary Textbooks Prepared by the NCERT from the Point of View of Gender Bias (typed)
3. Women Who Created History (under print)
4. Legal Literacy for Educational Personnel with Focus on Girls and Women: Resource Material (under print)
5. Situation of Girls and Women in Delhi
6. Women's Equality and Empowerment through Curriculum: Handbook for Teachers at Upper Primary Stage
7. Report of the Central Social Welfare Board Working Group on Education and Training for Women's Empowerment (xeroxed)
8. *Balika Mein Sakaratmak Atma Bodh Vikas* (under print)



DEPARTMENT OF EDUCATION IN NON-FORMAL AND ALTERNATIVE SCHOOLING

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1	2	3	4	5
1.	Workshop for Peer Group Evaluation of Voluntary Organisations.	23 to 25 April 1996	NCERT, New Delhi	6
2.	Resource Development in States and Voluntary Agencies.	6 to 10 May 1996	SRC, Madras	60
3.	Training of DIET/DRU Faculty.	17 to 21 May 1996	NCERT, New Delhi	20
4.	Resource Development in States and Voluntary Agencies.	20 to 24 May 1996	RASS, Tirupati	74
5.	Peer-Group Evaluation of Innovative and Experimental NFE Programmes.	29 to 30 May 1996	NCERT, New Delhi	67
6.	Development of Supplementary Materials in Maths for Motivational and Joyful Learning.	7 to 10 October 1996	CERIT, Mitraniketh, Kerala	15
7.	Meeting of the Sub-Committee: Ninth Five Year Plan Formulation in the area of Non-Formal Education.	23 October 1996	NCERT, New Delhi	8
8.	Training of DIETs/DRUs faculty	21 to 25 November 1996	DIET, Mirza Assam	36
9.	Resource Development in States and Voluntary Agencies.	6 to 10 January 1996	SIEMAT, Allahabad	68
10.	Training of NFE Faculty Members of SCERTs.	3 to 7 February 1997	SCERT, Patna	33

1	2	3	4	5
11.	National Seminar on NFE and Alternative Schooling.	26 to 28 February 1997	NCERT New Delhi	36
12.	Development of NFE Training Package for Upper Primary NFE Centres.	31 March to 4 April 1997	SCERT Gurgaon	24
13.	Development of Supplementary Materials for Reinforcement of Comprehension Skills in Children.	31 March to 6 April 1997	Literacy House Lucknow	23
<u>Specific Grant from MHRD</u>				
14.	Development of Teaching Learning Materials for NFE in Hindi.	26 to 29 April 1996	NCERT New Delhi	4

DEPARTMENT OF EDUCATION OF GROUPS WITH SPECIAL NEEDS

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1	2	3	4	5
(A) <u>Special Education</u>				
1.	Refresher Course for Single Disability Oriented Teachers in other Disabilities.	5 May to 4 June, 1996	Madurai	42
2.	Strengthening of Integrated Education of Disabled Children (IEDC) in the States	10 to 11 September 1996	NCERT New Delhi	25
3.	Regional Orientation Programme of Non-Govt. Organisation (NOGs) to promote Integrated Education for Disabled Children	23 to 27 September 1996	Ernakulam	95
4.	A Benchmark Survey to identify Disability amongst Children in the Age 6-14 Years Age Group in the DPEP Districts.	30 September to 1st October 1996	NCERT New Delhi	11
5.	Examination Procedures for Children with Special Needs at the Elementary and Secondary Levels.	31 October to 1 Nov., 1996	NCERT New Delhi	40
6.	Examination Procedures for Children with Special Needs at the Elementary and Secondary Levels.	5 March 1997	NCERT New Delhi	9
(B) <u>SC/ST Education</u>				
7.	Preparation of Supplementary Reading Material for Tribal Students-Planning Group Meeting for Orissa State.	13 to 13 June 1996	Bhubaneswar	19
8.	Training of Teacher Leaders and State Level Functionaries in Tribal Education.	15 to 19 July 1996	NCERT New Delhi	18
9.	Preparation of Textbook in Tribal Dialects, Gujarat State.	3 to 4 September 1996	Ahmedabad	12

1	2	3	4	5
10.	Preparation of Supplementary Reading Material for Tribal Students-Working Group Meeting for Orissa State.	17 to 18 September 1996	Bhubaneswar	27
11.	Preparation of Supplementary Reading Material for Tribal Students-Workshop for Orissa State.	18 to 23 November 1996	Bhubaneswar	40
12.	Workshop for preparation of Textbooks in Tribal Dialects.	9 to 18 December 1996	NCERT New Delhi	12
13.	Workshop for preparation of Textbooks on Tribal Dialects.	20 to 31 January 1997	NCERT New Delhi	17
14.	Preparation of Supplementary Reading Material for Tribal Students Workshop for Orissa State.	27 February to 4 March 1997	Bhubaneswar	24
15.	Preparation of Textbooks in Tribal Dialects-Workshop for Gujarat State.	31 March to 5 April 1997	Ahmedabad	24
(C) <u>Minority Education</u>				
16.	Analysis and Modification of Curriculum in Markets-Planning Group Meeting.	10 to 11 July 1996	NCERT New Delhi	18
17.	Development of Training Package for Key Persons for Teacher Training in Minority Institutions.	23 to 24 September 1996	NCERT New Delhi	11

DEPARTMENT OF WOMEN STUDIES

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1	2	3	4	5
1.	Seventh Training Programme on Methodology of Women's Education and Development.	19 August to 27 September 1996	NCERT New Delhi	33

VIII

*NON-FORMAL EDUCATION AND
EDUCATION OF GROUPS WITH SPECIAL NEEDS
(SC/ST, Minorities, Disabled & Girls)*

1997-98

AN OVERVIEW

Non-Formal Education and Alternative Schooling

Learner Specific instructional materials related to vocabulary were developed for street and working children, girls living in slum areas, children working in *dhabas*, repairing workshops. The vocabulary of children engaged in various activities, its gradation, coverage in lessons and teacher's notes for transactional processes formed part of the developed materials. For capacity building of curriculum framers and material developers at upper primary stage, competencies were identified and guidelines were developed for Language, Mathematics, Science, Social Sciences and Work Experience. After identifying the expected competencies at the end of Class VI of formal schools, competency based textual materials for learners of the NFE were modified and fresh materials in Algebra and Geometry were developed. The Supplementary Readers I and II were reviewed and finalised.

The NFE faculty members of SCERTs/SRCs in NFE and Alternative Schooling were oriented in various aspects of NFE Programme. For sharing of experiences two

programmes were organised involving State Government officials and NGOs.

Under the MHRD's Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Agencies for carrying out innovations and experimentation in elementary education, including NFE, a peer review of proposals for innovative and experimental projects in NFE was undertaken. Consultancy services in the field of NFE were extended to various governmental and voluntary organisations.

Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and Minorities

Language textbooks for Classes I and II for children of the Santhal, Munda, Oraon, Kharia, Saora, Gond and Irula tribes were prepared in tribal dialects (Regional scripts) and disseminated to the concerned States. The manuscripts of textbooks in Warli and Rathwa tribal dialects of Gujarat and Santhali, Mundari, Kurukh, HO and Kharia of Bihar were finalised. Manuscripts of the Supplementary Reading materials for Saora and Kondh tribes of Orissa were also finalised.

To study the efficacy of Ashram Schools to meet the educational needs of tribal children in terms of learning materials, teaching-learning process and achievement, necessary preparations were made for conducting case studies of selected Ashram schools in Andhra Pradesh, Gujarat, Orissa and Madhya Pradesh. Workshops were organised for identification of attitudinal issues, development of methodology and the training activities for changing attitude of non-tribal teachers towards tribal children. Tribal areas teachers were involved in these workshops. Using the training methodology developed 3000 teachers were covered. A 'Handbook of Information for Teachers on Educational Development of the Scheduled Castes' was developed to enable teachers to understand problems of Scheduled Castes children in learning situations. A study

was undertaken to analyse the content of curricula of Maktabas/Madrasas and to suggest modifications in terms of MLLs at the primary level.

Education of the Disabled Children

A Handbook was developed after identifying the difficulties faced by the hearing impaired children in integrated schools and special schools to assist the primary school teachers, teacher educators and educational planners in planning teaching of Hindi language in an integrated setting. On the basis of assessed needs, the manuscript of another Handbook was developed for providing concrete guidelines for teachers to integrate children with low vision in mainstream environment. A guide book suggesting organisation of a resource room in a normal school, where disabled children are to be integrated, has been developed. Academic assistance was provided to Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Kerala, Maharashtra and Haryana to formulate their plans of action for implementation of integrated education in the DPEP districts. A workshop was organised to share experiences drawn from the Project Integrated Education of the Disabled (PIED) with the Directors of Education and the Deputy Directors of IED Cells in the States. A report highlighting the recommendations for implementing integrated education of the disabled was finalised. Resource support was provided for the disabled in the Central Schools.

Education of the Girl Child

A National Seminar-cum-Workshop was organised to reflect on the progress made in the education of girls and women during 1947 to 1997 and to identify critical issues in education and development of girls, and to work out future directions for education of girls and women towards achieving the ultimate goal of gender equality. The Seminar made several valuable recommendations. A conference was organised to deliberate on the state of education of the Muslim girls. The conference made valuable suggestions to provide school education to Muslim girls and bringing them in the mainstream.

In the second phase of implementation of the Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Haryana, emphasis was given on advocacy for education of the girl child and school based programme on quality and gender equality. Two hundred eighty-six primary teachers were trained in this phase. Six awareness campaigns (*Shiksha Utsavs*) were organised.

Textbooks of Classes I and II of Maharashtra were evaluated from the standpoint of gender bias and gender stereotyping with the help of tools developed by the NCERT.

Non -Formal Education

TO PLACE the Non-Formal Education (NFE) on sound footing, the NCERT has been concentrating on resource development, development of teaching-learning materials and identification of strategies for alternative schooling. Efforts were made towards creating a strong resource base at the state level organisations as well as the voluntary organisations through regional process oriented training programmes. Voluntary organisations of different states were assisted in the training of NFE functionaries to act as a resource team for their states. They were trained in the scrutiny and analysis of NFE materials and provided practical training in effective transaction of teaching-learning materials in the NFE Centres. All materials developed as prototype are open for adaptation, modification and free use by the user agencies-whether state or NGO. Highlights of the programmes undertaken during 1997-98 are as follows.

Development

Learner-specific Materials for Street and Working Children

Four workshops were organised to develop materials for street and working children,

girls living in the slum areas, children working in *dhabas*, repair-workshops etc., involving refinement of vocabulary list of children engaged in various activities separately, its gradation, coverage in various lessons, development of lessons, teacher's notes for transactional process. The manuscripts are ready for finalisation.

Academic Guidelines for NFE Programme at Upper Primary Level

With a view to developing capacity in textbook writing at Upper Primary Stage, competencies were identified and guidelines were developed in the areas of Language (Hindi, English), Mathematics, Science, Social Science and Work Experience for curriculum framers and material developers.

Textual Materials in Mathematics for the First Year of the Middle Stage of NFE

After identifying the competencies earmarked for Class VI of formal schools, the guidelines for the authors of instructional materials were reviewed and the competency-based textual materials developed were modified. Fresh materials in Algebra and Geometry were developed on similar lines.



Academic guidelines were developed in one of the workshops for NFE at Upper Primary level.

Supplementary Materials for Reinforcement of Comprehension Skill in Children

The Supplementary Reader-I was reviewed and finalised. Additional material for second supplementary reader was developed, reviewed and modified.

Training

Training of NFE Faculty Members of SCERTs/SRCs in NFE and Alternative Schooling

A training programme was organised for 34 participants from Delhi, Himachal Pradesh, Haryana, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Rajasthan at the SCERT, Gurgaon to sensitise the participants to the materials and innovations developed for primary level, reviewing of the NCERT model having the cycles of 12,10,8 days on the basis of difficulties faced by the states in its execution, sensitisation and environment building for future work in NFE at upper stage and capacity building for the same, and advocacy for assistance to states of NGO's Projects through Pre-Sanction Appraisal (PSA), Joint Evaluation Team (JET) and the role of SCERTs vis-a-vis *Panchayati Raj* Institutions and Local Self Government.

Resource Development in States and Voluntary Agencies

Two Training programmes were held at the SCERT, Udaipur and RASS, Tirupati to provide a forum for sharing the experiences of various voluntary agencies, bringing Government and NGO's together for sorting out administrative and academic problems, needs for self evaluation, helping JETs and PSAs, interacting with PRIs and local communities and establishing close working relationship with SCERTs, SRCs and DIETs.

Research

Under the DPEP sponsored research on

Interlinkage of DPEP Structures and *Panchayati Raj* Institutions, the field work has been completed in two States and intensive interviews have been carried out.

Evaluation

The MHRD, Government of India, under its grant-in-aid scheme, provides hundred per cent financial assistance to various voluntary agencies for carrying out innovations and experimentation in Elementary Education, including NFE. At the instance of the MHRD, the NCERT undertook the responsibility of organising review meetings where the voluntary agencies engaged in such experimentations would come together and share their views with each other and steps could be taken for wider dissemination of information on educational innovations. A Peer Group review of innovative and experimental projects in the area of Non-Formal and Elementary Education was undertaken from 24 to 26 November 1997. Twenty-five voluntary agencies getting grants from the MHRD, Government of India, participated in the review meeting. These were required to make a presentation of the progress made by them under the four major areas viz., objective of the project, methodologies adopted, extent to which objectives have been achieved and the major problems faced and how these were solved. The peers were requested to make suggestions for overcoming persisting problems. The educational experts also offered suggestions. This meeting provided unique opportunity of sharing experiences among NGO-peer groups, benefit with each other's experiences and making adaptation for replications wherever possible. Thirty-seven participants from Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Delhi, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal attended the review meeting.

Extension

Besides organisational level programmes

and activities in the NCERT, consultancy was provided to various governmental and voluntary organisations working in the field of Non-Formal Education.

Regional Level Inputs to Non-Formal Education

The RIE, Bhopal developed supplementary materials in Non-Formal Education and Alternative Schooling and completed evaluation of Alternative Schooling Project of the Rajiv Gandhi Prathmic Shiksha Mission (RGPSM) in six districts of Madhya Pradesh. Induction and enrichment level training to Key Resource Persons of Madhya Pradesh and DRU, members of DIETs of Maharashtra, Goa and Gujarat was also imparted.

The RIE, Mysore prepared Mass media Materials on competency-based teaching

for Non-Formal Education centres of Tamil Nadu.

Reports and Other Materials Brought Out during 1997-98

1. Academic Guidelines for NFE Programme at the Upper Primary Level (xeroxed)
2. National Seminar on Non-Formal Education and Alternative Schooling (xeroxed)
3. *Milker Seekhein: Bhasha Bhag 4*
4. *Milker Seekhein: Privesh Bhag 3*
5. *Milker Seekhein: Privesh Bhag 4*
6. *Kaharion Ki Phulwari*
7. *Kaam Ki Baten*
8. *Aao Geet Gayen*
9. *Chutikulo Ka Pitara*
10. *Aaao Khel Khele*



Department of Education in Non-Formal & Alternative Schooling (DENFAS)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1	2	3	4	5
1.	Development of Learner specific materials for Street and Working Children.	16 to 22 May, 1997	NCERT New Delhi	10
2.	-do-	28 May to 4 June, 1997	NCERT New Delhi	8
3.	-do-	13 to 16 June, 1997	NCERT New Delhi	8
4.	-do-	23 to 30 June, 1997	NCERT New Delhi	12
5.	Development of Academic Guidelines for NFE Programme at the Upper Primary Level.	4 to 8 August 1997	NCERT New Delhi	14
6.	Training of NFE faculty members of SCERT/SRCs in NFE & Alternative Schooling	22 to 26 Sept., 1997	SCERT Gurgaon	34
7.	Development of Textual Materials in Maths for Middle Stage of NFE	6 to 11 November 1997	BSF Res. School, Kadamtala	13
8.	Peer Group Review of Innovative/Experimental NFE Programme.	24 to 26 November 1997	NCERT New Delhi	37
9.	Resource Development in States & Voluntary Agencies.	27 to 31 January 1998	SIERT Udaipur	36
10.	Development of Supplementary Reading Materials for Reinforcement of Comprehensive Skills in Children.	23 to 27 February 1998	NCERT New Delhi	16
11.	Development of Academic Guidelines for NFE Programme at the Upper Primary Level.	23 to 27 March 1998	RIE, Ajmer	22
12.	Resource Development in States & Voluntary Agencies.	30 March to 13 April 1998	RASS Tirupati	54
13.	Development of Supplementary Reading Materials for Reinforcement of Comprehensive Skills in Children.	30 March to 3 April 1998	NCERT New Delhi	6

WITH a view to hasten the process of Universalisation of Elementary Education (UEE), the NCERT is giving special emphasis on matters related to education of groups with special needs such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Minorities. Highlights of the programmes conducted in this area during 1997-98 are given below.

Efficacy of Ashram Schools

The study aimed at determining the efficacy of the Ashram schools, catering to the educational needs of tribal children, in terms of learning materials, teaching-learning process and achievement. In order to conduct case studies of some schools selected from Andhra Pradesh, Gujarat, Orissa and Madhya Pradesh, tools in the form of questionnaires, interview schedules etc., have been prepared. These tools are in the process of pre-testing and finalisation.

Textbooks in Tribal Dialects

In order to meet the needs of language textbooks for children of different tribes, the NCERT produced textbooks for Classes I and II for the children of the Santhal, Munda, Oraon, Kharia, Saora, Gond, and

Irula tribes in tribal dialects (regional scripts) and disseminated to the concerned states. Some planning group meetings and a series of workshops were organised in collaboration with the states to prepare the textbooks. The manuscripts of textbooks in 'Warli' and 'Rathwa' tribal dialects of Gujarat and Santhali, Mundari, Kurukh, Ho and Kharia of Bihar were finalised in the workshops held at Ahmedabad and Ranchi respectively.

Supplementary Materials for Tribal Students

With a view to make education interesting for tribal students, increasing their retention in schools and inculcating a sense of cultural pride and national integration among tribes, the NCERT prepared supplementary reading materials for different tribes with the cooperation of experts/writers well acquainted with tribal life and culture. The manuscripts of supplementary reading materials developed for Saora and Kondh tribes of Orissa were also finalised.

Attitudinal Training Programme

Three conceptual workshops were held for identification of the attitudinal issues and



development of the methodology and the training activities for changing attitude of non-tribal teachers towards tribal children in their community. Forty tribal area teachers were involved in development of this package and around 3,000 teachers were trained through Cascade mode

Handbook on Educational Development of the Scheduled Castes

A 'Handbook of Information for Teachers on Educational Development of the Scheduled Castes' was developed to understand better the problems of Scheduled Castes children in learning situations.

Education of Minorities

Curriculum in Maktabas/Madrasas

This study conducted in Kerala, Uttar

Pradesh and Madhya Pradesh aimed at analysing the content of existing curricula of Madrasas/Maktabas and suggesting modifications in terms of specified Minimum Levels of Learning (MLLs) at the primary level to fill up gaps, if any. Data has already been collected from Madhya Pradesh, and is being collected from Uttar Pradesh and Kerala. An opinionnaire was finalised for the functionaries in Maktabas/Madrasas for assessing the needs of these traditional institutions.

Regional Level Inputs

The RIE, Bhopal conducted an orientation programme for the supervisory staff of Tribal Development Department of Madhya Pradesh in Educational Supervision and Guidance.

Department of Education of Groups with Special Needs (DEGSN)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1	2	3	4	5
<u>Scheduled Castes/Schedules Tribes</u>				
1.	Preparation of textbooks in Tribal Dialects (Rathwra and Warli tribal dialects of Gujarat)	6 to 11 June, 1997	Ahmedabad	26
2.	Preparation of Supplementary Reading Material for Tribal Students on Saora and Kondh Tribes of Orissa	25 to 30 December, 1997	Bhubaneswar	25
3.	Preparation of textbooks in Tribal Dialects of Bihar State (Santali, Mundari, Kurukh, HO and Kharia)	15 to 23 January, 1998	Ranchi	13
4.	Development of Handbook of Information for Teachers on Educational Development of the Schedules Castes.	Developed at the Deptt. (DEGSN)	Delhi	Nil

Education for Disabled

THE NCERT has been undertaking several programmes/projects to meet the educational needs of children with physical and intellectual disabilities. Highlights of the programmes and activities undertaken during 1997-98 in this area are as follows.

Teaching of Hindi Language to Hearing Impaired Children in Integrated Schools: A Handbook for Primary School Teachers

Focussing on Children of Classes I and II, the project involved identification of difficulties faced by the hearing impaired children through interviews with the teachers and questionnaires for the hearing impaired children in integrated schools and special schools. The data was also collected from secondary sources to find out the possible areas of language difficulties. A handbook has been developed to assist primary school teachers, teacher educators and educational planners in planning teaching of Hindi language to the hearing impaired children in integrated settings.


Handbook for Teachers of Low Vision Primary School Children

Low vision children are a group of visually

impaired children that are most difficult to integrate in mainstream environment. Their problems differ from each other and diagnosis and prognosis along with classroom organisation become a difficult proposition. This research and development programme involving interviews and focused group discussion uncovered the problems faced by teachers and the low vision children in integrated educational settings. On the basis of assessed needs, the manuscript of the handbook for providing concrete guidelines to integrate children with low vision in mainstream environment has been developed.

Resource Facilities in Common Schools for Children with Special Educational Needs: A Guide Book

The Guide Book developed by the NCERT includes details concerning organisation of a resource room in a normal school where the disabled children are to be integrated. Among others, this Guide Book will be useful for the Kendriya Vidyalayas, other Government Schools, voluntary agencies and private schools involved in this kind of work.



Integration of the Disabled Children in Mainstream

Under the District Primary Education Programme the NCERT is providing resource support for integration of the disabled children in ordinary schools. In the district where the Blocks have been selected for this purpose, resource support is being provided by the NCERT for implementation of integrated education, planning, management, formulation of action plans, development of teacher training modules, and for general sensitisation and community mobilisation programmes. During 1997-98, assistance was provided to Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Kerala, Maharashtra and Haryana to formulate their Plans of Action for the year 1998-99.

Strengthening of IED Cells in terms of Capacity Building and Manpower Development for Successful Implementation of Integrated Education of the Disabled Children in the States

The project focusses on promoting implementation of integrated education of the disabled children in the states to facilitate achieving the target of Education for All in the country. This involved training of teacher educators and finalisation of teaching strategy by which the special needs of the children could be met in the classroom. A two-day workshop was organised to share the experiences drawn from the Project Integrated Education of the Disabled (PIED) with the State Directors of Education and the Deputy Directors of IED Cells. A report giving recommendations for implementation of integrated education of the disabled was finalised.

Integrated Education of Children in Kendriya Vidyalaya Schools

Resource support was provided for planning and management of integrated

education of the disabled in the Kendriya Vidyalayas. Suggestions were given in the area of teacher training, pre-school intervention, identification, assessment and creation of teacher-free environment in the light of their special needs.

Regional Level Inputs

The RIE, Bhopal developed a three-month training course for key persons of DIETs and a training module for the Orientation of Master Trainers in Integrated Education of Disabled (IED).

Reports and Other Materials Brought Out during 1997-98

1. Strengthening Integrated Education for Disabled Children: A Report (typed)
2. Evaluation of MCTTP: Findings of a Research Study (typed)
3. Production Systems: A Learning System Device. (Published in the Journal of Indian Education)
 Stress Management in the Visually Impaired (Published in the Indian Journal of Disability and Rehabilitation)
 Mainstreaming Children with Special Needs: Teacher Initiatives (Published in the Newsletter-Glimpses)
4. Handbook of Low Vision Primary Teachers (typed)
5. Report of the Workshop of the State Education Secretaries on Implementation of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (typed)
6. Report on Status Study of IEDC in States for DPEP (typed)
7. Stress: It is only a Headache (Published in Swagat Magazine)

Education of Girls

THE NCERT continued assisting and advising the Central and the State Governments in implementation of the National Policy on Education (NPE)-1986 (with modifications undertaken in 1992) with respect to Education for Women's Equality and Empowerment. This Organisation acts : (i) as a National Resource Centre for Women's Education and provides consultancy to the United Nations and certain other international organisations; and (ii) as a nodal point for women's education for SAARC activities. Interventions are made in the areas of policy planning, curriculum and teacher education for removing gender disparities and gender bias.

National Seminar-cum-Workshop on Fifty Years of Women's Education in India—1947-97

A two-day National Seminar-cum-Workshop was organised on 18-19 September 1997 at the NCERT, New Delhi with the objectives: (i) to assess the progress made in the education of girls and women in the last fifty years in India (1947-97); (ii) to identify critical issues in the education and development of girls; and

(iii) to work out future direction for education of girls and women towards achieving the ultimate goal of gender equality. The Seminar was attended by over 100 leading educationists including State Education Secretaries, Directors of Public Instructions, Directors of SCERTs and experts working in the area of women's education and development. The five technical sessions of the workshop focused on : (a) Early Childhood Care and Education (ECCE); (b) Universalisation of Elementary Education (UEE) with a Focus on the Girl Child; (c) Second Level General, Vocational and Technical Education; (d) Women Empowerment through Curriculum and Transaction; and (e) Education of Out-of School Girls. The Seminar made several valuable recommendations in these areas.

National Conference on Education of Muslim Girls: Issues and Strategies

A two-day Conference was organised to take stock of the present state of education of the Muslim Girls and suggest workable strategies and action programmes. Leading educationists, Muslim organisations like Jamaat-e-Islami Hind, Samstha Kerala



Head, DWS (extreme right) is all for Shiksha Utsav in rural areas

Sunni Vidhaya Bhasa, Hamdard Education Society, Central Wakf Council, Aligarh Muslim University, Maulana Azad Education Foundation and representatives from various states participated in the conference. The conference was inaugurated by Dr. Tahir Mahmood, Chairman, National Commission for Minorities. Several valuable suggestions were made to provide school education to Muslim girls and bringing them in the mainstream.

Textbooks and Gender Bias

Guidelines and tools for evaluation of textbooks from the standpoint of gender bias have been developed for the use of those preparing and revising the textbooks and supplementary reading materials. During the year 1997-98, textbooks of Standards I and II of Maharashtra State were evaluated from the standpoint of gender bias and gender stereotyping.

Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Haryana

The Project which aims at galvanizing the entire state machinery for promoting UEE among girls and disadvantaged groups and for creating positive climate for education of girls and empowerment of women was implemented in two major phases. During the first phase, the emphasis was on gender sensitisation of educational functionaries and advocacy campaigns for generating a pro-girl child climate. The second phase of the project was to create a school environment which not only focused on gender equality but also placed equal emphasis on joyful learning and quality improvement in school environment. The major elements of the programme in the second phase during 1997-98 were: (i) advocacy for education of the girl child; and (ii) school based programme on quality; and gender equality covering improving school infrastructure and total school ambience in terms of cleanliness,

aesthetics, mass participation of children in singing, plays, physical training, love for reading (setting up of Books/Library Corner), drawing, neat handwriting and attractive blackboards and bulletin boards, maps and charts adorning the walls, and above all active, happy teachers who would turn the school into a creative and joyful experience for children with community support and participation.

The strategies for implementation were planned in a meeting with SCERT faculty and head teachers of all 68 primary schools of the Block. About 286 teachers were oriented. Six awareness campaigns (*Shiksha Utsavs*) were organised in different locations catering children and teachers from the surrounding 10 to 12 villages. The final *Shiksha Utsav* was attended by over 2000 children from all 68 schools of the Block, close to 300 primary teachers, head teachers and educational administrators, and an equal number of *Panchayat* members, parents and *Mahila Mandal* (women's groups) members.

Reports and Other Materials Brought Out during 1997-98

Reports

1. Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged in Haryana: Handbook (English and Hindi) (xeroxed).
2. Six Posters on Gender Equality (xeroxed)
3. Audio Cassette on Songs related to education of girls and women and issues of equality (xeroxed)
4. Report of National Seminar-cum-Workshop on Fifty Years of Women's Education in India (1947-97) (xeroxed)
5. Methodology of Women's Education and Development: Training Manual 1997 (xeroxed)
6. Report on Eighth Training Programme on Methodology of Women's Education and Development (xeroxed)

7. UNESCO sponsored Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Haryana: Evaluation Report: 1997 (xeroxed)
- 8 UNESCO sponsored Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Haryana: Report (Phase III) as 1997 (xeroxed)
- 9 Study Visit of Educational Personnel: Female Secondary School Assistance Project of Bangladesh (1997) (xeroxed)
- 10 Proceedings of the Steering Group Meeting on Education of Muslim Girls

in India held on 4 December 1997 (xeroxed)

11. Evaluation of Standards I and II English and Mathematics Textbooks of Maharashtra States (xeroxed)

Publications

12. Women Who Created History
13. Situation of Girls and Women in Delhi
14. Legal Literacy for Educational Personnel with Focus on Women and Girls
15. *Balika Sakaratmak Atm Bodh Vikas*. Resource Material for Primary Teachers and Head Teachers



Department of Women's Studies (DWS)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1	2	3	4	5
1.	National Seminar-cum-Workshop on Fifty Years of Women's Education on India (1947-97)	18 to 19 September 1997	NCERT New Delhi	100
2.	Eighth Training Programme on Methodology of Women's Education and Development.	10 November to 19 December 1997	NCERT New Delhi	24
3.	Study Visit cum Training Programme for Educational Personnel under the "Female Secondary School Assistance Project of Bangladesh".	28 October to 4 Nov., 1997	NCERT New Delhi	7
4.	Steering Committee Planning Group Meeting for the National Conference on Education of Muslim Girls.	4 December 1997	NCERT	18
5.	National Conference on Education of Muslim Girls: Problems and Strategies.	23 to 24 March 1998	NCERT New Delhi	68
6.	Shiksha Leher UNESCO Sponsored Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education among Girls and Disadvantaged Groups in Rural Haryana (1992-98).	-	Khol Block Rewari (Haryana)	-
7.	Planning Meeting with SCERT and Head Teachers	6 November 1997	Gurgaon	15
8.	Orientation of Head Teachers	21 November 1997	Khol Block Rewari	105
9.	Orientation of Teachers	1 Dec., 1997	-do-	279
10.	The Shiksha Utsav (Awareness Generation Campaigns)	5,7,9 January, 1998	-do-	300
11.	Monitoring and Implementation of School Based Activities	10 Jan., to 20 Feb., 1997	-do-	68 Schools
12.	Evaluation of School Based Programme	24 April 1997	-do-	68
13.	Shiksha Utsav	3 April 1997	-do-	2300

IX

***NON-FORMAL EDUCATION AND
EDUCATION OF GROUPS WITH SPECIAL NEEDS
(SC/ST, Minorities, Disabled & Girls)***

1998-99

Non-Formal Education and Alternative Schooling

Studies on (i) Status of NFE at Upper Primary Stage in India, (ii) Status of SCERTs in the field of NFE & AS, (iii) Difficulties faced in teaching-learning of Hindi at Primary level NFE centres, and (iv) Effectiveness of NFE programme in Bihar, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh were undertaken and are at various stages of progress. A training package for District Resource Units (DRUs) and academic guidelines on methodology of development of textual material for NFE at Upper Primary level have been developed. The NFE faculty members of SCERTs/SRCs were oriented in various aspects of NFE&AS with special reference to the thrust areas of Ninth Five Year plan. Two training programmes were also organised for the NGOs receiving grants from the MHRD. Consultancy services in the field of NFE were extended to various governmental and voluntary organizations.

Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Minorities

The training package developed for changing attitude of non-tribal teachers towards tribal children under DPEP has been fine-tuned as a reference book and printed for wider circulation. The study entitled 'Analysis of Existing Curriculum in Government Aided Maktabas/Madrasas' has been conducted. The report of this study is under preparation and highlights the existing situation and the future needs and suggest certain inputs for modularisation of these traditional institutions.

Education of the Disabled Children

A Handbook was developed after identifying the difficulties faced by the hearing impaired children in integrated schools and special schools to assist the primary school teachers, teacher educators and educational planners in planning teaching of Hindi language in an integrated setting. On the basis of assessed needs, another Handbook was developed for providing concrete guidelines for teachers to integrate children with low vision in mainstream environment. A Handbook is also being developed for transacting of mathematics curriculum to visually impaired primary school children in integrated settings. A guidebook suggesting organisation of a resource room in a normal school, where disabled children are to be integrated, has also been developed. Academic assistance was provided to IED coordinators from DPEP states, various NGOs, schools and institutions, Kendriya Vidyalayas, etc. in the area of integration of children with disability in ordinary schools. A workshop was organised to select 10 master trainers to be trained in Australia under India-Australia Capacity Building programme. The evaluation of IEDC to study the impact of integrated education on general education system, teachers and children is in progress.

Education of the Girl Child

The NCERT, as a National Resource Centre for Women's Education, acted as a nodal point for SAARC activities and provided consultancy to the United Nations and certain other international organisations. An evaluation of the central scheme 'Strengthening of Boarding and Hostel Facilities for Girl Students of Secondary and

Higher Secondary Schools' was conducted to assess its impact on enrolment, retention and achievement of the rural girls. The interim report has been sent to the MHRD. Studies on (i) the Impact of Incentive Schemes on the Education of Girls in M P., (ii) School Practices from a Gender Perspective are in progress. Under the UNESCO Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Rural Haryana, a major education festival (Shiksha Utsav) was organised for giving merit awards to the participating schools. A National Workshop on Gender Sensitive Life Skills Approach to Curriculum Transaction at the Elementary Stage was organised in collaboration with TINNARI, an NGO to develop a compendium of generic life skills, breaking down gender stereotyping and identifying broad strategies for integration of these skills in curriculum at the elementary stage. The NCERT also assisted Joint Supervision Mission in evaluation of Lok Jumbish Project and Shiksha Karmi Project.

NON-FORMAL EDUCATION AND EDUCATION OF GROUPS WITH SPECIAL NEEDS

Non -Formal Education

TO PLACE the Non-Formal Education (NFE) on sound footing, the NCERT has been concentrating on resource development, development of teaching-learning material and identification of strategies for alternative schooling. Efforts were made towards creating a strong resource base at the state level organisations as well as the voluntary organisations through regional process-oriented training programmes. Voluntary organisations of different states were assisted in the training of NFE functionaries to act as a resource team for their states. They were trained in the scrutiny and analysis of NFE material and provided practical training in effective transaction of teaching-learning material in the NFE centres. All materials developed as prototype are open for adaptation, modification and free use by the user agencies, whether state or NGO. Highlights of the programmes undertaken during 1998-99 are as follows.

Research

Status of NFE at the Upper Primary Stage in India

For the study 'Status of NFE at the Upper Primary Stage in India' the data has been collected. This scientific benchmark data will be highly useful for later evaluation of the impact of the scheme at this particular stage.

Status Study of SCERTs in the Field of NFE and AS

The collection, tabulation and consolidation of data have been completed and interpretation and analysis of data are in progress.

Difficulties Faced in Teaching-Learning of Hindi at Primary Level NFE Centres in NCT Delhi and Haryana

The tests and questionnaires have been developed and modified in workshops.

Effectiveness of NFE in Bihar, Haryana, Rajasthan and U.P.

This study is expected to throw light on the causes of successes and shortcomings of NFE so that programme modification may be undertaken. The project is on schedule except administration of test in U.P. and Bihar.

Development

Academic Guidelines for NFE Programme at Upper Primary Level

In the light of the ensuing Ninth Five Year Plan initiatives to extend NFE to Upper Primary stage, particularly through the voluntary sector, the NCERT has developed Academic Guidelines on methodology of development of textual material for NFE at Upper Primary Level in the areas of Language, Science, Social Sciences, Sanskrit, Mathematics, Work Experience, Art, Health and Physical Education.

Training Package for DRUs

In order to provide a basic literature for use while at work, the NCERT has developed a Training Package for District Resource Units (DRUs), whether with the DIETs or with the NGOs, to strengthen their capacities.

Training

Training of NFE Faculty of SCERTs/SRCs in NFE and AS

Two training programmes of five days each were

organised for 34 and 40 faculty members of SCERTs/SRCs at New Delhi and Hyderabad, respectively, to orient them in various aspects of Non-Formal Education and Alternative Schooling with special reference to the thrust areas of Ninth Five Year Plan.

Resource Development in States and Voluntary Agencies

Two training programmes of five days each at Bhubaneswar and Coimbatore were organised for the NGOs receiving grants from the MHRD. Fifty-five and thirty-eight senior functionaries of NGOs of Eastern region and the Southern region, respectively, attended the programme.

Extension

Besides organisational level programmes and activities in the NCERT, consultancy was provided to various governmental and voluntary organisations working in the field of Non-Formal Education. The NCERT also acted as a nodal centre for development of the Ninth Plan document, the EFC note for the revision of the NFE scheme and also for the experimental and innovative scheme. The NCERT continued to extend support in evaluating the NFE proposals submitted to the Ministry.

Regional Inputs in Non-Formal Education and Alternative Schooling

The RIE, Bhopal completed a study of Night Schools of Greater Mumbai with

special reference to their structure, functioning and problem. Teaching-learning strategies and material have been developed and finalised. The Institute also carried out evaluation of *Seekhna Sikhana* Package in 10 districts of Madhya Pradesh on a request from the Rajiv Gandhi Prathmic Shiksha Mission (RGPSM) under Alternative Schooling and Education Guarantee Scheme (EGS) of Madhya Pradesh.

The RIE, Bhubaneswar has close collaboration with the NGOs in Orissa and supervise their functions as a member of the Joint Evaluation Team.

Reports and Other Material Brought Out during 1998-99

1. Development of Textual Material in Mathematics (Xeroxed)
2. Academic Guidelines for the Development of Textual Material for NFE at Upper Primary Level in the Areas of Science, Social Sciences, Sanskrit, Mathematics, Work Experience, Art, Health, Physical Education (Xeroxed)
3. Training of NFE Faculty of State Councils of Educational Research and Training/State Resource Centres/State Level Key Resource Persons of Northern Region Implementing NFE Programme (Xeroxed)
4. Report on the Orientation Programme for Senior NFE Functionaries of NGOs from Southern States (Xeroxed)

WITH a view to hasten the process of Universalisation of Elementary Education (UEE), the NCERT is giving special emphasis on matters related to Education of Groups with Special Needs such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Minorities. Highlights of the programmes conducted in this area during 1998-99 are given below.

SC/ST Education

Training Package for Changing the Attitude of Non-Tribal Teachers


On the basis of the suggestions received from the selected educationists, anthropologists, psychologists, linguistics and practitioners necessary changes were made in the Training Package for changing the attitude of non-tribal teachers towards tribal children, developed under the District Primary Education Programme, for the State of Orissa and used with a good amount of success. The revised Training Package will be discussed in a workshop in Orissa with tribal area teachers and practitioners. The training

package will have various sections on tribal children as learners, cultural aspects of tribes, tribal language, learning styles of tribal children, pedagogic practices, both in the community and in the school, including curriculum and teaching methods, etc. and be used as a reference book instead of a package for ready recycling.

Minority Education

Analysis of Existing Curriculum in Government Aided Makhtabs/Madrasas

This project aims to analyse the curriculum in the government aided Madrasas of U.P., Kerala and M.P. The Madrasas were visited and data collected through an opinionnaire developed for the purpose of assessment of their existing educational needs. Instructional material used in these Madrasas was also collected. The analysis revealed that there were certain inputs that were required in terms of modernisation of these traditional institutions. The report of this study is under preparation.



THE NCERT has been undertaking several programmes to meet the educational needs of the children with physical and intellectual disabilities. The major thrust areas for the year 1998-99 include capacity building, improving quality of education of special groups, improving access and networking with NGOs and other institutions working in the area. The NCERT also concentrated its efforts for the implementation of the Persons with Disabilities Act 1995 and a number of programmes were undertaken to promote integrated education of the disabled children in regular schools. Highlights of the programmes and activities undertaken during 1998-99 in this area are as follows.

Research

Evaluation of Integrated Education for Disabled Children

The study aims to assess the impact of integrated education on general education

system, on teachers, on children — both disabled and non-disabled — and to provide database for educational planners and researchers for planning education for disabled children. Five different types of research schedules, interview schedules and questionnaires were developed and finalised for evaluation of integrated education.

Development

Handbook for Transaction of Mathematics Curriculum to the Visually Impaired Primary School Children in Integrated Settings

This handbook is being developed to serve as a guideline for the primary school teachers regarding how to transact the curriculum in a classroom in which children with visual impairments have been integrated with other children. This handbook when ready would help in lessening the gap between the visually impaired and normal children in terms of content areas. The NCERT's primary level



Mathematics books are being used as an exemplar material to find out the difficulties faced by the visually impaired children in gaining access to Mathematics curriculum. The visually impaired children studying in special schools and also in integrated settings were contacted and focussed group discussions were held to find out the difficult areas in the mathematics curriculum.

Simultaneously, a proforma based on the syllabus to be rated in terms of difficulty levels for the visually impaired and sighted children was given to teachers teaching in special schools for the visually impaired and normal schools.

Teaching of Hindi Language to Hearing Impaired Children in Integrated Set-up : A Handbook for Primary School Teachers

This handbook has been developed to teach language to hearing impaired children in integrated set-up. The handbook has three sections. Section I deals with basic information and knowledge required to integrate hearing impaired children in common schools, Section II with grouping for instructions and Section III with adaptations in teaching-learning methodologies and evaluation procedures. With the help of this handbook teachers will be able to manage language development aspect of hearing impaired children identified at an early age coming to school at the age of 6 or 7. The handbook is under print.

Handbook for Teachers of Low Vision Primary School Children

This handbook has been published to provide primary school teachers with sufficient background of low vision children who need low vision services and to help them to understand the impact of low vision on

reading, writing, learning, psycho-social area; etc. This handbook will contribute to the learning of children with low vision who can develop and learn in a normal setting in achieving what is due to them — their actual right to education.

Resource Facilities for Children with Special Education Needs in Common Schools

This guidebook has been developed for states implementing Integrated Education of the Disabled Children (IEDC). Detailed guidelines have been provided to galvanise general education system to meet the needs of Education for All. Guidelines will help to select any model of integrated education implementation, and to equip resource rooms accordingly at the school level, cluster level or Area Resource Centre level. Individual aids required by different types of children with Special Education Needs (SEN) have also been enumerated.

Training

India-Australia Capacity-Building Programme on Integrated Education of Children with Special Needs

This programme was undertaken by the Aus-AID and the MHRD in collaboration with the NCERT. Resource support was provided for this project with a view to train teachers and IED coordinators in the three states, namely, Orissa, Gujarat and Kerala. A training and assessment workshop was organised at the NCERT, New Delhi from 14 to 18 September 1998 for the purpose of selection of 10 teachers that were sent to Australia for getting trained as master trainers. The workshop was attended by 30 participants who were trained by Australian experts and the NCERT faculty.

Resource Support in IED

Resource support was provided to IED coordinators from DPEP states in the area of Integration of Children with Disability in ordinary schools. Sessions were held with the coordinators in order to equip them to plan and manage this programme at the district/block/cluster level. Resources were provided in development of teacher training modules and general sensitisation and community mobilisation.

To facilitate the integration of children with disability in Kendriya Vidyalaya Schools, orientation workshop was jointly organised by the NCERT and the Kendriya Vidyalaya Sangathan from 8 to 12 June 1998. A five-day workshop was attended by 60 participants from different states.

Resource support was also provided to various schools/institutions/NGOs to organise bridge courses for special teachers in the education of children with special needs. These courses were sponsored by the


Rehabilitation Council of India with a view to update the teachers with the latest developments in the area.

Consultancy

Consultancy was provided to various NGOs, schools and institutes regarding development of teaching methodology for children with special needs planning and management of Integrated education of the disabled children, and instructional methodologies for the children with special needs.

Reports and Other Material Brought Out during 1998-99

1. Evaluation of Multi-Category Teacher Training Programme — A Report (Xeroxed)
2. Strengthening Integrated Education for Children with Special Needs — A Report (Xeroxed)
3. Low Vision Children—A Guide for Primary School Teachers.



EDUCATION OF THE GIRL CHILD

THE NCERT continued assisting and advising the Central and the State Governments in implementation of the National Policy on Education (NPE), 1986 (with modifications undertaken in 1992) with respect to Education for Women's Equality and Empowerment. The NCERT acts as: (i) a National Resource Centre for Women's Education which also provides consultancy to the United Nations and certain other international organisations, and (ii) a nodal point for women's education for SAARC activities. Interventions are made in the areas of policy planning, curriculum and teacher education for removing gender disparities and gender bias.

Research

Evaluation Study of a Central Scheme for Strengthening of Boarding and Hostel Facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools

The NCERT conducted a major evaluation study of a central scheme for Strengthening of Boarding and Hostel Facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools being executed by Non-

Governmental Organisations (NGOs) with the objective to assess the impact of the scheme on enrolment, retention and raising the achievement levels of girls in schools from the rural areas and those belonging to the disadvantaged groups of population. In all, 44 institutions were visited and an interim report was sent to the Department of Education, MHRD. Eight institutions were not recommended for further grant-in-aid based on their performance as per terms and conditions of the scheme.

Two research studies, namely, (i) Study of the impact of Incentive Schemes on the Education of Girls in two districts of Madhya Pradesh, and (ii) Study of School Practices from a gender perspective are in progress.

Development

Gender Sensitive Life Skills Approach to Curriculum Transaction

The NCERT collaborated with TINNARI, an NGO, in organising a two-day National Workshop on Gender Sensitive Life Skills Approach to Curriculum Transaction at the Elementary Stage under the Joint GOI-UN System Education Programme



on 2-3 November 1998 with the objectives: (i) Developing a compendium of generic life skills; (ii) Breaking down gender stereotyping and gender barriers in skill development; and (iii) Identifying broad strategies for integration of these skills in curriculum at the elementary stage. More than 75 leading educationists and practitioners drawn from states, the national and international agencies and NGOs working in this area participated. The recommendations of the workshop were well received and are being taken up for implementation by several concerned agencies and institutions.

Extension

Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups

Under the UNESCO Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Rural Haryana, the NCERT organised a major education festival (*Shiksha Utsav*) for giving merit awards to the participating primary schools for excelling in six key areas, viz. school cleanliness and beautification, mass singing and P.T., school library corner, improvement of blackboard work of teachers, and students' handwriting, creative writing and community participation. In all, over 3,000 children, parents, teachers, Mahila Mandal members, Sarpanches and Panches from 59 villages of Khol Block of District Rewari in Haryana besides, Director of UNESCO Regional Office for South Asia, Director NCERT and Director and faculty of SCERT, Haryana and senior district administrators and officials, participated in this unique gathering.

Assistance was also provided to Joint Supervision Mission of Government of

India, Government of Rajasthan and the Swedish International Development Agency for evaluation of Lok Jumbish. The NCERT assisted in the evaluation of Lok Jumbish Project during May 1998 and Shiksha Karmi Project during January 1999.

Regional Inputs in Education of the Girl Child

The RIE, Bhopal organised a National Seminar on Overcoming Constraints on Economic Empowerment of Women in collaboration with PSSCIVE from 8 to 10 December 1998.

Reports and Other Material Brought Out during 1998-99

1. Evaluation study of a central scheme for Strengthening of Boarding and Hostel Facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools —Interim Report (Mimeo.)
2. UNESCO Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Rural Haryana —Final Report (Mimeo.)
3. A Resource Document on Women's Vocational and Technical Education in India for the DGET, Ministry of Labour, GOI, New Delhi
4. Country Presentation: Language, Literacy and Primary Education in India — Paper presented during the South Asian Regional Seminar at Lahore in Pakistan, 21-22 November 1998
5. A Handbook on Promotion of Education of Girls and Women's Empowerment (in Hindi) for VEC Members (*Balika Shiksha Mein Gram Shiksha Samiti Ka Sahyog: Ek Disha*).

Department of Education in Non-Formal & Alternative Schooling (DENFAS)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1.	2.	3.	4.	5.
1	Effectiveness of NFE programme in Bihar, Haryana, Rajasthan & Uttar Pradesh-Workshop	28to29 May 1998	NCERT New Delhi	02
2	Status Study of SCERTs in the field of NFE&AS-Workshop	2to3 July 1998	NCERT New Delhi	05
3	Resource Development in States and Voluntary Agencies getting grants from MHRD-Training	31 Aug to 4 Sept 1998	RIF, Bhubaneswar	55
4	Training of NFE Faculty members of CERTs/SRCs and Key-persons in NFE&AS-Training	14 to 18 Sept 1998	NCERT New Delhi	34
5	Effectiveness of NFE in Bihar, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh	2 to 6 Nov 1998	NCERT New Delhi	10
6	Resource Support to States VAs and organisations working for NFE&AS-Workshop	1 to 4 Dec 1998	NCERT New Delhi	13
7	Training of NFE faculty members of SCERTs/SRCs and Key-persons-Training	31 Dec to 4 Jan 1999	Osmania Univ Hyderabad	40
8	A Study of difficulties faced in Teaching learning of Hindi at Primary level NFE centres of Delhi & Haryana-Workshop	15 to 19 Feb 1999	NCERT New Delhi	12
9	Resource Development in States and VAs getting grant from MHRD-Training	18 to 22 Feb 1999	SRKV College Coimbatore	38

Department of Women's Studies (DWS)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1.	2.	3.	4.	5.
1	National Workshop on Gender Sensitive Life Skills Approach to Curriculum Transaction at the Elementary Stage	2-3 November 1998	NIE Campus New Delhi	75

Department of Education of Groups with Special Needs (DEGSN)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of Participants
1.	2.	3.	4.	5.
SPECIAL EDUCATION				
1	A Workshop on "Finalisation of Handbook for teachers of Low Vision, Primary School" Programme Co-ordinator, Dr Anita Julka (PAC 3 03)	2 July 1998	Room No 9 Zakhir Hussam Khand	5
2	Training and Assessment under the Aegis of AUSAID through the Indian-Australia Training and Capacity Building Project (IATCBP)	14 to 18 September 1998	NCERT Campus	70
3	A working group meeting of experts to review the Handbook entitled	16 November 1998	NCERT Campus	9
4	A Working Group Meeting of experts to review the Guidebook entitled Resource Facilities for Children with SEN in common schools	20 November 1998	NCERT Campus	8
5	An International Workshop on setting up of the UNESCO assisted International Institute for Special Education in India	9 February 1999	NCERT Campus	15-20
6	Finalisation of Research Tools for evaluation study of IEDC	9 February 1999	NCERT Campus	10
7	Presentation of the report based on the handbook	17 March 1999	NIE	-
8	Presentation of the report based on Guidebook-Resource facilities for Children with SEN in common schools	17 March 1999	NIE	-
WORKSHOP/REVIEW MEETING UNDER DPEP				
1	A Three day review meeting to review the progress in the area of Education SC/ST under DPEP	7 to 9 October 1998	NCERT Campus	42
2	A workshop on "Identification and study of the Needs of Minority run Institution in DPEP Districts of UP and Bihar	11 to 12 March 1999	NCERT Campus	13

X

NON-FORMAL EDUCATION AND EDUCATION OF GROUPS WITH SPECIAL NEEDS (SC/ST, Minorities, Disabled & Girls)

1999-2000

AN OVERVIEW

Non-Formal Education and Alternative Schooling

Studies on (i) Status of NFE at Upper Primary Stage in India, (ii) Status of SCERTs in the field of NFE and AS, (iii) Difficulties faced in teaching-learning of Hindi at Primary level NFE centres, and (iv) Effectiveness of NFE programme in Bihar, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh were completed and report preparation is in progress. Key NFE functionaries of SCERTs/SRCs were oriented in various aspects of NFE and AS with special reference to the thrust areas of Ninth Five Year Plan. Two content-based orientation programmes were also organised for the senior NFE functionaries of voluntary organisations of Bihar and Southern States. Consultancy services in the field of NFE were extended to various governmental and voluntary organisations. An 'Annual Conference of Directors of State Institutions in Non-Formal and Alternative Schooling', and a 'National Workshop of Voluntary Organisations on Innovative and Experimental Projects' were organised for sharing experiences. Forty projects submitted by various organisations for MHRD grant were evaluated and field studies conducted to study the innovative programmes of some NGOs.

Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Minorities

A training package was developed for tribal language training of non-tribal teachers teaching in tribal area schools in Orissa. The package focuses on development of fluency in one tribal language and making classroom transaction and teacher-pupil interaction meaningful. The study entitled 'Analysis of

Existing Curriculum in Government Aided Maktabas/Madrasas' has been completed and the draft report prepared. A sample survey has been carried out to assess the extent to which the benefits have been derived by minorities (Muslims) from the centrally sponsored schemes meant for their educational development. A workshop of various Madrasa Boards has been organised for identifying the educational needs of the minority run institutions, inviting suggestions for modernising Madrasas, and providing guidance for projects, book in science as well science kits, etc.

Education of the Disabled Children

A Handbook was developed to assist pre-primary and primary teachers in language development of hearing impaired children. Adaptations and adjustments were made in Hindi language curriculum to meet special educational needs of hearing impaired children in integrated set up at primary level. On the basis of assessed needs, a Hindi version of the Guide for primary teachers was developed for providing concrete guidelines to them to integrate children with low vision in mainstream environment. A Handbook is being developed for transacting of Mathematics curriculum to visually impaired primary school children in integrated settings. Academic assistance was provided to IED coordinators from DPEP states, various NGOs, schools and institutions, etc. in the area of integration of children with disability in ordinary schools. Under India-Australia Capacity Building programme resource persons were prepared for preparing teachers for inclusive education. An International Centre for Special Needs Education (ICSNE) was set up with the support of UNESCO to promote access to children with special needs in an inclusive setting in India and the Asia-Pacific region. The evaluation of IEDC to study the impact of integrated education on general education system, teachers and children is in progress.

practical work was developed for senior secondary stage. A pool of test items in Environmental Studies (Social Studies) for Class IV was developed to strengthen the evaluation process in classroom. A document entitled, 'Grading in Schools' dealing in a precise manner the 'Know all about Grading' was developed and widely disseminated. The paper setters/examiners of Jammu and Kashmir and Karnataka Boards of School Education were trained in developing balanced question papers in different school subjects. The higher secondary teachers of Goa were exposed to the techniques of developing good questions and an item bank. The KVS teachers were oriented in the concept and techniques of Continuous Comprehensive Evaluation. The item writers from Gujarat and Meghalaya were oriented in writing items for Mental Ability Test (MAT) for state level NTS Examination. Issues pertaining to grades in place of marks, setting up a National Evaluation Framework for School Education were discussed in a Conference of Chairpersons of the State Boards of School Education.

Education of the Girl Child

The NCERT, as a national Resource Centre for Women's Education, acted as a nodal point for SAARC activities and provided consultancy to the United Nations and certain other international organisations. An evaluation of the central scheme, *Strengthening of Boarding and Hostel Facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools* was conducted to assess its impact on enrolment, retention and achievement of the rural girls. The impact has been found very positive. The impact evaluation of Incentive schemes on the Enrolment and Retention of Girls in Primary Schooling in Madhya Pradesh suggested that there is considerable scope for improvement in the quality and coverage of goods distributed. Studies on (i) Education of Girls in Remote Areas, (ii) Role of Begums of Bhopal in Promoting Education of Girls, (iii) Status of Sports and Physical Education of Girls, and (iv) School Practices from Gender Perspectives in Delhi Schools are in progress. Ninth Six-week Training Programme on Methodology of Women's Education and Development was organised and a training manual was developed. Twenty-seven key level persons from 12 States participated in the programme.

Non-Formal Education and Alternative Schooling

In the area of Non-Formal Education (NFE) as a strategy for achieving Universal elementary education, the NCERT has been concentrating on resource development, development of teaching-learning material and identification of strategies for alternative schooling. Efforts were made towards creating a strong resource base at the State level organisations as well as the voluntary organisations through regional content-based training programmes. Research work pertaining to status studies, effectiveness of NFE programmes, and evaluation of innovative projects in Non-Formal Education and Alternative Schooling (AS) have also been undertaken. The NCERT also provided consultancy and resource support to various government and voluntary organisations. Highlights of the programmes undertaken during 1999-2000 are as follows.

Status of NFE Programme at the Upper Primary Stage

This study revealed that only six States/UTs, namely, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Orissa and Union

Territory of Chandigarh and only a very few voluntary organisations have implemented the NFE programme at the upper primary stage. The major reasons for low implementations of the programme were non-availability of qualified and trained instructors, infrastructure parental non-encouragement and non-suitability of the curriculum for NFE Children. Remedial measures for better implementation of the scheme at upper primary stage have been suggested. The report is under preparation.

Status of SCERTs in the Field of NFE and AS

The study indicated that SCERTs/SIEs of only 9 States, namely, Andhra Pradesh, Delhi, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Mizoram, Orissa, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh were involved in material development, training, and monitoring and evaluation of NFE programmes. The report has been prepared and sent to the State agencies and other organisations.

Difficulties Faced in Teaching-Learning of Hindi at Primary Level NFE Centres

The Study was conducted in Delhi and Haryana. The difficulties faced in teaching-



Non-Formal Education in action: A demonstration in joyful learning.

learning of Hindi at primary level have been identified and remedial strategies suggested. Data analysis and report writing are in progress.

Effectiveness of NFE in Bihar, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh

The Study was confined to NFE programmes implemented by both Government and Voluntary Organisations in Bihar and Rajasthan and by three NGOs in Haryana. The effectiveness was studied in terms of infrastructure, training, curriculum, monitoring, and supervision, programme evaluation and learner's achievement. The data analysis and report writing are in progress.

Extension

The NCERT evaluated about 40 projects submitted by various organisations for MHRD grant under the centrally sponsored scheme on experimental and innovative programmes and also conducted a number of field studies to study the innovative programmes of some NGOs. Field visits were undertaken to study the innovative projects run by some NGOs with financial assistance from MHRD: Friends of Tribals Society in Bihar and Orissa; PRATHAM initiatives for out-of school children in Mumbai, Rishi Valley Education Centre, Madanapalle, Andhra Pradesh, on multi-grade and multi level teaching strategies in their Satellite schools. The reports in these visits have been sent to the MHRD.

Training

Orientation of Senior NFE Functionaries of Voluntary Organisations

Two content based regional orientation programmes of 5 days each were organised for 26 and 35 senior NFE functionaries of Voluntary Organisations of Southern States and Bihar at Bangalore and Neemdih respectively. The participants were oriented in various aspects of NFE including monitoring and supervision of NFE centres minimum levels


of learning, teaching-learning strategies and evaluation of the achievement of learners.

Orientation of Key NFE Functionaries of SCERTs/SIEs/SRCs/DIETs

An orientation programme for 24 Key NFE Functionaries of SCERTs/SIEs/SRCs/DRUs in DIETs from West Bengal and North-Eastern States was held at SCERT, Calcutta from 21-25 February 2000. The major aspects covered during the orientation programme were: Role of States during Ninth Five-Year Plan, sharing of experiences among various government agencies, capacity building at district, block and village level, teaching methodology, analysis of teaching-learning materials and evaluation of the learners' achievements.

Extension

An annual Conference of Directors of State Institutions in Non-Formal and Alternative Schooling was organised at NCERT, New Delhi on 27-28 March 2000 mainly for sharing of experiences and to develop strategies for effective implementation of NFE programmes. A National Workshop on Sharing of Experiences of Voluntary Organisations on Innovative and Experimental Projects was organised at the NCERT, New Delhi on 23-24 March, 2000 with the objectives (a) to document



Director, NCERT addressing the participants of Annual Conference of Directors of State Institutions of NFE&AS.

Annual Report 1999-2000

innovations and experimentations by NGOs and (b) to develop implementation strategy to mainstream these innovations in the school system. Fifteen voluntary organisations participated in this workshop and presented their experiences on innovative and experimental projects. Under the theme "NFE in Action" the NFE learners and instructors from the NFE Centers run by the NGO, Lok Seva Ayatan, Neemdih, Bihar demonstrated the process of learning from concepts/themes in environmental studies through dance/drama at the NCERT, New Delhi on 23 June 1999. Besides organisational level programmes and

activities in the NCERT, consultancy and resource support was provided to various government and voluntary organisations.

Reports and Other Materials Brought out during 1999-2000

- Report on Training Programme of NFE faculty members of SCERTs/SRCs and Key Persons in NFE and AS. (Xeroxed)
- Report on Content based Regional Orientation Programme for Senior NFE Functionaries of Non-governmental Organisations from Southern States (Xeroxed)

Education of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Minorities

With a view to hasten the process of Universalisation of Elementary Education (UEE), the NCERT is giving special emphasis on matters related to Education of Groups with Special Needs such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Minorities. Highlights of the programmes conducted in this area during 1999-2000 are given below.

Training Package for Tribal Language Training for Non-tribal Teachers

This programme of developing a training package for training of teachers teaching tribal languages in the tribal area schools located in Orissa, focussed on development of fluency in one tribal language and making classroom transaction and teacher – pupil interaction meaningful. The training package consists of strategies to be adopted for attitudinal changes and also strong cultural component with reference to contextualisation of communication as well as behavioural domains and has been widely used in the State of Orissa in the DPEP Districts.

Minority Education

Analysis of Existing Curriculum in Maktabas/Madrasas

This project aimed at studying and analysing the content of existing curricula of Government aided Maktabas and Madrasas and also suggests modifications in their curriculum in terms of identified gaps. The study covered three States namely, Kerala, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh for data collection. A questionnaire was developed to collect information from these States from various types of respondents including students, teachers and parents. The data thus collected has been analysed in terms of subjects taught till Class V, sources of financial support, linkages, medium of instruction, number of teachers, number of students, teachers qualifications and examination. Besides these, information

about various activities carried out by these institutions as well as information on infrastructural facilities were also collected. The information thus collected has been analysed and the draft report prepared.

Educational Benefits Derived Out of the Centrally Sponsored Schemes for Minorities (Muslims)

A sample survey has been carried out to assess the extent to which the benefits have been derived by Minorities (Muslims) from the centrally sponsored schemes aimed at educational development of these educationally backward minorities. Four tools have been prepared to collect information from three States and educational managers, teachers and students. A brief interview schedule has also been prepared to collect information and opinion from the community members. The details have been finalised in workshop attended by experts in the area of education of minorities, research methodology and vocational education. A carefully drawn representative sample from three States namely Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal has been identified and will be covered through the present study. The findings of the study are likely to provide insight into the utility of various centrally sponsored schemes for educational empowerment of Minorities.

Extension

The NCERT is also identifying the educational needs of minority run institutions in Uttar Pradesh and Bihar and inviting suggestions for modernising Madrasas as by providing guidance for projects and books in Science as well as Science Kits under DPEP.

Resource Development in States and Voluntary Agencies

A two-day workshop was organised on February 2-3, 2000 in which the participating SCERTs were helped in finalising the programmers to be taken up by them in the year 2000-2001. The capacity building in SCERT

faculty members was attained through presentation of two project papers based on contemporary issues and discussing these issues with the participants. The academic support to all such programmes taken up by these organisations working at the State level during the ensuing year will be provided.


Modernisation of Madrasas

The NCERT organised a workshop on 22-23 June 1999 for various Madrasas Board located in States for inviting suggestions for modernising and providing them guidance for projects and books in science as well as Science Kits.

Regional Level Inputs in SC/ST and Minorities

The RIE, Mysore organised a workshop on 'Early Identification and Intervention of Development Disabilities — A Multidisciplinary Approach.

The RIE, Bhubaneswar identified psychosocial factors on science learning of tribal children of Orissa. Strategies were developed for solution of problems related to curriculum transaction in tribal primary schools, and teachers of tribal high schools were oriented in English language teaching and science.



Workshop on Modernisation of Madrasas

Education of the Disabled Children

The NCERT has been undertaking several programmes to meet the educational needs of the children with physical and intellectual disabilities. The major thrust areas include capacity building, improving quality of education of special groups, improving access and networking with NGOs and other institutions working in the area. The NCERT also concentrated its efforts for the implementation of the Persons with Disabilities Act 1995 and a number of programmes were undertaken to promote integrated education of the disabled children in regular schools. Highlights of the programmes and activities undertaken during 1999-2000 in this area are as follows.

Research

Evaluation of 'Integrated Education of Disabled Children' Scheme

Integrated Education of the Disabled Children (IEDC) in common schools was introduced as a centrally sponsored scheme in 1974. The scheme is revised every five years. The evaluation study of the IEDC scheme has attempted to study the impact of integrated education on the education of disabled children. Two training programmes were conducted to train the field investigators in use of the research tools that were developed earlier for parents, teachers, children and persons working in IEDC Cell in the State on the sample under study. Data has been collected from Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh and Delhi and its analysis is under process.

Development



Shravan Vikar Yukt Bachchon Ka Bhasha Vikas: A Handbook for Teachers

This handbook has been developed for pre-primary and primary teachers teaching hearing impaired children. The book covers pre-school preparatory curriculum for the hearing impaired children, before their integration in Class I. Guidance has been provided to teachers for language development of mildly hearing impaired children, those severely and

profoundly impaired children who have joined regular schools after 3-4 years' interventions and for those who have not received intervention prior to coming to school. It also discusses adaptations and adjustments in language teaching in Class I and II adaptations in teaching methodologies and evaluation procedure etc.

Hindi Language Curriculum for Hearing Impaired Children

Adaptations and adjustments in Hindi language curriculum to meet special educational needs of hearing impaired children in integrated set up at primary level were taken up with the objective of enabling the hearing impaired children to have access to Hindi language in integrated schools. The project aim to identify minimum levels of competencies in Hindi for hearing impaired children in Classes III, IV and V with the intention of modifying the teaching strategies. Three workshops for Classes III, IV and V respectively were organised to discuss the data collected regarding level of achievements of hearing impaired children. Difficulties faced by the teachers were also discussed.



A handbook for teachers

Minimum levels of Learning (MLLs) of teaching Hindi in these classes were adapted and guidelines for adaptations and adjustments in curriculum teaching methodologies drafted and sample teaching learning material developed.

Low Vision Children: A Guide for Primary School Teachers

This Guide, published in English earlier orients the teachers to the needs of low vision children and acquaints them with available services. It enables the teachers to understand the impact of low vision on reading, writing, learning, psycho-social development etc. This guide will contribute to improving the quality of teaching-learning process of children with low vision with the ultimate goal of enhancing their achievement. Hindi version of the same is under print.

Handbook for transaction of Mathematics Curriculum to Visually Impaired (Blind) Primary School Children in Integrated Settings

Under this project, areas have been identified that need adaptation/modification in the Mathematics curriculum for the Visually Impaired Children. Handbook would be prepared based on the identified areas along with suitable instructional strategies. This would be finalised on the basis of a workshop. The handbook would serve as a guideline for the primary school teachers regarding how to transact the curriculum in an inclusive classroom in which children with visual impairments have been integrated with other children.

Training

India-Australia Capacity-Building Programme on Integrated Education of Children with Special Needs

Under the aegis of India-Australia Training and Capacity Building Programme a training workshop was organised by the NCERT on May 19-21, 1999 for the States located in the Northern Region with a view to prepare

resource persons in these States who could take up the responsibility of preparing teachers for inclusive education. The workshop was attended by the nominees of Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, U P., NCT of Delhi, Jammu and Kashmir, Gujarat, Orissa and Kerala.

The resource person for this workshop included the NCERT faculty, faculty members from University of Melbourne, Australia and resource teachers trained by them earlier through a six week training programme specifically designed for this purpose.

Extension

Review of Centrally Sponsored Scheme of Integrated Education of Disabled Children

A review workshop of centrally sponsored scheme of Integrated Education of Disabled Children was organised by MHRD in collaboration with the NCERT to review the Scheme as per changing needs and situation in the society. This Scheme had been in operation since 1974 and has been revised every five years. Secretaries of the States, Directors of the SCERTs and National Institutes, IED Coordinators and NGOs with successful practices of inclusion and integration have shared their experiences and identified the hurdles and the solutions that are feasible in view of the PWD Act, 1995. States presented the problems and hurdles in implementing the schemes and the suggestions given to overcome the barriers were pooled to evolve final recommendations that were presented as major issues of capacity building and service delivery and administrative matters. This would provide an input for developing an effective scheme for improving the quality of education

Workshop on Inclusive Education

A workshop was organised by the NCERT in collaboration with UNESCO to support commitments already made at the national and regional levels and further help in translating a political will of the country into

the actual implementation. It was aimed at making the people recognise the right of every child with a diversity to have access to free education and integration in the normal school as far as possible. The IED Coordinators and NGOs catering to education of children with special needs in common schools have participated in the workshop. Issues like conceptual issues, access to education, barriers, and hurdles, quality education and issues related to school, system, and capacity building, policy planning and administration were discussed. Strategies were evolved and guidelines developed for inclusive education practice to promote education. It facilitated the participants to design and workout an action plan to implement educational initiatives for children with special needs in their institutions and States.

Exhibition-cum-Workshop on Teaching Learning Material (TLM)

An exhibition-cum-workshop was organised by RCI in collaboration with NCERT with the aim of identifying the Teaching Learning Material and motivating the teachers to prepare good aids which could be used effectively with children with special needs. Participants from various States, universities and NGOs involved in the education of children with special needs were invited to display the material they had prepared. They also shared the experiences they had over a long period of time in the field of education of children with special needs. Guidelines were evolved for development of innovative material that would hold the attention of the children, solve problems of children, stimulate their development in all areas, help in acquisition of skills and encourage children to self-monitoring.

After the workshop, manuals were identified which could be adopted by various training institutions. Guidelines were developed for innovative teachers to foster their interest and to encourage them to engage in the development of teaching learning material. Materials were identified for wider circulation amongst the practising institutions.

Resource Support to States and Voluntary Agencies

A workshop was organised to build up resource support to enable the States and voluntary organisations to tackle the problems of children with special needs. Participants from Bihar, Andhra Pradesh, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Orissa, Rajasthan, Gangtok, Assam, U.P, West Bengal and Jammu and Kashmir made presentation about the performance, achievements and problems in implementing programmes of education for children with special needs. It provided the forum for sharing of experience among various SCERTs/SIEs and voluntary agencies working for children with special needs. Sessions were held with the IED Coordinators to enable them to plan, organise, manage and monitor the programme of Integrated Education of Disabled Children at the district/block/cluster level effectively.

International Centre for Special Needs Education (ICSNE)

Under the aegis of Government of India, International Centre for Special Needs Education was set up in the NCERT with the support of UNESCO. The centre will focus on promotion of access to children with special needs in an inclusive setting in India and the Asia Pacific Region. It attempts to provide quality education to all children through capacity building and providing support in formal and non-formal schools and other alternative forms of schooling which would be informed by innovative applied and action research. The Centre will work towards taking up activities for promotion of inclusion and building linkages in the Region. It will also develop Management Information System (MIS) to facilitate working in the field of inclusive education. It will provide consultancy to the member countries and others to improve the quality of education of children with special needs. The document with its mission, vision, objectives and action plan has been developed which would provide guidelines for further action.

Consultancy

Consultancy was provided to countries in the SAARC Region, State Departments, NGOs, Schools, Institutes and individuals regarding needs and development of teaching methodology for children with special needs. Teacher support was provided for planning and management of integrated education of the disabled children and instructional methodologies for the children with special needs.

Regional Inputs of the Disabled Children

The RIE, Bhopal organised a five-day training programme to train key resource person of the Western Region in the area of integrated education for the Disabled Children to strengthen SCERTs and SIEs of the States in the area of IEDC and a training package

for teacher educators of DIET were also developed

The RIE, Bhubaneswar developed strategies for identification and remediation of educational barriers of mild disabled children. State level resource persons on IEDC were oriented

The RIE, Mysore organised a workshop on 'Early Identification and Intervention of Development Disabilities – A Multidisciplinary Approach'.

Reports and Other Materials Brought Out during 1999-2000

- Report of UNESCO-NCERT Workshop on Inclusive Education (Xeroxed)
- *Shravan Vikar Yukt Bachhon Ka Bhasha Vikas* (Printed)

Department of Education in Non-Formal & Alternative Schooling (DENFAS)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of participants
1	2	3	4	5
1.	"NFE in Action" A demonstration under Resource Development in State & VSS. 2.08	23 June 1999	CIET	30
2.	Meeting of the Sub-Committee for securing of proposals of Innovative and Experimental projects. 2.08	07 July 1999	DENFAS NCERT	10
3.	Orientation Programme for senior NFE functionaries of Voluntary organisations from southern states. 2.08	2 to 8 August 1999	RITEC Bangalore	26
4.	A study of difficulties faced in Teaching Learning of Hindi at Primary Level NFE Centres - Meeting of Resource Group 2.05	15 to 19 November 1999	DENFAS NCERT	09
5.	Orientation Programme for Resource Development in States & Voluntary Agencies for senior NFE functionaries of VAs of Bihar. 2.08	13 to 17 November 1999	Lakasevayatan Nimidhi, Bihar	36
6.	Meeting of the Screening Committee on Innovative & experimental projects 2.08	18 January 2000	DENFAS NCERT	06
7.	Orientation Programme for Key NFE functionaries of SCERTs/DIEs/SRCs from Eastern & North Eastern States 2.09	21 to 25 February 2000	SCERT Calcutta	30
8.	National Workshop on sharing of Experiences of NGOs on Experimental & Innovative Projects. 2.08	23 to 24 March 2000	CIET NCERT	34
9.	Annual Conference of Directors of State Institutions on NFE. 2.01	27 to 28 March 2000	CIET NCERT	24

Department of Education of Groups with Special Needs (DEGSN)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of participant
1.	Preparatory workshop of sub-project approved under Aus-aid India Australia Training and Capacity Building Programme.	28 to 29 April, 1999	NCERT New Delhi	20
2.	India-Australia Capacity Building Programme on integrated education of children with special needs.	19 to 21 May 1999	CIET NCERT	25
3.	Training for field investigators for Data collection for evaluation study of IEDC (two training programmes were conducted)	19 to 20 August 1999 15 to 16 February, 2000	NCERT New Delhi	10
4.	Discussion on curricular issues on education of children with special needs.	12 October 1999	NIE Campus New Delhi	12
5.	Workshop on review of centrally sponsored scheme of Integrated Education of Disabled Children.	29 October 1999	CIET NCERT	30
6.	UNESCO-NCERT workshop on inclusive education.	28 to 29 December 1999	NCERT New Delhi	30
7.	Workshop-cum-Training programme for Resource support development in SCERTs/SIEs and Voluntary organisations.	2 to 3 February 2000	NCERT New Delhi	30
8.	Adaptations and adjustments in Hindi Language curriculum (Class-III) to the needs of Hearing Impaired children studying in integrated set up (Workshop).	7 to 9 February 2000	NCERT New Delhi	09

1	2	3	4	5
9.	Adaptations and adjustments in Hindi language curriculum (Class-IV to the needs of Hearing Impaired children studying in integrated set up (Workshop).	8 to 10 March 2000	NCERT New Delhi	23
10.	Adaptations and adjustments in Hindi language curriculum (Class-III-V) to the needs of Hearing Impaired children studying in integrated set up (workshop).	14 to 16 March 2000	NCERT New Delhi	23
11.	Workshop-cum-exhibition on TLM in collaboration with RCI.	24 to 25 March 2000	NCERT New Delhi	More than 500 visitors & participants
<u>Education of SCs,STs and Minorities</u>				
12.	Resource Development in States and Voluntary Agencies.	2 to 3 February 2000	NCERT New Delhi	23
13.	A Sample Survey of the Extent of Educational Benefits Derived out of the Centrally Sponsored Scheme for Minority (Muslims).	29 March 2000	NCERT New Delhi	12
14.	Analysis of existing Curriculum in Govt. Aided Maktabs/Madrasas.	17 February 2000	NCERT New Delhi	11
15.	<u>Specific Assignments</u> Workshop on Improvement of Educational Programme of State Madrasa Boards.	22 to 23 June 1999	CIET NCERT	25

Education of the Girl Child

The NCERT is committed to the promotion of girl's education and women's empowerment through suitable interventions in policy planning, curriculum transaction, and teacher education. The scope of its work include development of a strong data base, redesigning of curricula to remove sexist bias, gender sensitisation of all educational personnel, development of handbooks for teachers and teacher educators, awareness generation, advocacy for the education and development of the girl child and bringing about attitudinal changes in the parents and the communities and above all creating a girl friendly environment in the schools. Highlights of the programmes and activities undertaken during 1999-2000 in this area are as follows:

Research

Evaluation of Central Scheme of Assistance for Strengthening of Boarding and Hostel Facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools

The study covered 50 girl's hostels being managed by the NGOs in 12 States. The study was primarily qualitative and the evaluation was done using personally administered interview schedules, an observation checklist and discussions and personal interaction with the hostel inmates. The contextual factors of location, social background of students were studied while identifying and analysing the scheme inputs, the processes and output variables for impact evaluation.

It was heartening to find that with some exceptions, the hostels were serving girls from rural and far flung areas and those belonging to the other disadvantaged sections, the SC, the ST, the OBC. The hostels were actually located in the interior areas with poor accessibility at times. The Scheme had a positive impact on enhancing girl's enrolment, retention, achievement, building of self-image, self-confidence, leadership ability and communication skills. The scheme is very useful in motivating parents and attracting the girls

from poverty groups and backward communities in rural areas for taking up secondary and post-secondary education. The educational and occupational aspirations of the hostel inmates were high. Gender role perceptions of the management, the warden and the girl boarders were very egalitarian

Impact Evaluation of the Incentive Schemes on the Enrolment and Retention of Girls in Primary Schooling

The study was carried out in two blocks of Madhya Pradesh, namely, Dhar block in Dhar District with a preponderance of Scheduled Tribe population and Rajgarh block in District Rajgarh with concentration of Scheduled Caste population. The major finding of the study are that incentives do have a positive impact on enrolment but not necessarily on attendance and achievement. In both study blocks, the coverage of uniforms and the textbooks was insufficient. The quality of stitched uniforms and textbooks supplied was sub-standard. The study concludes that there is considerable scope for improvement in the quality of the goods distributed and also the need for universal coverage as far as textbooks and writing materials are concerned.

Studies on Education of Girls in Remote Areas: Islands, Deserts, Mountains and Forests, 'the Role of Begums of Bhopal in promoting education of Girls', Status of Sports and Physical Education of Girls and School Practices from Gender Perspective in Delhi Schools are under progress.

A six-week training programme on 'Methodology of Women's Education and Development' is an annual feature. The Methodology of the training course is highly participatory and interactive. All the participants are required to bring a status paper for which an outline is provided. They further work under faculty supervision and enrich and embellish their status report using the NCERT and the NIEPA and other resource centres. The Ninth Training Course on Methodology of Women's Education and Development was held from

January 10 to February 20, 2000 for 27 participants from 12 States covering State Departments of Education SCERTs, SIEs, DIETs, Universities and the Regional Institutes of Education (RIEs) of the NCERT. A training manual detailing the course structure and detailed outlines and content of the themes has been prepared. The programme is designed to prepare key level personnel to act as trainers in the Methodology of Women's Education and Development by providing them (a) understanding of women's issues through perspectives of women's studies and other social sciences, (b) awareness about education and the status of women in a comparative perspective, (c) understanding of the psycho-sociological dimensions of girl's education and development, skills to collect, collate and analyse data and formulate research and action projects in this area.

Up-to-date data on education of girls and allied social and demographic indicators was collated and analysed and a Fact Sheet on the Education of Girls - (A Graphic Presentation) was published. A research based Sector paper on Education of Girls was submitted to the Department of Education, MHRD in order to review the progress made during the Post Jointen Period in the framework of Education for All. In the National Policy of Education Review Meeting held at NICPA a presentation was made on the substantive role played by the NCERT in implementation of the NPE resolve on Education for Women's Equality through its research development training and extension activities. Resource support was provided to the MHRD Department of Education and Department of

Women and Child Development and to the States.

Regional Level Inputs in the Area of Girls Education

The RIE, Bhopal organised a 4-day programme on 'Development of Strategies to Remove Gender Bias in the Educational Processes in Madhya Pradesh'. Major factors for the discrimination and disempowered state of women were identified and guidelines evolved to remove the gender disparities.

Reports and Other Materials Brought Out during 1999-2000

Evaluation Scheme for Strengthening of Boarding and Hostel Facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools (Xeroxed)

Shiksha Lehar: UNESCO Innovative Pilot Project on Promotion of Primary Education of Girls and Disadvantaged Groups in Rural Haryana (1992-98) (Printed)

Education of Girls in India - A Fact Sheet (Printed)

Twenty Five Years of Girl's Education at the NCERT (1974-1999) (Xeroxed)

Education of Girls in India - An Assessment (Under Print)

Balika Shiksha Mein Gram Shiksha Sanvika Sahyog Ek Disha (Xeroxed)

Ninth Training Course on Methodology of Women's Education and Development (January 10 to February 20, 2000)

(i) Information Brochure (Xeroxed)

(ii) Resource Manual (Xeroxed)

(iii) Report (Xeroxed)

Department of Women's Study (DWS)

S.No.	Title of the Programme	Dates	Venue	No. of participants
1.	Ninth Training Programme on Methodology of Women's Education and Development - A Six Weeks Training Programme.	10 January to 20 Feb., 2000	NCERT New Delhi	27